द्वितीय माला, खण्ड २०—अंक २२

९ सितम्बर, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २० में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

188(A) LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २०—अंक २१ से ३०—८ सितम्बर से १९ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक २१ सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००९, १०११ से १०१७ और १०१९ से १०२२ . . . . २४९१—२५१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१०, १०१८ और १०२३ से १०५४ . २५१३—२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३२ से १६९६ . . . २५२७—५३

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में कथित खाद्य संकट . . . २५५३—५९

दो सदस्यों की गिरफ्तारी २५५९

दो सदस्यों को सजा . . . . २५५९—६०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २५६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २५६०

तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर की शुद्धि . . २५६१

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—पुरःस्थापित २५६१

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक—पुःरस्थापित २५६२

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५६२—९७

खण्ड २ और ३ . . . . . २५८९—९७

खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये अनौपचारिक बैठक के सम्बन्ध में वक्तव्य . . . . . २५९७—२६००

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६०१—०६

पृष्ठ

अंक २२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५५, १०५६, १०५८, १०५६, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७ से १०६६, १०७१ से १०७४, १०७६, १०७८ और १०७६ . . . . . २६०७—३१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . २६३१—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५७, १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०७०, १०७५, १०७७, १०८० से १०८६ और ५६५ . . २६३३—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६७ से १७५५ . . . २६४१—६८

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश विधान सभा में शान्ति स्थापित करने के लिये सशस्त्र सिपाहियों का बुलाया जाना . . . . २६६८—७४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७४—७६

श्री शि० ला० सक्सेना द्वारा वक्तव्य २६७५

राज्य सभा से सन्देश २६७६

लोक लेखा समिति—

६वीं रिपोर्ट २६७६

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

खण्ड ४ से १४ और १ . . . . . २६७७—६५

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २६६४–६५

केरल तथा मद्रास राज्य में विषाक्त खाद्यपदार्थों से हुई घटनाओं के बारे मे प्रस्ताव . . . . . २६६५—२७०४

दैनिक संक्षेपिका . . . २७०५–०६

अंक २३—बुधवार, १० सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६० से ११०० और ११०३ से ११०८ २७११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०१, ११०२, ११०६ से ११३७, ६३१ और ६७४ . . . . . २७३४—४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५६ से १८१४ और १८१६ से १८३० २७४६—८१

पृष्ठ

सदस्य द्वारा पद-त्याग २७८१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा भाग न लिया जाना . . . . २७८१—८४, २७८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . २७८४

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २७८६—९५

खण्ड २ और १ . . २७९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव . २७९५

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . २७९५—२८०५

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में चर्चा २८०६—१६

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . २०१६

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . २८१६

दैनिक संक्षेपिका . . २८१७—२१

अंक २४—गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४० से ११४५, ११४७, ११५०, ११८३, ११५१ से ११५४, ११५६ से ११५९, ११६२ से ११६४, ११६६, ११६८, ११६९, ११७१ और ११७२ . . . . २८२३—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४६, ११४८, ११४९, ११५५, ११६०, ११६१, ११६५, ११६७, ११७०, ११७३ से ११८२ और ११८४ . . . . . २८४९—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३१ से १९०३, १९०५ से १९१३ और १९१५ से १९१८ . . . . . २८५९—९२

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न . . .	२८९२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	२८९२–९३
राज्य-सभा से सन्देश . . .	२८९३
याचिका का उपस्थापन	२८९३
पठानकोट में गोला-बारूद की पेटियों में विस्फोट के बारे में वक्तव्य .	२८९३–९४
कार्य मंत्रणा समिति--	
उनतीसवां प्रतिवेदन .	२८९५
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२८९५--२९३२
दैनिक संक्षेपिका . . .	२९३३--३९

अंक २५--शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से ११८८, ११९० से ११९६, ११९८ से १२०३, १२०७ और १२०८ . . .	२९४१--६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० .	२९६६--७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८९, ११९७, १२०४ से १२०६ और १२०९ से १२२२	२९७०--७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१९ से १९७२ और १९७४ से १९९९	२९७७--३०१०
सरदार सम्पूर्ण सिंह का निधन	३०१०
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३०१०–११
राज्य सभा से सन्देश	३०११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के परिणाम .	३०११--१६
तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के उत्तर की शुद्धि .	३०१६–१७
तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर की शुद्धि . .	३०१७
सभा का कार्य . .	३०१७
तेल की खोज के बारे में वक्तव्य . .	३०१८
समिति के लिये निर्वाचन--	
प्राक्कलन समिति . .	३०१८–१९

पृष्ठ

उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—

पुरःस्थापित . . ३०१९

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ३०१९—२५

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३०२५—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . ३०३१—३२

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के बारे में संकल्प—

वापिस लिया गया ३०३२—३४

कुछ न्यायाधिकरणों को उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटाने के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत . . . . ३०३५—४८

उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक आयोग की स्थापना के बारे में संकल्प . . ३०४८

दैनिक संक्षेपिका . . ३०४९—५५

अंक २६—सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२३ से १२२५, १२२७, १२२८, १२३०, १२३२ से १२३५, १२३७ से १२४१, १२४३ से १२४८ और १२५३ . ३०५७—८३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ ३०८३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२९, १२३१, १२३६, १२४२, १२४९ से १२५२ और १२५४ से १२६३ . . . ३०८६—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०८९ . ३०९५—३१३२

स्थगन प्रस्ताव—

किमाय और माट्सू द्वीप के संबंध में वाशिंगटन में वित्त मंत्री का वक्तव्य . . . . ३१३२—३५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३१३६—३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ३१३८—३९

राज्य-सभा से सन्देश ३१३९

पृष्ठ

एक सदस्य को गिरफ्तारी तथा सजा . . . ३१३६

एक सदस्य की गिरफ्तारी ३१३६

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव-- ३१३६--५४

गन्दी बस्तियाँ हटाने के बारे में मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा ३१५४--७७

दैनिक संक्षेपिका ३१७८--८४

अंक २७--मंगलवार, १६ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२६७, १२६६, १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८१, १२८३, १२८४, १२८७ और १२८८ . ३१८५--३२०६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ३२०६--११

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२,६४, १२६८, १२७०, १२७७, १२८२, १२८५, १२६६, और १२८६ से १३०५ . ३२११--२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६० से २१७६ ३२२०--५३

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ३२५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३२५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बीमा एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन में कमी ३२५५-५६

वाणिज्यक नौवहन विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३२५६--६५

दैनिक संक्षेपिका ३२६६--३३०२

अंक २८--बुधवार, १७ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६ से १३१०, १३१२, १३१५ से १३१७, १३२१ से १३२८ और १३३० . . . . ३३०३--२६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . ३३३०-३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १३११, १३१३, १३१४, १३१८ से १३२०, १३२६ और १३३१ से १३४६ . . . . ३३३१--४१

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २१७७ से २२६३	३३४१—७९
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३३७९–८०
जानकारी का प्रश्न	३३८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३८०–८१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन .	३३८१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में हैजे का प्रकोप	३३८१
विष (संशोधन) विधेयक—	
पुरस्थापित .	३३८१–८२
वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार .	
खण्ड २ से २० , २२ से १००, १०२ से १४९, २१, १०१, १०३ से ४६१, अनुसूची और खंड १ .	३३८२–३४१६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	३४१३–१६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव .	३४१६–२८
दैनिक संक्षेपिका .	३४२९–३४
अंक २९—गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३५०, १३५१, १३५४, १३५६ से १३६५ और १३६७ . . .	३४३५–५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३५२, १३५३, १३५५, १३६६, १३६८ से १३७९ और १३८१ से १३९५ . .	३४५७–६९
अतारांकित प्रश्न संख्या २२६४ से २३७६	३४६९–३५१९
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३५२०
एक सदस्य का अपराधी ठहराया जाना . . .	३५२१
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव .	३५२१–६१
दैनिक संक्षेपिका	३५६२–६९

अंक ३०—शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५८

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९६, १३९८ से १४००, १४०२, १४०४, १४०५, १४०८, १४०९, १४११, १४१२ और १४१४ . ३५७१—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९७, १४०१, १४०३, १४०७, १४१०, १४१३ और १४१५ से १४२६ . ३५९५—३६०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७७ से २४३६ ३६०२—२६

डा० भगवान दास का निधन ३६२६—३०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६३०—३१

राज्य सभा से सन्देश ३६३१

सभा का कार्य . . ३६३१—३२

समितियों के लिये निर्वाचन . ३६३२—३३

१. प्राक्कलन समिति; और

२. लोक लेखा समिति ?

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३६३३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . ३६३३—४७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताइसवां प्रतिवेदन ३६४७

अयोग्य व्यक्ति बन्ध्यीकरण विधेयक—

पुरःस्थापित . ३६४८

छावनी (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ३६४८—५९

समवाय (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ३६५९—६३

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . . ३६६३

सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३६६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३६६४—७०

नोट:— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, ९ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निजामाबाद का अखबारी कागज का कारखाना

\+

†*१०५५. { श्री वि० च० शुक्ल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या **वाणिज्य** तथा **उद्योग** मंत्री १३ मार्च १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के निजामाबाद में एक अखबारी कागज़ के कारखाने की स्थापना के बारे में पश्चिम जर्मनी की फर्म के साथ बातचीत पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की क्या शर्तें हैं; और

(ग) क्या प्रस्तावित फैक्टरी से सम्बन्धित सिविल इंजीनीयरिंग कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं । आस्थगित भुगतान की सन्तोषजनक शर्तों की व्यवस्था अभी तक सम्भव नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रस्तावित स्थान के सर्वेक्षण, मिट्टी के स्वरूप की जांच के लिये परीक्षण-रूप में गड्ढे खोदने और उस क्षेत्र में जमीन के धरातल की ऊंचाई और निचलापन बताने वाले मानचित्र तैयार करने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार से प्रार्थना की गई है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : यदि आस्थगित भुगतान सम्बन्धी शर्तों का संतोषजनक हल नहीं हुआ तो क्या सरकार अन्य शर्तों और अवस्थाओं की खोज करेगी ताकि न्यूज़ प्रिंट फैक्टरी (अखबारी कागज़ के कारखाने) की शीघ्र स्थापना की जा सके ?

†मूल अंग्रेजी में

188A L.S.D.—8

†**श्री सतीश चन्द्र** : टेकनीकल सहयोगियों द्वारा आस्थगित भुगतान की संतोषजनक शर्तें स्वीकार न होने तक किसी नवीन उद्योग की स्थापना सम्भव नहीं है।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : विदेशों से न्यूज प्रिंट आयात करने के लिये हम प्रति वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करते हैं और इस न्यूज प्रिंट फैक्टरी की स्थापना पर वह सब रकम बचेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस तर्क का क्या अर्थ है ? माननीय सदस्य सीधा प्रश्न पूछें। प्रश्न क्या है ?

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या सरकार इस विषय पर धैर्यपूर्वक विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो सुझाव है। सरकार सदैव विचार करेगी।

†**श्री तंगामणि** : क्या नेपा फैक्टरी के विस्तार के लिये कदम उठाये गये हैं और यदि हां, तो इस वर्ष फैक्टरी की उत्पादन-क्षमता कितनी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : नेपा फैक्टरी की उत्पादन-क्षमता १०० टन प्रति दिन है। अभी यह निर्धारित उत्पादन-क्षमता तक नहीं पहुंची है। इस वर्ष उत्पादन २०,००० टन से भी अधिक होने की सम्भावना है। हर वर्ष इस की उन्नति हो रही है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय उपमंत्री ने कहा कि नेपा फैक्टरी अभी उत्पादन की निर्धारित क्षमता तक नहीं पहुंची है। इसके क्या कारण हैं और इस फैक्टरी को समुचित मात्रा में विद्युत् सम्भरण करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस प्रकार की फैक्टरी जटिल होती है और भारत में अपने किस्म की यह पहली फैक्टरी है। निर्धारित उत्पादन-क्षमता तक पहुंचने में इसे समय लगता ही है। मैं इसके उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े दे देता हूं ताकि माननीय सदस्य उसकी हर वर्ष होने वाली उन्नति की परख कर सकेंगे। १९५५ में २,५०० टन, १९५६ में ११,००० टन और १९५७ में १५,००० टन। इस वर्ष के प्रथम छः महीनों में इस फैक्टरी ने १०,००० टन न्यूजप्रिंट उत्पादन किया है। अतः यह निर्धारित लक्ष्य की ओर शनैः शनैः अग्रसर हो रही है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि यह फैक्टरी गैरसरकारी उद्योग क्षेत्र में स्थापित की गई थी और सरकार ने बाद में इस में रुचि लेना प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् इसकी प्रगति उल्लेखनीय रही है।

†**श्री राम कृष्ण** : इस संयंत्र पर कुल कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यदि संयंत्र ने मूर्त रूप धारण कर लिया तो पूंजी विनियोग लगभग ५ करोड़ ५० लाख पये के लगभग होगा।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय उपमंत्री ने कहा कि आस्थगित भुगतान के बारे में समझौता नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आस्थगित भुगतान के अन्तर्गत किस विशेष मद पर समझौता नहीं हुआ है और यह सुझाव किस फर्म ने दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं विशिष्ट प्रश्न को छोड़कर सामान्य प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। हम यह चाहते हैं कि यह फैक्टरी स्थापित की जाये।

---

† मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह आजकल विदेश में हैं और वह पश्चिम जर्मनी भी जायेंगे। हम ने उन्हें परामर्श दिया है कि वह इस विषय पर और चर्चा करें। मेरा विश्वास है कि उनकी बातचीत का कोई परिणाम निकलेगा।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या यह सच नहीं है कि विद्युत् के अभाव में नेपा मिल में समुचित मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है और यदि विद्युत् उपलब्ध हो सके तो इसका उत्पादन तुरन्त ही १०० टन के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सही नहीं है। विद्युत् के बारे में कुछ कठिनाई हुई है किन्तु आजकल उसकी मांग पूरी हो रही है।

महात्मा गांधी की समाधि

+

†*१०५६. { **श्री राम कृष्ण** : **श्री बी० चं० शर्मा** : **श्री राधा रमण** : **श्री नवल प्रभाकर** : **श्री भक्त दर्शन** : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** ३१ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी की समाधि के बारे में विस्तृत योजनाएं और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समाधि के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) स्वीकृत डिजाइन के वास्तुविद् इस कार्य के प्रथम चरण की विस्तृत योजनायें तैयार कर रहे हैं।

†**श्री राम कृष्ण** : इसी प्रश्न के उत्तर में पिछली बार उपमंत्री जी ने कहा था कि छः महीने में विस्तृत योजना तैयार हो जायेगी। इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : अभी छः महीने नहीं हुए हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस दिन हम ने राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक पर विचार किया था। और भी तो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न।

दन्त-चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली कुर्सियां[1]

†*१०५८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंत चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली कुर्सियां अब इस देश में बनाई जाती हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dental chairs.

(ख) मूल्य रुप में उन की कुल वार्षिक आवश्यकता मूल्य के रूप में कितनी है; और

(ग) क्या इन कुर्सियों की सम्पूर्ण मांग को देशीय उत्पादन से पूरा करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) दंत-चिकित्सा के लिये प्रयुक्त की जाने वाली कुर्सियां बनाने वाली एक फर्म इस समय भारत में है । उत्पादन बढ़ाने के लिये पूर्ण प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

†**श्री वें० प० नायर** : द्वितीय पंच वर्षीय योजना में दंत-चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये २ करोड़ रुपये का उपलब्ध है और इसे ध्यान में रखते हुए योजना काल के पश्चात् देश में दंत-चिकित्सकों की संख्या बढ़ जायेगी । यदि कुर्सियां बनाने के बारे में कोई योजना नहीं हुई तो वे क्या करेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : दंत-चिकित्सा के लिये प्रयुक्त होने वाली कुर्सियां और दंत-चिकित्सा दो भिन्न-भिन्न बातें हैं । किन्तु देश में पहले ही एक फैक्टरी है जिसने १९५७-५८ में लगभग ४० कुर्सियां बनाई थीं । इस वर्ष अधिक उत्पादन होने की आशा है । हम ने निश्चित अनुमान नहीं लगाया है किन्तु उपरोक्त फर्म का अनुमान है कि प्रति वर्ष अधिकतम आवश्यकता १०० कुर्सियों की होगी । इसकी पूर्ति वह फर्म अथवा इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी फर्म से की जा सकती है ।

†**श्री वें० प० नायर** : दंत-चिकित्सा कुर्सी का एक विशेष भाग . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने एक प्रकार का सुझाव ही प्रस्तुत कर दिया था कि २,००० दंत-चिकित्सकों के लिये २,००० कुर्सियां होनीं चाहियें ।

†**श्री वें० प० नायर** : यह स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया गया है कि दंत-चिकित्सकों की संख्या कई गुना बढ़ जायेगी और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दंत-चिकित्सा की व्यवस्था रहेगी । बिना कुर्सी के यह सम्भव नहीं है । सरकार को मालूम होना चाहिये कुर्सियां इसके लिये प्रारम्भिक आवश्यकता है । साधारण कुर्सी में रोगी को बिठा कर हम उसका दांत बाहर नहीं खींच सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी कामना है कि प्रत्येक सदस्य के दांत ज्यों के त्यों बने रहें ।

†**सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्ति)** : चीन में बिना कुर्सी ही दांत बाहर निकाल लिये जाते हैं ।

दक्षिण ध्रुव प्रदेश का परिरक्षण[1]

+

†*१०५९. { **श्री वि० च० शुक्ल** :
श्री श्री नारायण दास :
श्री कोडियान :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण ध्रुव प्रदेश को वैज्ञानिक गवेषणाओं के लिये परिरक्षित करने के बारे में

†मूल अंग्रेजी में
[1]Preservation of Antarctic.

क्या अमरीकी सरकार के अनुग्रह पर एक सम्मेलन की आयोजना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये किन-किन देशों को आमंत्रित किया गया है; और

(ग) क्या इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिये भारत कोई योगदान कर रहा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और यदि सम्भव हो तो वैज्ञानिक गवेषणा के निर्बाध निस्पादन और दक्षिण ध्रुव प्रदेश का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये प्रयोग करने की एक सन्धि के लिये अमेरिका ने एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है।

(ख) अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चाइल, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, यूनियन आफ साउथ अफ्रीका, सोवियत रूस और ब्रिटेन।

(ग) भारत इस सम्मेलन का सदस्य नहीं है और प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : दक्षिण ध्रुव प्रदेश का शान्ति पूर्ण प्रयोग करने के प्रश्न की चर्चा फरवरी १९५६ में भी हुई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली की आगामी बैठक में इस प्रश्न पर विचार करने के लिये जोर देगी ?

†**श्री सादत अली खां** : कई कारणों से जनरल असेम्बली की आगामी बैठक में हम इस प्रश्न पर जोर नहीं देना चाहते हैं।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए क्या भारत सरकार कूटनीतिक माध्यमों में इस बात के लिये और प्रयत्न करेगी कि विश्व के सब देशों के साथ समान समझौते की सहायता से इस महाद्वीप का प्रयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये किया जाये ?

†**श्री सादत अली खां** : इस विषय में हमारी नीति सर्वथा स्पष्ट है। हमारी इच्छा है कि सम्पूर्ण विश्व के हित के लिये इस क्षेत्र का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये प्रयोग हो। उपयुक्त अवसर आने पर हम इस विषय पर पुनः चर्चा करेंगे।

†**श्री कोडियान** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत और अन्य एशियाई देश वैज्ञानिक गवेषणा तथा शान्तिपूर्ण विकास के लिये दक्षिण ध्रुव के परिरक्षण में रुचि रखते हैं फिर सम्मेलन में भारत और अन्य देशों के प्रतिनिधित्व के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्री सादत अली खां** : मैंने अभी अभी बताया है कि समुचित अवसर पर इस विषय की चर्चा की जायेगी।

†**श्री कोडियान** : क्या दक्षिण ध्रुव के शान्ति पूर्ण परिरक्षण के लिये सरकार के समक्ष कोई विशिष्ट प्रस्ताव हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : हाल के ज्ञापन में यह बात स्पष्ट कर दी गई है। मैं इसे पढ़ देता हूं। वह इस प्रकार है :

> "भारत सरकार का विचार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली इस राज्य क्षेत्र को शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये प्रयुक्त करने और विशेष रूप से, विश्व तनाव बढ़ाने

---

†मूल अंग्रेजी में

वाले कार्यों के लिये इस क्षेत्र का प्रयोग न करने अथवा मौजूदा तनाव को इस क्षेत्र तक न बढ़ने देने की स्वीकृति प्रदान करन के लिये सम्पूर्ण राष्ट्रों का आह्वान करे।"

†श्री दी० चं० शर्मा : वर्तमान परिस्थितियों में कौन-कौन से देश वैज्ञानिक गवेषणा अथवा अन्य किसी कार्य के लिये इस क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं ?

†श्री सादत अली खां : मैं ने अभी बताया है कि इस में रुचि रखने वाले देशों का एक सम्मेलन होने वाला है।

†श्री च० रा० पट्टाभिरामन् : भारत और श्रीलंका उक्त प्रदेश के निकटतम स्थित हैं और दक्षिण-पूर्वी मानसून का रुख भी इसी ओर है उन्हें देखते हुए क्या सरकार सम्मेलन में भाग लेने का प्रयत्न करेगी ?

†श्री सादत अली खां : भारत इस सम्मेलन का सदस्य नहीं है।

स्ट्रिशनीन[1]

+

†*१०६१. { श्री वें० प० नायर :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्ट्रिशनीन अथवा अन्य द्रव्य प्राप्त करने के लिये भारत में आजकल स्ट्रिशनोस नक्स-वोमिका[2] के बीज प्रयुक्त किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री वें० प० नायर : क्या सरकार के पास इस विषय में जानकारी है कि भारत से स्ट्रिशनोस नक्स-वोमिका के कितने बीज प्रति वर्ष बाहर भेजे जाते हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : मुझे नक्स-वोमिका बीजों की जानकारी नहीं है किन्तु मैं यह जानता हूं कि इन बीजों से तैयार होने वाले स्ट्रिशनीन हाइड्रो क्लोराइड्स और अलकलाइड्स यहां से विदेश भेजे जाते हैं।

†श्री वें प० नायर : क्या स्ट्रिशनीन से निर्मित अन्य वस्तुओं का भी आयात किया जाता है; और यदि हां, तो अलकलाइड्स अथवा स्ट्रिशनीन से व्युत्पन्न अन्य पदार्थों का कुल कितना मूल्य है ?

†श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है। यह प्रश्न निर्यात से सम्बन्धित है।

†श्री वें० प० नायर : यह निर्यात से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या सरकार के पास स्ट्रिशनीन के आयात के बारे में जानकारी है ? यह स्ट्रिशनीन उन स्ट्रिशनोस-नक्स-वोमिको बीजों से बनता है जिनके निर्यात पर हमारा एकाधिकार है।

† मूल अंग्रेजी में
[1]Strychnine
[2]Strychnos-nux-Vomica

†श्री सतीश चन्द्र : हम जब किसी वस्तु का उत्पादन और निर्यात कर रहे हैं तो सामान्यतया उसके आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

कपड़ा बनाने की मशीनें और सामान का निर्यात

†*१०६३. श्री दामानी: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से कपड़ा बनाने की मशीनें और सामान के निर्यात के संवर्द्धन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : जी हां ।

†श्री दामानी : क्या निर्यात में अभिवृद्धि करने के लिये वस्त्र उत्पादन की मशीनों के निर्माताओं की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†श्री कानूनगो : जी हां । हमारी उनके साथ निरन्तर चर्चा हो रही है । कपड़ा उत्पादन की मशीनों के निर्माताओं का एक एसोसिएशन बनाया गया है और उन्हें इंजीनियरिंग वस्तु निर्यात संवर्द्धन परिषद् से सम्बद्ध किया जा रहा है । किन्तु आजकल कपड़े की मशीनों का निर्यात नगण्य-सा है तथा आन्तरिक मांग बहुत अधिक है । वस्तुतः आन्तरिक मांग की पूर्ति करना कठिन हो रहा है ।

†श्री दामानी : क्या कपड़े की मशीनों के छोटे और बड़े एककों का उनकी क्षमता के बारे में सर्वेक्षण किया गया है—वे किस सीमा तक आन्तरिक मांग की पूर्ति कर सकते हैं और कितना निर्यात किया जा सकता है ?

†श्री कानूनगो : जी हां । सर्वेक्षण किया गया है और मालूम हुआ है कि कुछ कपड़ा निर्माताओं के पास चार वर्ष तक के लिये आर्डर हैं । अतः देश में ही इतनी मांग है कि उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है ।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या कपड़ा मशीनों के निर्माण में भारत आत्मभारित है और यदि नहीं, तो हम विदेशों पर किस सीमा तक निर्भर हैं ?

†श्री कानूनगो : यह बताने में काफी समय लगेगा । हम सब चीजों में आत्मनिर्भर नहीं हैं हम कताई, बुनाई, अन्य प्रकार की प्रारम्भिक और कार्डिंग मशीनों का निर्माण कर रहे हैं; कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम नहीं बना रहे हैं ।

†श्री स० म० बनर्जी : कुछ कपड़ा मिलें मशीनों के अभाव में बन्द हो गई हैं इसी लिये मैं पूछ रहा हूं कि हम किस सीमा तक स्वावलम्बी हैं और यदि नहीं, तो क्या हमें आयात पर निर्भर करना होगा ?

†श्री कानूनगो : कुछ वस्तुओं के बारे में हमें कुछ समय तक आयात का अवलम्बन लेना होगा ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : जब हमारा देश कपड़ा बनाने की मशीनों के बारे में आत्मनिर्भर नहीं है तो क्या मशीनों का निर्यात वांछनीय है ?

†श्री कानूनगो : जी हां, क्योंकि ये मशीनें बनती रहेंगी । और यदि हम निर्यात का माध्यम नहीं ढूंढते हैं तो हम आगे चल कर कठिनाई में पड़ जायेंगे ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री मुरारका : भारत में निर्मित मशीनों का कुल कितना मूल्य है और द्वितीय योजना का अन्तिम लक्ष्य क्या है ?

†श्री कानूनगो : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं।

†श्री जाधव : भारत से निर्यात किये जाने वाले विद्युत् चालित करघों की कितनी संख्या है ?

†श्री कानूनगो : उन का निर्यात नहीं किया जाता है ।

अखबारी कागज (न्यूज प्रिण्ट) का अभाव

+

†*१०६५. { श्री जगन्नाथ राव :
श्री आसर :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) की कमी के कारण नागपुर के तीन दैनिक समाचारपत्र और बम्बई के कुछ समाचारपत्र बंद होने की स्थिति में थे;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) देश में अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) का आन्तरिक उपभोग कितना है;

(घ) अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) भारत में कितना उत्पादित होता है और प्रतिवर्ष इस की कितनी मात्रा का आयात किया जाता है; और

(ङ) अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) का आन्तरिक उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख) अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) की कमी के कारण नागपुर के तीन समाचार पत्रों के बन्द होने की आशंका की खबर ज्योंहि सरकार को मिली, उन्हें नेपा मिल्स से कागज दिला कर और आयात किये गये कागज के तैयार स्टाक में से कागज देकर सहायता प्रदान की गई । बम्बई राज्य में किसी समाचार पत्र के इस प्रकार बन्द होने की आशंका से सरकार अवगत नहीं है ।

(ग) अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) की मांग शनैः शनैः बढ़ रही है और आशा है कि १९६०-६१ में १००,००० टन तक पहुंच जायेगी ।

(घ) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९०]

(ङ) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम शकनगर में १०० टन प्रति दिन अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) की उत्पादन क्षमता वाली एक फैक्टरी स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहा है ।

†श्री जगन्नाथ राव : उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं ने दो मिनट पहले ही इस का उत्तर दे दिया है। नेपा मिल्स अपने उत्पादन लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। यदि अस्थगित भुगतान की समुचित शर्तें उपलब्ध होने की स्थिति में हम एक और फैक्टरी की स्थापना का उपबन्ध करेंगे।

†**श्री जगन्नाथ राव** : नेपा मिल्स का उत्पादन लक्ष्य ३०,००० टन प्रति वर्ष है और वहां केवल १४,००० टन न्यूजप्रिंट का ही उत्पादन हो रहा है। नेपा मिल्स में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्रथम छः महीनों में इस फैक्टरी में लगभग १०,००० टन उत्पादन हुआ है। इस वर्ष उत्पादन २०,००० और २५,००० टन के बीच होगा। नेपा मिल्स का यह प्रयास श्लाघनीय है।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अनेक बार केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि नेपानगर में विद्युत् क्षमता बढ़ाने के लिये सहायता दी जाये, यदि हां, तो विद्युत् क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : नेपा मिल्स की वर्तमान अवस्था में सुधार करने के लिये अभी अभी एक प्रश्न रखा गया था। मैं लोक सभा को यह बता दूं कि नेपा मिल्स के पूंजीगत ढांचे के पुनर्संगठन के लिये हम ने हाल ही में प्रयत्न किया है और अब इस पर लगभग केन्द्र का नियंत्रण ही रहेगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस पर नियंत्रण रखेगा। हम ने एक नये मैनेजिंग डाइरेक्टर की नियुक्ति की है और ऊंचे पद वाले एक इंजीनियर को भी नियुक्त किया है ताकि वह इस की अवस्था के बारे में निर्णायक कार्यवाही कर सके। उपमंत्री महोदय ने अभी कहा है कि इस के उत्पादन में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है और मुझे बताया गया है कि गत दो महीनों में कोई हानि नहीं रही है। अभी तक नेपा मिल्स में हानि रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब स्थिति में सुधार हो गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर की सिफारिशों को दृष्टिगत करते हुए हम विद्युत् तथा अन्य सुविधाओं का उपबन्ध करेंगे।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : नीलगिरि में यूकलिप्टिस आदि कच्चा माल बहुतायत से मिलता है फिर क्या सरकार मद्रास में एक न्यूजप्रिंट फैक्टरी स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : नीलगिरि में उपलब्ध वस्तुयें एक्स-रे फिल्मों आदि के निर्माण के लिये उपयुक्त हैं और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या वहां मिल स्थापित किया जा सकता है।

†**श्री पी० रा० रामकृष्णन्** : न्यूजप्रिंट के निर्माण में बगासे भी एक कच्चा पदार्थ हो सकता है इसे ध्यान में रखते हुए क्या बगासे को प्रयुक्त करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मैं ने कहा था कि हैदराबाद के निकट शकनगर में न्यूजप्रिंट फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। वहां पर कच्चे पदार्थ के रूप में बगासे प्रयुक्त किया जायेगा।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या साफ्ट वुड से न्यूजप्रिंट तैयार करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है क्योंकि बांस की स्थिति संतोषजनक नहीं है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र : साफ्ट वुड कागज बनाने के काम आती है।

†श्री वें० प० नायर : मैं यह जानने का प्रयत्न कर रहा था कि न्यूजप्रिंट बनाने के लिये सर्वथा साफ्ट वुड पर निर्भर रहने वाली फैक्टरी स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो यह कहां स्थापित की जायेगी ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : न्यूजप्रिंट के लिये सामान्य कच्चा पदार्थ पाइन किस्म की लकड़ी है और यह हिमालय में उपलब्ध है। इस विषय में अनेक योजनाओं पर विचार किया गया है। किन्तु इन कच्चे पदार्थों को आर्थिक दृष्टि से प्रयुक्त करने में कठिनाइयां हैं। अतः इन कोनीफरस[1] लकड़ियों को प्रयुक्त करने की अभी कोई योजना नहीं है।

†श्री वें० प० नायर : पश्चिमी घाटों में साफ्ट वुड है।

†श्री रंगा : राजमुंद्री में आंन्ध्र पेपर मिल्स में न्यूजप्रिंट का उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ कार्यवाही की गई है ? क्या शकनगर में इस नवीन फैक्टरी की स्थापना के प्रयत्न में आवश्यक विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में सरकार आश्वस्त है ?

†श्री कानूनगो : बगासे से न्यूजप्रिंट का उत्पादन एक नई बात है जिसका भारत में प्रयत्न नहीं किया गया है। शकनगर की योजना के पश्चात् अन्य योजनायें भी प्रारम्भ की जायेंगी।

†श्री रंगा : शकनगर मिल्स की स्थापना में कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता उत्पन्न होगी ? अथवा यह केवल कागजी योजना ही है ?

†श्री सतीश चन्द्र : पूर्व प्रश्न के उत्तर में मैं ने इसी बात का उत्तर दिया है। अस्थगित भुगतान की शर्तों के बारे में बार्ता चल रही है और उद्योग मंत्री विदेश के दौरे पर गये हैं। लौटते समय वह पश्चिम जर्मन जायेंगे तथा अस्थगित भुगतान के आधार पर ऋण प्राप्त करने की सम्भावनाओं की खोज करेंगे, ताकि हम शकनगर में फैक्टरी स्थापित कर सकें।

†श्री महन्ती : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में इस न्यूजप्रिंट का निर्यात राज्य व्यापार निगम के मार्फत होता है अथवा प्राइवेट निर्यातकर्ताओं की सहायता से किया जाता है ? दीर्घ कालीन आयात के लिये राज्य व्यापार निगम क्या कीमत देता है ?

†अध्यक्ष महोदय : हम एजेंसी की चर्चा कर रहे हैं। मूल प्रश्न तो तीन समाचार पत्र बंद होने की आशंका और उन के लिये न्यूजप्रिंट की व्यवस्था से सम्बन्धित था। न्यूजप्रिंट का आयात कौन करता है यह प्रश्न इस से सर्वथा पृथक है।

†श्री महन्ती : मैं प्रश्न के (घ) भाग की ओर निर्देश कर रहा हूं।

†अध्यक्ष महोदय : भाग (घ) का सम्बन्ध उन सरकारी कार्यवाहियों से है जो स्थिति का सामना करने के लिये उठाई गईं थीं।

†श्री महन्ती : मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये न्यूजप्रिंट की कीमत प्राइवेट निर्यातकर्ताओं की तुलना में काफी ऊंची थी।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य शर्तों आदि का उल्लेख कर रहे हैं। यह तो आन्तरिक उत्पादन और बाहर से आयात के सम्बन्ध में है। अब वह कीमत और एजेंसी आदि की चर्चा कर रहे हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में।

[1]Coniferous.

मैं इस की अनुमति नहीं दूंगा। इसे अलग प्रश्न के रूप में पूछिये। एक प्रश्न में २० मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिये।

सुराला और सुमादी नमक कारखाने

†१०६७. श्री पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार ने उड़ीसा के सुराला और सुमादी नमक कारखाने को वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है जिस से गंजम में सुनापुर के निकट समुद्र को मुहाने को समस्त वर्ष के लिये खुला रखा जा सके; और

(ख) क्या सुराला और सुमादी को मिलाने वाली सड़क बनाने के लिये कोई अनुदान दिया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख) जी नहीं।

†श्री पाणिग्रही : क्या मैं उड़ीसा के नमक कारखानों की कठिनाइयां जान सकता हूं ? क्या उन्होंने भारत सरकार को कुछ वित्तीय सहायता दिये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन भेजा है ?

†श्री सतीश चन्द्र : सुराला और सुमादी के नमक कारखानों के सुधार के लिये कुछ योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। वहां के प्रादेशिक मंत्रणा बोर्ड ने कुछ सिफारिशें की हैं। उन पर केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने विचार किया था और अब हम उन पर विचार कर रहे हैं। जिन योजनाओं की सिफारिश की गई है उन पर लगभग १,५३,००० रुपये लागत आयेगी। उन पर विचार किया जायेगा और तब लागू होंगी।

†श्री पाणिग्रही : क्या भारत सरकार ने उड़ीसा के नमक कारखानों को अब तक किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता दी है ?

†श्री सतीश चन्द्र : नमक कारखानों को सहायता सदा अनुदानों अथवा ऋण के रूप में नहीं दी जाती है। सामान्य सेवाओं जैसे नमक कारखानों के निकट सड़कों की मरम्मत, रेलवे साइडिंग की बढ़ोत्तरी आदि के द्वारा भी सहायता की जाती है। यह काम समय समय पर कराये जाते हैं।

†श्री पाणिग्रही : क्या उड़ीसा के नमक उद्योग ने भारत सरकार को अभ्यावेदन भेजा है कि क्योंकि दक्षिण से नमक का आयात किया जाता है इसलिये उड़ीसा में उत्पादित नमक बिक नहीं रहा है और इसलिये उन को हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है कि उड़ीसा में उड़ीसा का बनाया गया नमक ही बिके ?

†श्री सतीश चन्द्र : उड़ीसा में उड़ीसा का बनाया गया नमक ही बिकता है। तथ्य यह है कि उड़ीसा में नमक की आवश्यकता २६ लाख मन है और स्थानीय कारखानों में १० लाख से ११ लाख मन उत्पादन किया जाता है। इसलिये शेष का बाहर से आयात किया जाता है।

---

† मूल अंग्रेजी में

भारतीय इंजीनियरी शिष्टमंडल

+

†१०६८. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय इंजीनियरी शिष्टमंडल का, जो इस वर्ष के आरम्भ में सुदूर-पूर्व गया था, प्रतिवेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो कब मिला था और प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) ११ अगस्त, १९५८ को प्रतिवेदन मिला था । शिष्टमंडल की सिफारिशों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९१]

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९१]

†श्री सुबोध हंसदा : विवरण से पता लगता है कि जिन इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है वह निम्नलिखित हैं : (क) रियायती मूल्यों पर इस्पात की प्राप्यता (ख) रेलवे तथा जहाजों की विशेष भाड़ा दरें (ग) निर्यात से होने वाली आय पर आय-कर से छूट (घ) कच्चे माल का आयात करने के लिये तथा उद्योग के विकास के लिये इस के द्वारा प्राप्त विदेशी विनिमय के एक अंश को व्यापार में लगाना । इन सुझावों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री कानूनगो : कुछ कार्यवाही की गई है । रियायती दरों पर इस्पात दिया जाने लगा है । विभिन्न अन्य कई सिफारिशें हैं जिन पर निर्यात संवर्धन परिषद् विचार करेगी । ये मामले बैंकिंग सुविधायें, नौवहन सुविधायें आदि हैं जिन के बारे में विभिन्न संगठनों से बातचीत की जा रही है ।

†श्री सुबोध हंसदा : मैं जानना चाहता हूं कि भारत से निर्यात की जाने वाली इंजीनियरी वस्तुओं के विदेशों में, विशेषतया सुदूरपूर्व के देशों में प्रचार के लिये किस प्रकार की व्यवस्था की गई है ?

†श्री कानूनगो : पिछले तीन वर्षों में कोई निर्यात नहीं किया गया परन्तु इस वर्ष चार करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है। इंजीनियरी वस्तु निर्यात संवर्धन परिषद् निर्यात बढ़ाने के लिये शिष्टमंडल भेजती है । अन्तिम शिष्टमंडल अभी हाल ही में भेजा गया था । उन क्षेत्रों के आस पास हमारे बाजार सर्वेक्षण कार्यालय भी हैं । इस प्रकार सभी आवश्यक कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या विदेशी सार्थों को आमंत्रित किया गया है कि वे भारतीय सार्थों के साथ मिल कर भारत में अलग अलग पुर्जे जोड़ कर इंजीनियरी का सामान तैयार करने वाले कारखानों की स्थापना करें, और यदि हां, तो उन सार्थों के नाम क्या हैं ?

†श्री कानूनगो : यह एक सामान्य प्रश्न है । भारत में इंजीनियरी के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी फर्मों की सहकारिता से कारखाने चल रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण से पता लगता है कि प्रकाशन के पूर्व १० जुलाई को हुई अन्तर्विभागीय बैठक में शिष्टमंडल की मुख्य सिफारिशों पर चर्चा की गई थी और इस बैठक में किये गये निर्णयों पर अमल किया जा रहा था। परन्तु विवरण में इन निर्णयों के बारे में कुछ नहीं दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस अन्तर्विभागीय बैठक में क्या निर्णय किये गये थे ?

†**श्री कानूनगो** : जैसा कि मैं ने बताया, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन को सरकार लागू कर देती है, परन्तु कुछ ऐसे होते हैं जिन के सम्बन्ध में विभिन्न प्राधिकारियों, जैसे, नौवहन, रेलवे तथा अन्य से चर्चा करनी होती है। रियायती दर पर कच्चे माल के संभरण के रूप में तात्कालिक सहायता दी गई है तथा अन्य बातों पर विचार हो रहा है।

†**श्री तंगमणि** : क्या शिष्टमंडल की सिफारिश के अनुसार 'आफटर सेल्स सर्विस' सुदूरपूर्व के देशों में स्थापित कर दी गई है, और यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री कानूनगो** : अभी स्थापित नहीं की गई है। कुछ निर्माता इन्हें स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

भारत-तिब्बत व्यापार

+

†*१०६९. { **श्री हेम बरुआ** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री, ११ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत में भारतीय व्यापारियों को कीमत अदा करने और अन्य बातों के संबंध में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या उन के संबंध में चीन सरकार से समझौता वार्ता अब पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता का क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। हमें यह सलाह दी गई है कि हम ल्हासा स्थित अपने व्यापार-प्रतिनिधि और कौंसल जनरल के जरिये से चीन के तिब्बत क्षेत्र के अधिकारियों से यह प्रश्न उठायें। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। जहां तक भुगतान करने से संबंधित कठिनाइयों का प्रश्न है, भुगतान का संतोषप्रद तरीका निकालने के लिये भारतीय और चीनी बैंकों के बीच सलाह-मशविरा चल रहा है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि चीनी अधिकारियों ने चांदी के डालरों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है और वह नोट चला रहे हैं जो हमारे व्यापारी लेना नहीं चाहते ? यदि हां, तो तिब्बत में भारतीय वस्तुओं की बिक्री कम होने का एक कारण यह भी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं यह कह सकता हूं कि कुछ समय पूर्व प्रतिबन्ध लगाया गया था लेकिन जहां तक अभी का प्रश्न है, तिब्बत में चांदी के डालर हैं ही नहीं। उन की जगह अब नोट चलाये गये हैं। जहां तक व्यापार के परिमाण का प्रश्न है, उस के सम्बन्ध में जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन से तो यह पता नहीं चलता कि बिक्री घटी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : लेकिन चांदी के डालरों का बन्द किया जाना, नोट जारी करना और हमारी बैंकों के नाम चैक देना जिन्हें वह बैंकें स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, आदि ही वह कारण हैं जिन की वजह से व्यापार घट रहा है। इसीलिये मैं ने यह प्रश्न पूछा है। मैं नहीं समझता कि इस जवाब में उस प्रश्न का उत्तर भी मिलता है।

†श्री सतीश चन्द्र : माननीय सदस्य का यह ख्याल गलत है कि व्यापार में कमी हुई है। व्यापार में कमी नहीं हुई है। मैं उन्हें आंकड़े दे सकता हूं। १९५६ के २,८२,५४,००० रुपयों के निर्यात की तुलना में १९५७ में २,८६,१४,००० रुपयों का निर्यात हुआ।

चांदी के डालर वहां नहीं हैं। यदि कोई देश अपनी चलार्थ प्रणाली बदल दे और चांदी के डालर न मिलें लेकिन माल मिलता हो तो इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता। हां, भुगतान संबंधी कठिनाइयों की जांच करनी पड़ती है क्योंकि एक देश की मुद्रा दूसरे देश में नहीं चलायी जा सकती।

†श्री च० द० पाण्डे : क्या सरकार को पता है कि पहले सीमा पर अपनी ओर वस्तुओं की अदला-बदली की जाती थी और इस देश से भेजे जाने वाले माल के बदले में हमें बोरैक्स और ऊन दी जाती थी अब उन्होंने बोरेक्स और ऊन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और इसी लिये मुद्राओं की कठिनाई भी उठी है।

†श्री सतीश चन्द्र : यह सच है कि कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। पहले, भौगोलिक कारणों से तिब्बत का पूरा व्यापार भारत से ही होता था। अब तिब्बत और चीन के बीच में बढ़िया सड़कों का सम्पर्क कायम हो गया है और उन्होंने अब अपनी व्यापारिक-नीति में परिवर्तन कर दिया है।

†श्री रंगा : क्या यह सच है कि तिब्बत से व्यापार का सन्तुलन भारत के लिये अनुकूल है, और यदि हां, तो क्या सरकार और सरकार के बीच बातचीत द्वारा इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा है कि भारत को जो राशि देय हो उसके बदले चीन से चीनी माल ले लिया जाय ?

†श्री सतीश चन्द्र : जी हां, इन अवशिष्ट राशियों के भुगतान के लिये संतोषप्रद प्रबन्ध करने की दृष्टि से भारत के राज्य बैंक और चीनी राष्ट्रीय बैंक के बीच बातचीत चल रही है।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस गति से यह बातचीत चल रही है, देर से देर कब तक इस बारे में अन्तिम फैसला होने की आशा की जाती है ?

श्री सतीश चन्द्र : इसके बारे में कोशिश तो बहुत की जा रही है। अभी एक महीना भी नहीं हुआ जब चीन के जो यहां कमर्शियल कौंसिलर हैं उनसे मिनिस्ट्री में बहस हुई, बातचीत हुई। बैंक से अलग बात चल रही है। कोशिश यही की जा रही है लेकिन उसकी वजह से कोई तिजारत रुक गई है, ऐसा नहीं है।

मंगनीज की खानों का बन्द किया जाना

+

†*१०७१. { श्री पाणिग्रही :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश की कई मैंगनीज खानों के, जिनमें शिवराजपुर की मैंगनीज खान भी शामिल है, बन्द किये जाने की खबर का पता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन्हें किन कारणों से बन्द किया गया है; और

(ग) क्या सरकार इनके बन्द किये जाने के कारणों की जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त करने वाली है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी हां।

(ख) मुख्य कारण हैं :—

(१) विदेशों के बाजारों में मैंगनीज अयस्क की मांग में कमी।

(२) लो ग्रेड मैंगनीज अयस्क के बाजारों में मन्दी और संचालन व्यय अत्यधिक होने के कारण।

(ग) जी नहीं।

†श्री पाणिग्रही : हमारे एक पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि लगभग १३८ मैंगनीज अयस्क की खानें बन्द हो गयी हैं। ये कितने स्थानों में बन्द हुई हैं और इसका प्रभाव कितने मजदूरों पर पड़ा है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : मैं उन स्थानों के नाम तो नहीं बता सकता लेकिन १९५७ में कुल ५४ मैंगनीज खानें बन्द हुई थीं और इस वर्ष ८२ खानों के बन्द होने की खबर है।

मैं मजदूरों की संख्या नहीं बता सकता। इसके लिये मुझे पृथक् पूर्व-सूचना चाहिये।

†श्री पाणिग्रही : उड़ीसा के एक कारखाने में ७००० से भी अधिक मजदूर बेकार हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। लेकिन वह चाहते क्या हैं ? माननीय मन्त्री के पास तथ्य मौजूद नहीं हैं।

†श्री पाणिग्रही : खान के बन्द कर दिये जाने के कारण ७००० श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं।

†अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं कि क्या कार्यवाही की गयी है। लेकिन क्या किया जाय ?

†श्री पाणिग्रही : खानों को चालू करने की व्यवस्था की जाय।

†श्री ल० ना० मिश्र : खानों को चालू करने की व्यवस्था करना उतना आसान नहीं है जितना माननीय सदस्य कहते हैं क्योंकि दुनिया के बाजारों में और विशेष रूप से अमरीका में मन्दी आ जाने के फलस्वरूप मैंगनीज अयस्क की खानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इस समय कुछ भी उत्साहप्रद नहीं है।

†श्री बोस : क्या यह सच है कि यह खान अयस्क घटिया किस्म की होने के कारण बन्द की गयी है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : जी हां, यह भी एक कारण है।

†श्री हेम बरुआ: निर्यात व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्ध कुछ मैंगनीज की खानों के बन्द किये जाने के लिये किस सीमा तक उत्तरदायी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : इसका इलाज क्या है ? मन्त्री महोदय कहते हैं कि दुनिया के बाजारों में उसकी मांग नहीं है । माननीय सदस्य यह चाहते कि वे इन खानों को खोल दें । वह क्या करें ? माननीय सदस्यों को सदा ऐसे प्रश्न पूछने चाहियें जिनका फल रचनात्मक हो ।

†श्री हेम बरुआ: निर्यात व्यापार पर यह प्रतिबन्ध भी खानों के बन्द किये जाने के लिये उत्तर-दायी हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : यह सब को पता है । दूसरा व्यक्ति नहीं खरीदता । प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है । ऐसी हालत में क्या होना चाहिये ? माननीय सदस्य रचनात्मक सुझाव नहीं देते ।

†श्री पाणिग्रही : खान-मालिकों ने खानों को बन्द करने के कारण बताये हैं । उनका कहना है कि ये खानें माल-डिब्बे न दिये जाने और कोटा पाने वालों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण बन्द होती जा रही हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : तब उन्हें यह प्रश्न पूछना चाहिये कि क्या यह माल डिब्बे न दिये जाने या माल डिब्बे देने में देरी के कारण हैं ?

†श्री पाणिग्रही : जी हां । मेरा सवाल यही है ।

†अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं उन्हें सवाल क्यों सुझाऊं ।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह खान पर वैगनों के न दिये जाने के कारण हैं क्यों कि उसे समय से नहीं हटाया जाता ?

†श्री ल० ना० मिश्र: यह बात हमारी जानकारी में तो नहीं है । यह परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की कमी के कारण नहीं है ।

अखिल भारतीय पैट्रोलियम श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल

+

†*१०७२. { श्री स० म० बनर्जी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री तंगामणि :
श्री वाजपेयी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय पैट्रोलियम श्रमिक संघ आम हड़ताल का आह्वान करने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाहियां की गयी हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९२]

†**श्री स० म० बनर्जी** : विवरण से प्रतीत होता है कि अखिल भारतीय पैट्रोलियम श्रमिक संघ के प्रतिनिधि १६ अगस्त, १९५८ को श्रम मंत्री से मिले थे। मुझे यह खबर है कि श्रम मंत्री से यह आश्वासन पाकर उन्होंने हड़ताल स्थगित कर दी थी कि एक राष्ट्रीय न्याय-निर्णयन न्यायाधिकरण की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जायगा। क्या श्रम मंत्रालय अब भी इस विषय पर गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रहा है और क्या इस न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जायगी ?

†**श्री आबिद अली** : यह कहना ठीक नहीं है कि जब फेडरेशन के प्रतिनिधि हम से मिले थे तो उन्हें कुछ आश्वासन दिया गया था। कमरे से निकलते ही उन्होंने प्रतीक-हड़ताल और इसी प्रकार की तमाम बातों की घोषणा की थी।

†**श्री स० म० बनर्जी** : विवरण में कहा गया है कि तेल-वितरण उद्योग के औद्योगिक सम्बन्ध राज्यों के क्षेत्र में आते हैं। यदि वे हड़ताल करें तो क्या केन्द्र दर्शकमात्र बना रहेगा या हस्तक्षेप करेगा ? मंत्री महोदय से मिलने यहां उनका जो शिष्टमण्डल आया है उसका क्या फल निकला है ?

†**श्री आबिद अली** : हमारे ख्याल से हड़ताल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बल्कि हमें तो फेडरेशन के उपाध्यक्ष के पास से मद्रास से यह पत्र मिला है कि इस सम्पूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में समझौते की बातचीत चल रही है। कई यूनियनों ने भी हमें लिखा है कि वे बातचीत कर रहे हैं और यदि फेडरेशन बहुत अधिक हस्तक्षेप न करे तो स्थानीय यूनियन प्रत्येक क्षेत्र के बारे में तेल कम्पनियों से मामला तय कर लेंगे।

†**श्री बोस** : पैट्रोलियम श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है और कुल कितने मालिक हैं और क्या उनकी नौकरी की शर्तें एक सी हैं ?

†**श्री आबिद अली** : लगभग २१,००० पैट्रोलियम श्रमिक हैं। नौकरी की शर्तें एक सी नहीं हैं।

†**श्री बोस** : मालिकों की संख्या कितनी है ?

†**श्री आबिद अली** : पांच।

†**श्री तंगामणि** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये कर्मचारी तीन बड़ी पैट्रोलियम कम्पनियों के अधीन काम करते हैं, क्या सरकार बोनस और मजूरी के दो मुख्य प्रश्नों के बारे में क्षेत्रीय न्यायाधिकरणों के स्थान पर एक अखिल भारतीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री आबिद अली** : मालिकों की संख्या चार है। जहां तक क्षेत्रीय न्यायाधिकरणों का प्रश्न है, इनकी नियुक्ति का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यूनियनों को क्षेत्रीय बोनस के सम्बन्ध में समझौता हो जाने की आशा है।

†**श्री प्रभात कार** : क्या यह सच है कि श्रम मन्त्री ने पैट्रोलियम कम्पनियों के प्रबन्धकों से चर्चा की थी और यह तय हो गया था कि एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाय ?

†**श्री आबिद अली** : जैसा मैं पहले बता चुका हूं, यह बात सच नहीं है कि कोई आश्वासन दिया गया था या कि कोई बात तय हुई थी। मैं फिर दोहरा दूं स्थिति यह है कि क्षेत्रों के यूनियन यह

†मूल अंग्रेजी में

दावा कर रहे हैं कि यदि फेडरेशन हस्तक्षेप न करे तो बोनस के सम्बन्ध में श्रमिकों और तेल कम्पनियों के बीच समझौता हो जाने की पूरी आशा है। वास्तव में बम्बई में तो समझौता हो भी गया है और लगभग ५० प्रतिशत श्रमिकों को बोनस मिल भी चुका है।

†**श्री तंगामणि** : उपमन्त्री महोदय कहते हैं कि जब फेडरेशन हो तो फेडरेशन को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और केवल यूनियनों को ही.....

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका ऐसा विचार नहीं है। उनका कहना है कि संघ इसके खिलाफ हैं और वे फैडरेशन का हस्तक्षेप नहीं चाहते। उन्होंने यही कहा है।

†**श्री तंगामणि** : क्या इन श्रमिकों में से अधिकांश श्रमिक फेडरेशन के अधीन हैं या उससे बाहर हैं और क्या यह सच नहीं है कि यद्यपि लगभग चार महीने पहले एक यूनियन ने बम्बई में बोनस के प्रश्न पर समझौता कर लिया था, फिर भी अधिकांश श्रमिकों को अभी बोनस नहीं मिला है ?

†**श्री आबिद अली** : बम्बई में अधिकांश श्रमिकों को बोनस मिल चुका है। जहां तक इस दूसरे प्रश्न का सवाल है कि अधिकांश श्रमिक फेडरेशन में हैं या नहीं, मैं पहले बता चुका हूं कि इस उद्योग के औद्योगिक सम्बन्ध राज्यों के क्षेत्र में हैं और हमने विभिन्न यूनियनों के दावों की जांच नहीं की है। फेडरेशन के, जिसके प्रतिनिधि हमसे मिले थे, उपाध्यक्ष ने हमें लिखा है कि यह प्रश्न क्षेत्रों में ही तय करने के लिये छोड़ दिया जाय।

पुराने किले में विस्थापित व्यक्ति

\+

†*१०७३. श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती सुचेता कृपालानी :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुराना किला शिविर के टेनेमेन्ट्स का किराया कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब कितना किराया निर्धारित किया गया है और यह कमी किन कारणों से की गयी है ; और

(ग) पुराने किले के विस्थापित व्यक्तियों को उनके मौजूदा स्थान के बदले में ठीक-ठीक किस प्रकार का स्थान दिया गया है ;

(घ) यह किन शर्तों पर दिया गया है ;

(ङ) उनमें से कितनों को भूमि देने का प्रस्ताव किया गया है ; और

(च) उन जमीनों पर मकान बनवाने के लिये सरकार कितना धन देगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां।

(ख) ४ रुपये ४५ नये पैसे प्रति टेनेमेन्ट प्रति माह। किराया कम करने का बुनियादी कारण यह था कि क्योंकि यह टेनेमेन्ट अस्थायी हैं और ये रहने वालों को स्थायी रूप से नहीं दिये जा रहे हैं इसलिये जमीन का केवल प्रतीक-मूल्य निर्माण की लागत में शामिल किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पुराने किले के १३५ विस्थापित व्यक्तियों को बने बनाये मकान और शेष को लगभग १००–१०० वर्ग गज भूमि के छोटे छोटे टुकड़े लाजपतनगर में देने का प्रस्ताव किया गया है। यदि कोई व्यक्ति पुराने किले में एक से अधिक टेनेमेण्ट में रह रहा हो तो उसे दो प्लाट दिये गये हैं।

(घ) जिन शर्तों पर इन विस्थापित व्यक्तियों को बदले में दूसरे स्थान दिये गये या देने के प्रस्ताव किये गये हैं वह वही हैं जो प्रतिकर योजना के अधीन अन्य विस्थापित व्यक्तियों पर लागू होती हैं।

(ङ) ५५४।

(च) एक भी नहीं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या पुराने किले के निवासियों ने जंगपुरा में जमीनें देने का अनुरोध किया था ? क्या वह जमीन प्रतिरक्षा मन्त्रालय से वापस ले ली गयी है और क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय उन्हें वहां बसायेगा ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह अनुरोध २ या ३ वर्षों से भी अधिक पुराना है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर दिया जा चुका है कि यह जमीन उपलब्ध नहीं है। यह प्रतिरक्षा मंत्रालय के पास है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : भारत सरकार के प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो द्वारा निकाले गये इस प्रेस-नोट में पुनर्वास मन्त्रालय ने कहा है :

> "केवल १४९ परिवारों ने छोटे प्लाट स्वीकार किये हैं और उन्हें अपने प्लाटों पर इमारत खड़ी करने के लिये ६ महीने का समय दिया गया है।"

फिर उसमें कहा गया है :

> "इसलिये यह निश्चय किया गया है कि जो व्यक्ति जुलाई, १९५८ के अन्त तक उन प्लाटों को स्वीकार नहीं करते जिनका उनसे प्रस्ताव किया जाय, वह प्राथमिकता देकर निबटारे का अपना अधिकार खो देंगे।"

उन्होंने वास्तव में किन परिस्थितियों में इन प्लाटों को स्वीकार नहीं किया और क्या उन सभी लोगों को स्थान देने के लिये यह तारीख बढ़ाई जायेगी जिनसे प्लाट खाली कराने की सम्भावना हो ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हम पुराना किला खाली कराने के लिये पिछले ३ या ४ वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रस्ताव किये जा चुके हैं और आश्वासन तक दिये जा चुके हैं लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। कुछ परिवार वहां से वास्तव में हट भी चुके हैं। कुछ को प्लाट देने का प्रस्ताव किया गया जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। हम इन प्रस्तावों को अनिश्चित काल तक खुला नहीं रख सकते। मैं चाहता हूं कि यह समस्या हल हो जाय।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जहां तक हमें मालूम है, पुराने किले के शरणार्थियों ने पिछले पुनर्वास मंत्री के काल में वास्तव में अपने मकान बनवाये थे। जिन लोगों को लाजपतनगर में जमीनें दी जा रही हैं क्या उन्हें मन्त्रालय से मकान बनाने के लिये ऋण भी दिये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** माननीया सदस्य सभा को जो जानकारी देने का प्रयास कर रही हैं वह गलत है। पहली बात तो यह है। जहां तक ऋणों का सम्बन्ध है मैं बता चुका हूं कि यह नहीं दिये जायेंगे।

†**श्री तंगामणि :** मन्त्री महोदय ने कहा कि १३५ परिवारों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और वह किसी अन्य स्थान को चले गये हैं। अब पुराने किले में कुल कितने परिवार हैं और क्या उनकी संख्या ५६६ नहीं है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मेरी जानकारी के अनुसार उनकी संख्या ५५४ है। मेरा ख्याल है कि उनमें से १७७ यह प्रस्ताव स्वीकार कर चुके हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मन्त्री महोदय ने कहा कि उन्हें प्लाट देने का प्रस्ताव किया गया है। क्या यह सच है कि यह प्लाट १४रुपये प्रति वर्ग की दर पर देने का प्रस्ताव किया गया है और मकान बनाने के लिए उनके लिये कुछ भी राशि मंजूर नहीं की गयी है ? वे वहां काफ़ी रुपया खर्च कर चुके हैं। अब वे अपने मकान कैसे बनायेंगे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के प्रश्न के उत्तर में मैं बिल्कुल इसी प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। ये टेनेमेण्ट सरकारी खर्च से बनाये गये हैं। आरम्भ में मेरा ख्याल है कि प्रत्येक टेनेमेण्ट के लिये १०० रुपये की रकम.....

†**श्री स० म० बनर्जी :** पुराने किले में ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं पुराने किले की ही बात कर रहा हूं। उन्होंने वह रकम पेशगी जमा कर दी थी। मेरे ख्याल से इस बात को ८ या १० वर्ष हो चुके हैं। वह राशि किराये में जमा कर ली गयी है। प्रत्येक टेनेमेण्ट की कीमत, जहां तक मुझे स्मरण है, १२०० या १५०० रुपये होगी। आवंटियों में से प्रत्येक ने उस समय लगभग १०० रुपये दिये थे। जहां तक ऋणों का सम्बन्ध है, हम अब और ऋण नहीं दे रहे हैं। ऋण देने की योजना काफी दिन पहले बन्द की जा चुकी है। यदि ये लोग निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय की ऋण योजना से लाभ उठाना चाहें उन का स्वागत है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री नवल प्रभाकर :** एक प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं कई प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं क्या वे तब खड़े हुए थे ?

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि १७७ व्यक्तियों ने हमारी आफ़र को मंजूर कर लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपकी आफ़र को मंजूर कर लिया है, उन को क्या सुविधायें दी जायेंगी—उन को बने हुए मकान दिये जायेंगे या कुछ और दिया जायगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य ने शायद सवाल का जवाब नहीं सुना। मैं ने कहा है कि हम उन को कम्पेन्सेशन स्कीम के तहत लाजपतनगर में प्लाट दे रहे हैं। जैसे दिल्ली में और भाइयों को—लाखों शरणार्थियों को—हम ने सुविधायें दी हैं, उन को भी उसी किस्म के कनसेशन्ज मिलेंगे।

श्री नवल प्रभाकर : जिन के कम्पेन्सेशन नहीं हैं, उनका क्या होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मेहर चन्द खन्ना : जिन के कम्पेन्सेशन नहीं हैं, वे नान-क्लेमेंट होंगे। जिनका पाकिस्तान में भी अपना मकान नही था, वे हिन्दुस्तान में भी किरायेदार रहें, तो कोई हर्ज नहीं है।

पटेल नगर बस्तियां

†*१०७४. **श्री भा० कृ० गायकवाड़:** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसख्यक-कार्य** मंत्री ५ सितम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७८ और ५ सितम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८०४ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या साउथ पटेल नगर में बनाये गये २ कमरों वाले मकानों और ईस्ट पटेल नगर में बनाये गये ३ कमरों वाले मकानों की वास्तविक लागत को अन्तिम रूप से निश्चित कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप से निश्चय कब किया गया और उपर्युक्त श्रेणियों में से प्रत्येक प्रकार के मकानों की अन्तिम रूप से निश्चित लागत कितनी है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी हां।

(ख) २० जून, १९५७। साउथ पटेल नगर के दो कमरे वाले मकान की अन्तिम लागत ६,४०४ रुपये और ईस्ट पटेल नगर के ३ कमरे वाले मकान की लागत ५,८७१ रुपये है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** इन दोनों में अन्तर क्यों है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मकानों की लागत में अन्तर होने के कारण कई हो सकते हैं। अलग-अलग समय पर जिन ठेकेदारों को आमंत्रित किया जाता है वे भिन्न होते हैं। बाजार के भावों में घट-बढ़ की वजह से निर्माण की लागत में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। और फिर सब से महत्वपूर्ण बात भरी गयी मिट्टी के सम्बन्ध में होती है। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर निर्माण कर रहे हों जहां मिट्टी बहुत भरनी हो तो बुनियाद डालने का व्यय स्वाभाविक रूप से ही बढ़ जायेगा।

हाथकरघे के कपड़े की कीमत में छूट

†*१०७६. **श्री सुबोध हंसदा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघे के कपड़े की बिक्री में १ रुपये पर ६ नये पैसे की सामान्य छूट (रिबेट) के अलावा जो विशेष छूट की गयी है क्या उससे १ अप्रैल, १९५८ से हथकरघे के कपड़े की बिक्री बढ़ गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) हथकरघे के कपड़े की विभिन्न फुटकर दूकानों या बुनकरों की सहकारी समितियों को विशेष छूट की राशि पूरी करने के लिये धन देने में सरकार ने कुल कितना व्यय किया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) पूरे हथकरघा क्षेत्र के सम्बन्ध में ठीक-ठीक आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं लेकिन कुछ शीर्षस्थ और प्रारम्भिक समितियों से मिली खबरों से पता चलता है कि मई-जून के काल में बिक्री मार्च-अप्रैल की तुलना में ५ से ४० प्रतिशत तक बढ़ गयी थी। इसके बाद के काल के सम्बन्ध में सूचनायें अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विशेष अतिरिक्त घटौती पर प्रतिमाह का व्यय १५ लाख पये कूता गया है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि हथकरघे के कपड़े की बिक्री बढ़ी है। फिर यह विशेष घटौती पूरे वर्ष भर क्यों नहीं जारी रखी जाती ?

†**श्री कानूनगो** : तब यह विशेष न रहेगी।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस समय रुपये पर कितनी घटौती की गयी है ?

†**श्री कानूनगो** : ६ नये पैसे की घटौती है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : हथकरघे के कपड़े और खादी की घटौती में इतना अन्तर क्यों है ? खादी के लिये यह रुपये पर ३ आने हैं और हथकरघे के कपड़े पर सिर्फ ६ नये पैसे ?

†**श्री कानूनगो** : स्पष्ट है कि खादी की उत्पादन लागत हथकरघे की अपेक्षा कहीं अधिक है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या मौजूदा घटौती की अवधि बढ़ा दी गयी है और यदि हां, तो कितने महीने ?

†**श्री कानूनगो** : घटौती बढ़ाने न बढ़ाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार को मद्रास राज्य हथकरघा समिति से यह अभ्यावेदन मिला है कि इस घटौती को अगस्त से दिसम्बर तक बढ़ा दिया जाये क्योंकि नवम्बर महत्वपूर्ण—अर्थात् दीपावली वाला महीना होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हमें बड़ी संख्या में पत्र और तार मिले हैं, लेकिन जैसा कि वाणिज्य मंत्री ने अभी बताया, यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री दामानी** : क्या सरकार को इस घटौती का दुरूपयोग किये जाने की कोई शिकायत मिली है, और यदि हां, तो दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमें कोई स्पष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं।

†**श्री जाधव** : पिछले आम चुनाव के समय रुपये में १२ नये पैसे की घटौती की गयी थी। उसे जारी न रखने के क्या कारण थे और क्या जनता की यह मांग है कि इसे ज्यों का त्यों रखा जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** माननीय सदस्य की जानकारी ठीक नहीं है । यह अप्रैल, १९५८ में ही की गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कृपया अपने शब्दों को तोलकर बोलें । इससे यह धारणा होती है कि १९५७ में निर्वाचनों के कारण यह घटौती मंजूर की गयी थी । इससे जो नुकसान होना था वह तो हो ही गया ।

†**श्री त्यागी :** सरकार इस उद्योग को घटौती कब तक देती रहेगी ?

†**श्री कानूनगो :** विशेष घटौती जारी रखी जाये या नहीं यह प्रश्न तो विचाराधीन है ।

†**श्री त्यागी :** मैं दी जाने वाली कुल घटौती की बात कह रहा हूं । सरकार इस घटौती की प्रथा को कब तक कायम रखने वाली है ?

†**श्री कानूनगो :** मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि इसे जारी न रखने के प्रश्न पर विचार तभी किया जायेगा जब हथकरघा उद्योग जम चुकेगा ।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच नहीं है कि पिछले छः वर्षों से यह घटौती चल रही है और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाल रहा है कि इसे केवल जारी ही नहीं रखा जाये वरन् और भी बढ़ा दिया जाये ।

†**श्री कानूनगो :** हथकरघा बोर्ड ने अलग अलग मौकों पर भिन्न भिन्न सलाह दी हैं । एक समय हथकरघा बोर्ड की यह राय थी कि घटौती को क्रमशः कम कर बिल्कुल खतम कर दिया जाये और इससे जो रुपया बचे उसका अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये विभागीय उपयोग किया जाये ।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या निर्यात किये जाने वाले हथकरघे के कपड़े पर भी घटौती की जाती है ?

†**श्री कानूनगो :** यह केवल सहकारी समितियों को ही दी जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह केवल देश के भीतर होने वाली खपत के लिये ही है या निर्यात के लिये भी है ? संभवतः सहकारी समितियां भी निर्यात कर सकती हैं ।

†**श्री कानूनगो :** जी हां, यह केवल सहकारी समितियों के लिये ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बात यह है कि यह देश के भीतर की खपत के लिये ही है या निर्यात के लिये भी है । यहां के इस्तेमाल और निर्यात में तो फर्क है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह दोनों के लिये और केवल सहकारी समितियों के लिये है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** चाहे वह देश में ही खपत के लिये हो चाहे निर्यात के लिये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय :** १०७७. श्री का० ना० पाण्डे ।

†**श्री मूल चन्द दुबे :** मुझे श्री पांडे ने अपना प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानते हैं कि सभी प्रश्न समाप्त होने के बाद उनकी बारी आयेगी ।

पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार

†***१०७८. श्री जीनचन्द्रन् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जर्मनी को कहवा, काली मिर्च तथा वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने के बारे में सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९३]**

†**श्री जीनचन्द्रन :** इस तथ्य की दृष्टि से कि जर्मनी में हमारे निर्यात के लिये काफी गुंजाइश है और वहां बहुत कम भारतीय व्यापारी हैं, सरकार वहां वाणिज्यिक प्रचार करने और जर्मनी के व्यापार के साथ वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री कानूनगो :** एक व्यापार संगठन शीघ्र ही हैम्बर्ग में स्थापित किया जायेगा जो सरकार और वाणिज्यिक निकायों के साथ सम्पर्क स्थापित कर देगा । ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री जीनचन्द्रन् :** कुछ समय पूर्व हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जर्मनी गया था । क्या उसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और क्या वह सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां । उस महत्वपूर्ण प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप सरकार हैम्बर्ग में नये ढंग का व्यापार संगठन स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है ।

†**श्री जीनचन्द्रन् :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं ने तो यह पूछा था कि क्या वह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं, वह पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

चाय उद्योग के लिये वित्त

†***१०७९. श्री प्र० च० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १२ अप्रैल, १९५७ को कलकत्ता में चाय उद्योग के लिये वित्त की समस्या के व्यावहारिक हल ढूंढ़ निकालने के लिये हुए सम्मेलन द्वारा निकाले गये निष्कर्षों के बारे में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) उससे अब तक कितने चाय बागानों को लाभ पहुंचा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सम्मेलन द्वारा बनाये गये कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि उद्योग के लिये अल्प-कालिक कार्यवाही वित्त और खंड ऋण दोनों एक ही एजेंसी द्वारा दिये जाने चाहियें और इसके लिये राज्य बैंक का उल्लेख किया गया था ? इस सम्बन्ध में राज्य बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री सतीश चन्द्र : राज्य बैंक ने कहा है कि वह दीर्घ-कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तभी पूंजी दे सकेगी बशर्ते कि पुनर्वित्त निगम वह राशि पुनः राज्य बैंक को उधार दे दे। अब पुनर्वित्त निगम की स्थापना हो चुकी है और इस मामले पर राज्य बैंक और पुनर्वित्त निगम के बीच वार्ता की जा रही है।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आसाम की सरकार को यह सलाह दी है कि वह बन्द हुए सारे चाय बागानों को अपने अधिकार में लेने के लिये विधिक शक्ति प्राप्त कर ले और जो चाय उप-कर प्राप्त होता है उसमें से निधि आवंटित कर उन्हें चलायें ? यदि हां, तो क्या यह समस्या का एक व्यावहारिक हल है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी हां, यह सच है कि इस आधार पर सुझाव दिया गया था और आसाम सरकार के सम्बन्धित मंत्री भी एक दो बार मिल चुके थे। हम ने उन से उनके लिखित सुझाव मांगे थे जो उन्होंने भेज दिये हैं। किन्तु इस विषय में विधान बनाना कोई आसान बात नहीं है। वस्तुतः मंत्री महोदय आज यहीं हैं और मैं उन से तीसरे पहर इस सम्बन्ध में चर्चा करूंगा।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या चाय बागान जांच आयोग ने यह सुझाव दिया है कि चाय बोर्ड की एक वित्त समिति होनी चाहिये, और यदि हां, तो क्या इस प्रकार की समिति बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†श्री सतीश चन्द्र : चाय बोर्ड का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि एक तदर्थ समिति नियुक्त की जानी चाहिये। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

+ रूरकेला इस्पात कारखाने के क्षेत्र में उपद्रव

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८. { श्री पाणिग्रही :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने के क्षेत्र में हाल ही में काफी उपद्रव हुआ था ;

(ख) क्या इस उपद्रव के कारण काफी संख्या में श्रमिक गिरफ्तार किये गये थे ;

(ग) इससे इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य की प्रगति में कहां तक प्रभाव पड़ा ; और

(घ) इस क्षेत्र में उपद्रव के कारण क्या थे ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). रूरकेला इस्पात कारखाने के कुछ ठेकेदारों के श्रमिकों के शिविर में १६ और १८ अगस्त, १९५८ को कुछ उपद्रव हुआ था। किसी शराबी द्वारा दुर्व्यवहार की मामूली सी घटना ने एक बड़ा अवांछित रवैया धारण कर लिया और श्रमिकों के दो दलों में काफी सनसनी फैल गई जिससे कुछ मारपीट हो गई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इन उपद्रवों के परिणामस्वरूप लगभग १५० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उड़ीसा की पुलिस ने उनके खिलाफ कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

इन उपद्रवों से इस्पात कारखाने के कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ने पाई है।

पर्याप्त पुलिस और सुरक्षा सम्बन्धी उपाय किये गये हैं और स्थिति सामान्य हो गई है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या इस नगर का प्रबन्ध स्थानीय मजिस्ट्रेट और कम्पनी के प्राधिकार के हाथों में है ? यदि हां, तो क्या उड़ीसा की सरकार केन्द्रीय सरकार का ध्यान नगर में दो प्राधिकारों के हाथों में होने के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया है ? यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं नहीं समझता कि वहां दुहरा शासन प्रबन्ध है। प्रत्येक प्राधिकार के अपने अपने निश्चित कार्य हैं।

†**श्री पाणिग्रही :** हाल ही में उड़ीसा के प्रमुख दैनिक पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि निवासी निदेशक ने एक निदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उड़ीसा के लोगों को कम्पनी के सुरक्षा कर्मचारी वर्ग में नहीं लिया जाना चाहिये। इस प्रकार का निदेश जारी करने के पश्चात् नगर के दो वर्गों में शत्रुता उत्पन्न हो गई। क्या यह समाचार सत्य है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं समझता हूं कि दो वर्गों में शत्रुता है, ऐसा कहना सच नहीं। समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के समाचार आये दिन छपते रहते हैं और उनकी एकदम आलोचना करना अथवा उन्हें प्रमाणिक बता देना सरल काम नहीं है।

†**श्री पाणिग्रही :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या उड़ीसा के लोगों को सुरक्षा कर्मचारी वर्ग में भर्ती नही किया जाना चाहिये इस प्रकार का कोई निदेश जारी किया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कोई निदेश दिया गया होगा। (**अन्तर्बाधा**)।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

†**श्री सूपकार :** क्या सरकार का ध्यान 'फिल्म इंडिया' के जून अंक में उस लेख की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि वहां स्त्रियों की स्वतंत्रता का अपहरण किया जा रहा है और स्त्रियों की विभिन्न मुद्राओं में फोटों ले कर जर्मनी के लोगों को आकर्षित करने के लिये वहां भेजी जा रही हैं ? क्या इस बात की जांच की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं, इसका इन उपद्रवों से कोई सम्बन्ध नहीं है। (**अन्तर्बाधा**)।

†**श्री सूपकार :** ये जो चीजें समय समय पर वहां हो रही हैं उनके कारण उपद्रव होते रहते हैं।

†**श्री नाथपाई :** भावुकतामय उपद्रव।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो कोई भी इस सभा की कार्यवाही को पढ़ेगा उसे जो कुछ यहां हो रहा है उसका बड़ा आकर्षक चित्र दिखाई देगा। शासक और शासित चाहे कोई भी हो किन्तु

---

†मूल अंग्रेजी में

हम सभी इसी देश के वासी हैं। अतः इस प्रकार के समाचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। यदि माननीय सदस्य को किसी ऐसी बात का पता लगता है जो **प्रथम दृष्टता** घृणित है, तो चाहे किसी भी दल का कोई व्यक्ति क्यों न हो इस पर चर्चा के लिये अनुमति नहीं देगा। इस प्रकार की सूचना निश्चय ही मंत्री महोदय को दी जानी चाहिये और यदि मंत्री उस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है तो निस्संदेह हम उस पर यथाशक्ति कार्यवाही करेंगे। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, प्रत्यक्षतः यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री सूपकार** : उपद्रव ऐसी ही छोटी-छोटी चीजों के कारण हुआ करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को चाहिये कि वह असम्भव मामलों को इसके साथ न सम्बद्ध करें।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : किसी भी दशा में, उपद्रवों का उस लेख के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था जो फिल्म-इण्डिया में प्रकाशित किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कृपया इस मामले की जांच करें। यद्यपि प्रविधिक रूप से मैं ऐसे सुझावों को प्रश्न काल में स्वीकृत नहीं करूंगा, किन्तु कभी-कभी मैं इनके लिये स्वीकृति दे भी देता हूं। सारे सुधारों पर ध्यान दिया जाना चाहिये और जब कभी दुबारा ऐसा कोई अवसर आये जबकि प्रशासन के सम्बन्ध में किसी को गलतफहमी हो तो उसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

†**श्री पाणिग्रही** : भिलाई और दुर्गापुर में ऐसा कोई उपद्रव नहीं हो रहा है। फिर रूरकेला में फिर अक्सर इस प्रकार के उपद्रव क्यों हुआ करते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इससे सहमत नहीं कि अक्सर उपद्रव होते हैं। यह तो माननीय सदस्य ऐसा समझ रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नारियल का रेशा तैयार करना

†*१०५७. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में नारियल का रेशा तैयार करने के लिये अब मशीन काम में लाई जाती है जिससे मजदूर बेकार हो गये हैं और रेशे की किस्म भी घटिया हो गई है;

(ख) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से रेशा तैयार करने के लिये इस प्रकार की मशीन के इस्तेमाल करने पर प्रतिबन्ध लगा देने का निवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५**]

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल में ऐयरलाइन्स कारपोरेशन

†*१०६०. **श्री विभूति मिश्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने अपना एयरलाइन्स कारपोरेशन स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां तो एसोशियेट आफइन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की क्या स्थिति होगी; और

(ग) भारत सरकार के साथ समझौते की क्या शर्तें हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एसोशियेट के बीच हस्ताक्षर किये गये करार की शर्तों के अनुसार दोनों के बीच का संविदा भंग कर दिया गया और एसोशियेट ने नेपाल देश के अन्दर की वायु सेवा १-७-५८ से समाप्त हो गई है ।

(ग) कोई समझौता करने के लिये नहीं कहा गया था क्योंकि नेपाल के अन्दर विमान सेवा के बारे में एक ओर नेपाल सरकार के बीच और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बीच अथवा दूसरी ओर भारत सरकार के बीच नहीं किया गया था । स्वयं इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने नेपाल के अन्दर विमान सेवा जारी रखने के बारे में अनिच्छा प्रकट की थी । इस तथ्य के कारण एसोशियेट को इण्डियन एयरलाइन्स की ओर से तदर्थ उपाय के रूप में उस समय अन्दर की सेवा को चालू रखना था जब तक कि नपाल की सरकार ने कोई दूसरी व्यवस्था न करली हो ।

पाकिस्तान और गोआ के बीच व्यापार तथा वायु करार

*१०६२. **श्री अमर सिंह डामर :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान और गोआ के बीच हाल में हुए व्यापार तथा वायु करारों के सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : पाकिस्तान इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरे देशों के साथ किसी भी प्रकार की व्यापार व्यवस्थाएं अथवा संधियां करे । भारत सरकार को तो सिर्फ इस बात का अफसोस होता है कि उनकी कुछ व्यवस्थाएं जाहिर तौर पर भारत के प्रति घृणा के भाव से की जाती हैं । भारत के लोगों की तरह, पाकिस्तान के लोगों को भी पिछले जमाने में विदेशी शासन के अधीन रहने का अनुभव हुआ है और दोनों ने ही औपनिवेशिक शासन का दृढ़ता के साथ विरोध किया है । इसलिए, आश्चर्य होता है जब पाकिस्तान सरकार एक ऐसी नीति बरतती है जिससे गोआ पर पुर्तगाल के औपनिवेशिक आधिपत्य को समर्थन मिलता है ।

भारत में पुर्तगाली बस्तियां

†*१०६४. **श्री बाजपेयी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाली सरकार ने भारत में अपनी बस्तियों में भारतीय रुपये के स्थान पर 'एसकूडो'[1] चलाने का निश्चय किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]'Escudo'.

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है अथवा क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक कार्य उप मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** :(क) हम ने समाचारपत्रों मे यह समाचार पढ़ा है कि पुर्तगाली सरकार ने अपने अधीन वाले भारतीय भूखण्ड में १ जनवरी, १९५९ से पुर्तगाली रुपया के स्थान पर 'एसकूडो' जारी करने का निश्चय किया है ।

(ख) और (ग). चूंकि कुछ वर्षों से इन क्षेत्रों में भारतीय रुपया विधि मान्य नहीं रहा था जिससे मुद्रा में केवल नाम का परिवर्तन करने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । इसका राजनीतिक प्रभाव अवश्य अवांछित हो सकता है और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि भारत सरकार इस चीज को बचाने के लिये क्या कर सकती है और उसे क्या करना चाहिये ।

नाभिकीय परीक्षण

†*१०६६. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे देश कौन-कौन से हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र असेम्बली में नाभिकीय और ताप-नाभिकीय बन्द कर देने के बारे में भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया था; और

(ख) अब इसकी क्या स्थिति है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). सामान्य असेम्बली के गत सत्र में नाभिकीय और ताप-नाभिकीय परीक्षण बन्द करने के बारे में २३ देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

> अल्बानिया, बल्गेरिया, बर्मा, बाइलोरशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, लंका, जेकोस्लोवाकिया, मिस्र, फिन्लैण्ड, घाना, ग्वाटेमाला, हंगरी, इण्डोनेशिया, इरान, मेक्सिको, मोरक्को, नेपाल, पोलैण्ड, रूमानिया, सुडान, सीरिया, उकटानियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत रूस तथा यूगोस्लाविया ।

इस प्रकार भारत के अपने मत को भी मिला कर, भारत के प्रारूप संकल्प को २४ मत प्राप्त हुए, किन्तु ३४ देशों ने विपक्ष में मत दिये, २० ने मतदान नहीं किया । अतः संकल्प स्वीकृत नहीं किया गया ।

एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड

†*१०७०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड को जिन शर्तों पर रियायती दर पर भूमि बेची गई थी उनके विरुद्ध नई दिल्ली में अपने भवन का कुछ भाग किराये पर उठाने की अनुमति मिल गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर और नये करार की शर्तें क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९६**]।

मद्रास राज्य की कपड़ा मिलों में तीसरी पारी (शिफ्ट) का बन्द किया जाना

†*१०७५. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य की किसी कपड़ा मिल ने तीसरी पारी (शिफ्ट) बन्द कर देने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो वे मिलें कौन-कौन सी हैं; और

(ग) कितने मजदूर इससे प्रभावित हुए ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). मद्रास राज्य के किसी भी कपड़े की मिल ने तीसरी पारी (शिफ्ट) बन्द करने की धमकी नहीं दी है। फिर भी मद्रास राज्य में पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से बन्द सुती कपड़े की मिलों की संख्या तथा उससे प्रभावित मजदूरों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९७**]।

मजदूरों को अन्तरिम सहायता

†*१०७७. **श्री काशीनाथ पांडे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन उद्योगों के मजदूर, जिनके लिये मजूरी बोर्ड बना दिये गये हैं, मजूरी बोर्ड की अन्तिम सिफारिशों की प्राप्ति के निलम्बन काल के लिये अन्तरिम सहायता मांग रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) सूती वस्त्र, चीनी और सीमेंट उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित किये जा चुके हैं। किन्तु मजूरी में अन्तरिम वृद्धि की मांग केवल चीनी उद्योग के मजदूरों की ओर से की गई है।

(ख) इण्डियन नेशनल शुगर मिल्स वर्कर्स फेडरेशन का जो संकल्प चीनी उद्योग के मजदूरों की मजूरी में अन्तरिम वृद्धि करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है वह मजूरी बोर्ड के पास भेज दिया गया है।

डीजल इंजन

†१०८०. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन में बने हल्के और कम आवाज़ करने वाले डीज़ल इंजन के कतिपय निर्माण की ओर आकर्षित किया गया है जिसे ११–१८ अश्व शक्ति वाले विभिन्न मोटरकारों में प्रयोग किया जा सकता है और जो एक गैलन तेल में औसतन ५० मील तक जा सकता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त डीज़ल इंजन बनाने वाले ब्रिटिश निर्माताओं का कोई कारखाना भारत में है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त कारखाने को भारत में इसी प्रकार के डीज़ल इंजन बनाने के लिये उपयुक्त सुविधायें देने का विचार करती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) स्पष्ट है कि माननीय सदस्य हाल में वाणिज्य सम्बन्धी समाचार का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें छपा था कि इंग्लिस्तान के मेसर्स एफ पर्किन्स लिमिटेड ने एक नये ४ सिलेण्डर वाले डीज़ल इंजन का निर्माण किया है जिसका नाम पर्किन्स 'चार—६६' है। सरकार को और विस्तार में कुछ भी नहीं मालूम है।

(ख) जी नहीं। उनका मद्रास की फर्म से अपने कुछ अन्य डीज़ल इंजन बनाने के लिये सहयोग-करार है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पटसन की मिलों का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण

†*१०८१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन की मिलों के वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण किये जाने के कारण कितने मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : १२३६।

वस्त्र उद्योग

†*१०८२. **श्री दामानी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग को ऋण सम्बन्धी सुविधा में कुछ छूट देना स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस से उद्योगों को कहां तक लाभ पहुंचा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). वस्त्र उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिये, जिसे अभी हाल में काफी स्टाक जमा हो जाने का सामना करना पड़ा था, राज्य बैंक और अनुसूचित बैंकों से निवेदन किया गया था कि वे मिलों को मिलने वाले ऋणों और अग्रियों के लिये प्रतिभूति कम कर दें। बैंक सामान्यतः यथासम्भव २५ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक छूट दे कर यह वित्तीय व्यवस्था करने के लिये सहमत हो गई हैं। यद्यपि यह बता सकना कठिन है कि इन सुविधाओं की व्यवस्था करने से मिलों को कितना लाभ हुआ है किन्तु यह समझा जाता है और विशेषकर देश के ऊपरी भाग की मिलों को इस व्यवस्था से पर्याप्त सहायता मिली है।

फौजदारी अदालतों में निष्क्रमणार्थियों के निक्षेप

†*१०८३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच फौज़दारी अदालतों में निष्क्रमणार्थियों के निक्षेपों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में कोई करार किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) इन प्रबन्धों के अनुसार चल सम्पत्ति जिस में दोनों में से किसी भी देश के फौजदारी न्यायालयों में निष्क्रमणार्थियों द्वारा जमा किया रुपया भी सम्मिलित है, पारस्परिक आधार पर वापस लौटा दिया जायेगा । इसके लिये दावे मांगे गये हैं और संबंधित न्यायालयों के ज़रिये उनकी जांच दोनों सरकारों द्वारा की जा रही है ।

(ग) दावे एक ५ नवम्बर, १९५७ को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा मांगे गये थे । इस प्रकार प्राप्त १०६ दावों में से ९.७६ लाख (लगभग) रुपये के मूल्य के दावे पाकिस्तान को उनके सत्यापन के लिये भेज दिये गये हैं । जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है । आवेदकों के पास से पूरा विवरण प्राप्त होने के पश्चात शेष दावे भी पाकिस्तान को भेज दिये जायेंगे ।

कलकत्ता में कार्यालयों के लिये स्थान

†*१०८४. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को कलकत्ता नगर में कार्यालयों के लिये कितने स्थान की आवश्यकता है और उसमें से सरकार ने अब तक कितना स्थान अर्जित कर लिया है;

(ख) क्या इस प्रकार की कोई प्रस्थापना है कि कुछ सरकारी कार्यालयों को कलकत्ता से बाहर उपनगरों में भेज दिया जाये और वहां कार्यालयों और उन में काम करने वाले लोगों के लिये क्वार्टर बनाये जायें; और

(ग) कार्यालयों को किन उपनगरों में भेजा जायेगा और क्या निकट भविष्य में कोई भूमि और स्थान अर्जित करने की सम्भावना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क)

आवश्यकता	२७.३१ लाख वर्ग फुट
उपलब्ध	२५.३६ लाख वर्ग फुट

(ख) और (ग). कार्यालयों और रहने के मकान बनाने के लिये कल्याणी में भूमि अर्जित करने के विषय में सरकार विचार कर रही है ।

मध्य पूर्व को वस्त्र का निर्यात

†*१०८५. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य पूर्वी देशों--मिस्र, इराक, इरान, लेबनान आदि में रूस की प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय वस्त्रों का निर्यात बहुत कम रह गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में हमारे व्यापार की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ईरान के बारे में शायद यह सही है क्योंकि उसने अपने पड़ोसी के साथ कोई विशेष व्यवस्था की है ।

(ख) सभी देशों में, जिन में मध्य पूर्व के देश भी शामिल हैं निर्यात व्यापार को बनाये रखने के पूरे यत्न किये जा रहे हैं ।

हथकरघा और कुटीर उद्योग की वस्तुयें

†*१०८६. श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री हाल्दर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में हमारी हथकरघा और कुटीर उद्योगों की वस्तुओं की बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर किस देश में; और

(ग) हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). हमारे हथकरघा उत्पादों की मांग बहुत समय से मलाया, श्रीलंका और पूर्वी अफरीका में ही अधिक है । अन्य कुटीर उद्योगों की वस्तुओं का आयात मुख्यतः ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और अमरीका करते हैं ।

(ग) निर्यात को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई :

(१) विदेशी प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना;

(२) विदेशों में 'शो रूम' और 'ऐम्पोरियम' स्थापित करके प्रचार करना;

(३) निर्यात बाजार के विकास के लिये हथकरघा निर्यात संघ की स्थापना करना;

(४) विदेशों के साथ होने वाले व्यापार करारों में कुटीर उद्योग की वस्तुओं को भी शामिल करना;

(५) बाजार सर्वेक्षण, निर्यातकर्ताओं का पंजीयन, किस्म निर्धारण योजना को चालू करना और नमूने केन्द्र स्थापित करना;

(६) शिष्टमंडलों को विदेशों में भेजना और इसी प्रकार के शिष्टमंडलों को भारत में आने के निमंत्रण देना; और

(७) निर्यात शुल्कों में रियायतें ।

आणविक प्रशिक्षण के लिये अधिछात्रवृत्तियां

†*१०८७. सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय आणविक शक्ति अभिकरण के द्वारा भारत ने अल्प विकसित देशों को पांच अधिछात्रवृत्तियां दी हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अधिछात्रवृत्तियां किन किन देशों को दी गई हैं ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां।

(ख) अभी अधिछात्रवृत्तियां नहीं दी गई हैं।

आयात प्रतिबन्धों के कारण बेरोजगारी

†*१०८८. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री हेम बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अनुमान से कोई आंकड़े बता सकती है कि आयात प्रतिबन्धों के कारण निम्नलिखित उद्योगों में कितनी बेरोजगारी फैली;

(१) इंजीनियरिंग उद्योग

(२) वस्त्र

(३) पटसन ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): कच्चे माल के आयात पर प्रतिबन्ध लगने के कारण कुछ उद्योगों में बेरोजगारी हो गई है। इंजीनियरिंग उद्योग पर इस का विशेष प्रभाव पड़ा क्योंकि ये उद्योग तो आयात किये गये कच्चे माल पर ही निर्भर करते थे। परन्तु वस्त्र और पटसन उद्योगों में इस कारण से कोई बेरोजगारी नहीं हुई।

आयात प्रतिबन्धों के कारण हुई बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करना सम्भव नहीं है।

विदेशी पूंजी का विनियोजन

†*१०८९. श्री हेम बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केवल वही योजनायें अनुमोदित कर रही है जिन में विदेशी सहयोग प्राप्त होगा और दीर्घकाल के लिये विदेशी पूंजी भारत में विनियोजित की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो किन उद्योगों में विदेशी सहयोग प्राप्त होने की आशा है और किस हद तक ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९८]

पाकिस्तान का युद्ध प्रचार

†*५६५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान के युद्ध प्रचार के सम्बन्ध में सरकार एक श्वेत पत्र जारी करने का, जैसे कि १९५१ में दिया गया था, इरादा रखती है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). इस बारे में सरकार श्वेत पत्र जारी नहीं करना चाहती ।

अखबारी कागज (न्यूज प्रिंट) का आयात

†*१६९७. श्री वैं० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो कि निम्नलिखित समाचार पत्रों को चालू और इस से ठीक पहले की दो अनुज्ञप्ति अवधियों में कितना अखबारी कागज आयात करने के लिये दिये गये लाइसेंसों के ब्यौरे क्या हैं :—

(१) दि इंडियन एक्सप्रैस ग्रुप ,

(२) दि हिन्दू, मद्रास,

(३) दि हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप,

(४) दि टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९९]

फौजी जूते

†१६९८. श्री स० म० बनर्जी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में कितने और कौन कौन से उपक्रम फौजी जूते बनाते हैं ;

(ख) १९५७–५८ में उन्हों ने सेना के लिये जूतों के कितने जोड़े बनाये; और

(ग) उन का मूल्य क्या था ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख).

फर्म का नाम	संख्या
१. मैसर्ज़ ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, कूपर ऐलन ब्रांच, कानपुर	३१००
२. मैसर्ज़ कानपुर टैनरी लिमिटेड, कानपुर	कोई नहीं
३. मैसर्ज़ ए० क० ब्रदर्स, नई दिल्ली (कानपुर में कारखाना)	१,६०,२३३
४. मैसर्ज़ रूबो इंडस्ट्रीज, कानपुर	६७,६२०
५. मैसर्ज़ आर्मी एण्ड पुलिस इक्विपमेंट सप्लाई कम्पनी, कानपुर	५१,४३०
६. मैसर्ज़ कोहली इंडस्ट्रियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, कानपुर,	२०,२०३
कुल	३,०२,५८६

(ग) मूल्य लगभग ५१,१५,००० रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†१६९९. **श्री दशरथ देव :** क्या पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में १९५४ से पूर्व विस्थापित हुए ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कृषि ऋण दिया जा चुका है और काश्त के लिये भूमि आवंटित की जा चुकी है परन्तु अभी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये ऋण नहीं दिया गया ;

(ख) भूमि को कृषि योग्य बनाने के पूर्ण ऋण के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन ऋणों का शीघ्र भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) १७५७ परिवार ।

(ख) और (ग) १६११ परिवारों को भूमि कृषि योग्य बनाने की लागत नहीं दी गई थी क्योंकि वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वे या तो उस बस्ती में रहते ही नहीं और यदि रहते हैं तो बस्ती से बाहर कहीं व्यापार करते हैं । दोनों हालतों में उन्हों ने भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाया है । शेष १४६ परिवारों को इस वर्ष ऋण दे दिया जायेगा ।

उड़ीसा में साइकिल के कारखाने

†१७००. **श्री प्र० गं० देव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा सरकार को राज्य में चार साइकिल कारखाने लगाने के लिये वित्तीय सहायता देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई और राज्य में कारखानों को आवंटन के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या सिफारिश की;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने ये चारों कारखाने कटक में ही लगाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि ऊपर के भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो वे कहां-कहां लगाये जायेंगे?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) राज्य सरकार ने चार उपक्रम चुने हैं जो विभिन्न पुर्जे बनाते हैं । स्थान का चुनाव इन उपक्रमों पर छोड़ दिया गया है । ये उपक्रमों में से एक कटक में स्थित है और अन्य दो बरगाह और परला की मंडी (उड़ीसा राज्य) में खोले जायेंगे ; चौथे उपक्रम ने अभी स्थान नहीं चुना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में थोक के डिपो

†१७०१. **श्री पांगरकर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं के विक्रय के लिये १६५७–५८ में बम्बई राज्य में कितने थोक के डिपो खोले गये ।

(ख) १६५८–५६ में कितने डिपो खोले जाने हैं;

(ग) वे कहां-कहां खोले जायेंगे; और

(घ) उन से कितनी आय हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ), जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मराठवाड़ा (बम्बई) में चमड़े की सहकारी संस्थायें

†१७०२. **श्री पांगरकर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंबई के मराठवाड़ा प्रदेश में किन-किन स्थानों पर चमड़े की सहकारी संस्थायें हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अब तक उन्हें किस प्रकार की सहायता दी है; और

(ग) वे क्या-क्या वस्तुयें बनाती हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर चमड़े की सहकारी संस्थायें हैं :—

जिला तुलजापुर

अंदोरा

जिला उस्मानाबाद

गुज्जोटी, लोहारा, मुरूम, लतूर, ढोकी, हडोल्टी, परेन्दा, अमेदपुर, ओमेर्गा, कमजारा ।

जिला भीर

भीर, बोखंल, पटोदा, बावि, मोरगांव, पाली, गुंडा, मोमिनाबाद, कैनापुर, कदा ।

जिला पर्भानी

पर्भानी, पथारे, मनवट, तडकालास, नर्सी, बडेपुर, हिंगोली ।

जिला नांदेड़

नांदेड़, घडज, बतमुगरा, मुखेड़, देगलर, भोकार, मुगत, ओस्मानगर ।

जिला औरंगाबाद

उदमापेठ

(ख) केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से इन संस्थाओं को कोई सहायता नहीं देती । १६५७–५८ में केन्द्रीय सरकार ने बम्बई राज्य सरकार को १५,२६,००० रुपये दीर्घकालीन ऋण के तौर पर दिये । इस में से बम्बई राज्य सरकार ने उद्योगों को राज्य सहायता नियमों के अन्तर्गत औद्योगिक सहकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

संस्थाओं को ऋण देने के लिये मराठवाड़ा के छः वित्त व्यवस्था करने वाले केन्द्रीय अभिकरणों को २,००,००० रुपये दे दिये। इस राशि में से वित व्यवस्था करने वाले केन्द्रीय अभिकरणों ने चमड़े का काम करने वाली पांच संस्थाओं को ११,७९० रुपये ऋण दिया। इस के अतिरिक्त बम्बई सरकार के कुटीर उद्योग विभाग ने चमड़ा कमाने वाली चार संस्थाओं को १०,७८० रुपये राजसहायता के तौर पर ९,२२० रुपये ऋण दिया और उस समय के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने १९५५-५६ में चमड़ा औद्योगिक सहकारी संस्था मोमिनाबाद को ८,२५० रुपये अनुदान के तौर पर और ९,७५० रुपये ऋण दिया गया था।

(ग) ये संस्थायें चप्पलें, पेटियां, चमड़े के बैग, टखने तक के बूट और कमाई हुई खालें तैयार करती हैं।

मराठवाड़ा (बम्बई) में बुनकर सहकारी संस्थायें

†१७०३. **श्री पांगारकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश में कितनी बुनकर सहकारी संस्थायें बनाई गई हैं;

(ख) इनमें से कितनी सहकारी संस्थाओं को भारत के रक्षित बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती है; और

(ग) उक्त प्रदेश में अब तक कितने हथकरघों को विद्युत्चालित करघों में परिवर्तित किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) ४२।

(ख) कोई नहीं।

(ग) कोई नहीं।

कोटा (राजस्थान) की कपड़ा मिल

†१७०४. **श्री ओंकार लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा की कपड़े की मिल नहीं चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) जी हां। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज, कोटा (जो पहले कोटा टैक्साटाइल्ज लिमिटेड कहलाती थी) २४ जून, १९५७ से बन्द है। उन्होंने इस का कारण यह बताया कि लगातार हानि हो रही थी।

राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग

†१७०५. **श्री ओंकार लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ और १९५९-६० में रोजगार बढ़ाने के लिये राजस्थान में छोटे पैमाने के कितने उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९५८-५९ और १९५९-६० में नये उद्योगों की स्थापना करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। राज्य सरकार को आशा है कि औद्योगिक बस्तियां बसाने के फलस्वरूप इस अवधि में उन में लगभग दो सौ छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित हो जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांच और मैंगनीज

†१७०६. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में भारत में कांच और मैंगनीज का कुल कितना उत्पादन किया गया; और

(ख) उपरोक्त अवधि में विदेशों को (देशवार) कांच और मैंगनीज का कुल कितना निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) **कांच.** सभा-पटल पर रखे गये विवरण में जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९०**]

मैंगनीज. १,४५६,००० टन ।

(ख) दो विवरण जिन में मैंगनीज अयस्क और कांच के निर्यात के आंकड़े दिये गये सभा-पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०१ और १०२**]

राजस्थान में चमड़ा कमाने के कारखाने

†१७०७. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में चमड़ा कमाने के कितने कारखाने 'प्राइम टैंड'[1] खालों के काम का विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) इन कारखानों में कितने प्रवीण श्रमिक हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** राजस्थान राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गोदी श्रमिक बोर्ड

†१७०८. **श्री एन्थनी पिल्ले :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो :

(क) क्या गोदी श्रमिक बोर्डों ने पत्तन तथा गोदी श्रमिकों सम्बन्धी चौधरी समिति के प्रतिवेदन पर भारत सरकार के संकल्प की वे मदें स्वीकार तथा कार्यान्वित कर दी हैं जो पत्तन प्राधिकारियों द्वारा माल लादने और उतारने के लिये रखे गये श्रमिकों पर लागू होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख): श्री चौधरी ने बोर्डों के श्रमिकों के बारे में कोई सिफारिशें नहीं की थीं इसलिये श्री चौधरी के प्रतिवेदन पर सरकार का संकल्प अपने आप उन श्रमिकों पर लागू नहीं होता। सरकार ने बोर्डों से निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(१) **हाजरी भत्ता :** बम्बई और मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड पहले ही अपने रक्षित[2] संग्रह श्रमिकों को १.५० रुपये प्रति दिन के हिसाब से हाजरी भत्ता देते हैं। कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड से कहा गया

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Prime tanned.

[2]Reserve Pool Workers.

था कि वह इस भत्ते को १ रुपये से बढ़ा कर १.५० रुपये प्रति दिन कर दे और यह बात स्वीकार कर ली गई ।

(२) विशेष रियायती टिकट की सुविधा :

बोर्डों को यह मंत्रणा दी गई कि विशेष रियायती टिकट की जो सुविधायें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त हैं वे बोर्ड के कर्मचारियों तथा श्रमिकों को भी दी जायें । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(३) अवकाश की सुविधायें :

कलकत्ता और मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड से कहा गया कि वे बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड के अवकाश सम्बन्धी नियम अपना लें जो अधिक उपयोगी हैं । बोर्ड इस पर विचार कर रहे हैं ।

(४) सेवानिवृत्ति के लाभ :

बम्बई और मद्रास गोदी श्रमिक बोर्डों से कहा गया है कि उन श्रमिकों के 'प्रासेसिंग' भत्ते को भी भविष्य निधि और उपदान के लेखे में जोड़ा जाये जिन्हें काम की मात्रा के आधार पर मजूरी दी जाती है । वे इस पर विचार कर रहे हैं ।

(५) शिफ्टें : तीनों गोदी श्रमिक बोर्डों को शिफ्टों के काम कराने की मंत्रणा दी गई है । बम्बई और कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्डों ने इसे स्वीकार कर लिया है जब कि मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड इस पर विचार कर रहा है ।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†१७०९. श्री राम कृष्ण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ७ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थिति का ठीक ढंग से अध्ययन करने के लिये नियुक्त किये गये केन्द्रीय अनुसंधान दल की मख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०३]

विदेशों से व्यापार

७१०. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ (३१ अगस्त, १९५८ तक) में किन-किन देशों से भारत का व्यापार बढ़ा है; और

(ख) इसी अवधि में किन किन देशों के साथ भारत के व्यापार में कमी हुई ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०४]

---

†मूल अंग्रेजी में

पजाब में चमड़े का काम करने वाली सहकारी संस्थायें

†१७११. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में किन किन स्थानों पर चमड़े का काम करने वाली सहकारी संस्थायें हैं;

(ख) वे क्या क्या वस्तुयें बनाती हैं; और

(ग) केंद्रीय सरकार ने उन्हें अब तक किस प्रकार की सहायता दी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०५] ।

(ख) कमाया हुआ चमड़ा , देशी जूते और सरेश आदि ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने ३१-३-५८ तक निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी :—

	रुपये
ऋण	३,५४,२२०
अनुदान	३,०३,५००

सरकारी इमारतों में वातानुकूलन

†१७१२. श्री वें० प० नायर : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम योजना के प्रारम्भ से १९५७–५८ की समाप्ति तक भारत सरकार की जो इमारतें बनाई गईं उन में वातानुकूलन की मशीनें लगाने पर कुल कितना खर्च हुआ; और

(ख) दिल्ली और नई दिल्ली में इस प्रकार कितना खर्च किया गया ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). प्रथम योजना के प्रारम्भ से १९५७–५८ की समाप्ति तक दिल्ली और नई दिल्ली में भारत सरकार की अथवा भारत सरकार के लिये बनाई गई इमारतों में वातानुकूलन की मशीनें लगाने पर लगभग २२ लाख रुपया खर्च हुआ । इस अवधि में देश के अन्य स्थानों पर सरकारी इमारतों में ऐसा कोई खर्च नहीं किया गया ।

बगीची माधोदास (दिल्ली) के निकट विस्थापित व्यक्ति

†१७१३. श्री राधा रमण : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की बगीची माधोदास के निकट के क्वार्टरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और उन्हें जो थोड़ा सा जल संभरित किया जाता था, वह भी कुछ समय के लिये बन्द हो गया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन क्वार्टरों में रहने वाले और पर्दा गार्डन के निकट रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये सरकार की अन्तिम प्रस्थापना क्या है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) इन क्वार्टरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को जल संभरण उपलब्ध है। वह सुविधा दिल्ली नगर निगम द्वारा थोड़ी देर के लिये रोक दी गई थी, क्योंकि उन क्वार्टरों के रहने वाले लोगों ने पानी के शुल्क अदा नहीं किये थे। जल संभरण ऐसोसियेशन आफ ऐलाटीज के द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर पुनः चालू कर दिया गया था कि वे भविष्य में नियमित रूप से शुल्क की अदायगी करेंगे। बिजली काटने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि उन्हें इस मंत्रालय द्वारा बिजली दी ही नहीं जाती।

(ख) पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिल्ली में भविष्य में और अधिक क्वार्टर बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। इन बस्तियों के विस्थापित व्यक्तियों को अस्थायी मकान देने की समस्या पर दिल्ली प्रशासन उस समय विचार करेगा जब कि दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने और मकानों की अधिक भीड़ भाड़ को दूर करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

कच्ची सामग्री का आयात

†१७१४. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अप्रैल से सितम्बर, १९५८ तक की अवधि में लाइसेंस देने के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति सम्बन्धी 'रेड बुक' के प्रकाशित हो जाने के उपरान्त निर्यात संवर्धन योजना के अधीन कच्ची सामग्री के आयात के लिये जिन उद्योगों को लाइसेंस दिये हैं, उनकी सूची में ६ अन्य उद्योगों को भी सम्मिलित करने का निर्णय किया है और वे उद्योग हैं : (१) फल तथा साग सब्जी परिरक्षण, (२) बिस्कुट और कन्फेक्शनरी, (३) कोको तथा मक्खन, (४) जो (पर्ल बार्ले), (५) कार्न फलेक्स तथा रोल्ड ओट्स, तथा (६) सिगरेट ;

(ख) क्या इन उद्योगों के नाम निर्यात संवर्धन परामर्श परिषद् मंत्रणा पर सम्मिलित किये गये थे या किसी तदर्थ विभागीय निर्णय के आधार पर ;

(ग) इनमें से प्रत्येक उद्योग के कितनी कितनी कीमत के सामान के निर्यात का निर्णय किया गया है ; और

(घ) इन उद्योगों के लिये लगभग कितनी कीमत की कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात परामर्श परिषद् तथा निर्यात संवर्धन समिति की सामान्य मंत्रणा को ध्यान में रखते हुये सरकार के द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०६]**

(घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

सत ईसबगोल का निर्यात

†१७१५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सत ईसबगोल के निर्यात में भारत को किन किन देशों से होड करनी पड़ती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जहां तक ज्ञात हुआ है केवल फ्रांस की ही होड़ करनी पड़ती है और वह भी सीमित रूप में ।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†१७१६. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योगों के संवर्धन तथा विस्तार के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण की उपपत्तियों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०८**]

दिल्ली में मकान का गिरना

†१७१७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, १९५८ के पहले सप्ताह में दिल्ली में कस्टोडियन के अधीन मकानों में से एक मकान गिर गया था ;

(ख) क्या उसमें रहने वाला कोई व्यक्ति मारा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो कस्टोडियन के अधीन उस मकान की मरम्मत के बारे में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) उस इमारत के एक भाग के गिर जाने पर, शेष इमारत पर भी बुरा असर पड़ा था । इसलिये नगर निगम के द्वारा वह मकान गिरवा दिया गया था । शेष बचे हुये थोड़े से भाग का हमारे इंजीनियर कर्मचारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया था और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि उसे भी गिरा दिया जाये । अतः उसकी मरम्मत करने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

---

† मूल अंग्रेजी में

अणु शक्ति का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये उपयोग

†१७१८. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री २७ फरवरी, १९५८ के जेनेवा में अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये उपयोग के सम्बन्ध में हुये द्वितीय सम्मेलन सम्बन्धी अतारांकित प्रश्न संख्या ६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विज्ञानवेत्ताओं द्वारा कितने 'पेपर' प्रस्तुत किये जायेंगे ;

(ख) उनमें से प्रत्येक 'पेपर' में कितने विषय निहित होंगे ; और

(ग) इन पेपरों के लेखक कौन-कौन होंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ५९ ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०९]

जर्मनी में अणुशक्ति के अध्ययन के लिये विद्यार्थी

†१७१९. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने उस देश में अणुशक्ति के अध्ययन के लिये छात्र-वृत्तियां देने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस छात्रवृत्ति पर यहां से कोई विद्यार्थी भेजा गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं । परन्तु दो विद्वानों को चुन लिया गया है और आशा है कि वे शीघ्र ही पश्चिमी जर्मनी को रवाना हो जायेंगे ।

नाइजीरिया में भारतीय

†१७२०. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाइजीरिया (अफ्रीका) में कितने भारतीय हैं ; और

(ख) वे क्या क्या व्यवसाय कर रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ठीक-ठीक आंकड़े तो ज्ञात नहीं हैं । तो भी यह अनुमान है कि इस समय नाइजीरिया में स्त्रियों और बच्चों सहित कुल लगभग २०० भारतीय रहते हैं ।

(ख) उनमें से अधिकतर लोग व्यापार में, मुख्यतः कपड़े के व्यापार में, या तो स्वामी के रूप में, या मैनेजरों के रूप में या क्लर्कों के रूप में लगे हुये हैं । लगभग ६ भारतीय शिक्षा संस्थाओं में काम कर रहे हैं ।

मोटर साइकिलों की कीमतें

†१७२१. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में तैयार की जाने वाली मोटर साइकिलों की कीमतें आयात की जाने वाली मोटर साईकिलों की कीमतों की तुलना में कैसी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है, देश में तैयार की जाने वाली मोटर साइकिलों की कीमतें आयात की जाने वाली मोटर साईकिलों की कीमतों की तुलना में अच्छी हैं :—

क्षमता	देश में तैयार की जाने वाली मोटर साईकिल की सूची में लिखित कीमत	(दिल्ली में) विदेशी मोटर साईकिल की अन्तिम ज्ञात कीमत
१५० सी. सी.	१,९९५ रुपये	विभिन्न कम्पनियों की मोटर साईकिलें—२,६०० से ३,००० रुपयों तक ।
३५० सी. सी.	३,५५९ रुपये	विभिन्न कम्पनियों की मोटर साईकिलें—४,००० से ४,८०० रुपयों तक ।

लोहा तथा मेंगनीज़ अयस्क का निर्यात

†१७२२. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में अभी तक भारत को लोहे तथा मेंगनीज़ के अयस्क के निर्यात पर कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :–

(लाखों में रुपये)

वर्ष	लौह अयस्क	मेंगनीज़ अयस्क
१९५५–५६	६९८	१६६८
१९५६–५७	१००३	२५८१
१९५७–५८	११८६	२८६८
१९५८–५९ (अप्रैल—जून)	२४८	३४७

बालोपयोगी फिल्म

†१७२३. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कितने बालोपयोगी फिल्म तैयार किये गये है और उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) उन फिल्मों का प्रदर्शन कौन कर रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख), केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड बालोपयोगी फिल्मों को किसी अलग वर्ग में नहीं रखता। इसलिये अभी तक भारत में बालोपयोगी फिल्मों के सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी देना सम्भव नहीं है। तो भी, फिल्म डिवीज़न तथा बालोपयोगी फिल्म सोसाइटी द्वारा विशेष कर बच्चों के लिये तैयार की गयी फिल्मों का ब्यौरा यह है :—

	फिल्म का नाम	निर्माता का नाम	उन्हें प्रदर्शित करने वाले अभिकरण
१	मैरी गोराउण्ड	फिल्म विभाग	फिल्म विभाग उन बालोपयोगी फिल्मों की कापियां गैर वाणिज्यिक वितरण के लिये पब्लिक को मांगें पर देता है। उनकी कापियां अन्य फिल्मों के साथ ही साथ प्रदर्शित करने के लिये बालोपयोगी फिल्म सोसाइटी को दी जाती हैं और सेंट्रल फिल्म लाइब्रेरी को भी दी जाती है। उसकी कापियां कीमत पर पब्लिक को बेची भी जाती हैं।
२	बाल चित्रमाला		
३	आन दी सी शोर		
४	सोवियत सर्कस		
५	एडवेंचर टु रिमेम्बर	फिल्म विभाग	फिल्म विभाग ने इसे उपरोक्त अभिकरणों के अतिरिक्त सिनेमा हाउसों को भी प्रदर्शन के लिये दिया था।
६	जलदीप	बालोपयोगी फिल्म सोसाइटी	ये फिल्में सोसाइटी तथा राज्य सरकारों की बालोपयोगी फिल्म समितियों द्वारा सिनेमा हाउसों में विशेष शो में, शिक्षा मंत्रालय की चलती फिरती गाड़ियों में, तथा सूचना और अन्य सरकारी विभागों के द्वारा दिखाई जा रही हैं। बालोपयोगी फिल्म सोसाइटी द्वारा ये फिल्में थोड़े से किराये पर उस शिक्षा तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को भी दी जाती है जिनके पास १६ मिलीमीटर की सिनेमा की मशीन है।
७	चार दोस्त		
८	गंगा की लहरें		
९	बच्चों से बातें		

पाकिस्तानियों का भारत आगमन

†१७२४. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५५–५६ तथा १६५७–५८ में प्रतिमास कुल कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन पारपत्र ले कर पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में आये थे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** । सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिसमें अपेक्षित आंकड़े दिये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११०**]

चाय की खेती

†१७२५. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६, १९५६–५७, और १९५७–५८ में देश के प्रत्येक राज्य में कितने एकड़ भूमि पर चाय की खेती हुई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि १९५५–५६ तथा १९५६–५७ के अन्त में कितने एकड़ क्षेत्र में चाय की खेती हुई थी [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३**] ३१-३-५८ को आंकड़े क्या थे, इस सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय नौका का लूटा जाना

†१७२६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी:**
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री गजेन्द्र सिंह:
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री आसर:
श्री स० म० बनर्जी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ जुलाई, १९५८ को पाकिस्तानी सैनिकों ने कछार-सिलहट सीमा पर सूर्मा सेक्टर पर हमला करके एक नौका को लूट लिया था और नाविकों को पकड़ लिया था ;

(ख) केन्द्रीय सरकार और आसाम सरकार ने इस घटना पर विरोध व्यक्त करने के लिये जो पत्र भेजे थे, उनका पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने क्या उत्तर दिया है ; और

(ग) नौका में से कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया था और कितना माली नुकसान हुआ था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां। ५ जुलाई, १९५८ को जब एक भारतीय नौका सूर्मा नदी में जा रही थी, तो पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिकों ने उसके सामान को लूट लिया और उसके चालकों को पकड़ लिया।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के स्तर पर विरोध किये जाने के परिणामस्वरूप पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने सामान तथा चालकों को छोड़ दिया था।

(ग) किश्ती में दो ही व्यक्ति थे। उन्हें पकड़ लिया गया था, परन्तु बाद में छोड़ दिया गया था। सामान को कोई हानि पहुंचने की खबर नहीं मिली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी की फैक्टरियां

†१७२७. **श्री जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की फैक्टरियों के कुछ एक यूनिट उस समय छोटे पैमाने के क्षेत्र में भी चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का एक यूनिट स्थापित करने पर कितना खर्च आता है ;

(ग) प्रति दिन कितना गन्ना पेरा जाता है ;

(घ) उन यूनिटों में किस प्रकार की चीनी तैयार की जाती है ;

(ङ) क्या यह सच है कि इस प्रकार के यूनिटों के लिये लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती, और उन पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगता ; और

(च) क्या इस प्रकार के यूनिटों के लिये आवश्यक मशीनरी के आयात के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा उपलब्ध है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां, । सम्भवतः माननीय सदस्य खुली कढ़ाई की चीनी की फैक्टरियों[1] की ओर संकेत कर रहे हैं जिनमें 'सल्फाइटेशन' प्रक्रिया को अपनाया जाता है ।

(ख) और (ग). खुली कढाई की चीनी की फैक्टरी पर लगभग ७५,००० रुपये खर्च आते हैं जिसमें प्रतिदिन लगभग ५०० मन गन्ना पेरा जा सकता है ।

(घ) खाण्डसारी चीनी

(ङ) जी, हां ।

(च) विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि खाण्डसारी यूनिटों की स्थापना के लिये मशीनरी को आयात करने की आवश्यकता नहीं होती ।

स्टेशनरी के सामान की खरीद

†१७२८. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५, १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में केन्द्रीय सरकार ने कितनी कीमत का स्टेशनरी का सामान खरीदा था ;

(ख) उसमें से कितना सामान बाहर से आयात किया गया था और कितना देश में ही खरीदा गया था ; और

(ग) भारत में ही जो सामान खरीदा गया था उसका कितना प्रतिशत भाग बाहर से आयात किया हुआ था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Open Pan Sugar Factories

अहमदाबाद काटन वेस्ट मर्चेंट्स एसोसियेशन

†१७२९. **श्री वाजपेयी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद काटन वेस्ट मर्चेंट्स एसोसियेशन ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि सख्त और कोमल रद्दी रूई पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां ।

(ख) अनुरोध की ओर ध्यान दिया गया है ।

आसाम में छोटे पैमाने के उद्योग

†१७३०. **श्री बसुमतारी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में लघु उद्योग संस्था ने कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या संस्था ने आसाम में कोई विस्तार केन्द्र भी खोले हैं ; और

(ग) लघु उद्योगों के लिये राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी राशि मांगी गयी थी और उसे कितनी राशि अदा की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११३]

जामसर जिप्सम खान, राजस्थान

१७३१. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जामसर जिप्सम खानों में काम करने वाले श्रमिकों को कम्पनी की ओर से मजूरी भुगतान अधिनियम और खान अधिनियम के अनुसार कुछ सुविधायें दी जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये सुविधायें क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) (१) वेतन अदायगी कानून सुनिश्चित करता है कि वेतन, जो वास्तविक रूप में दिया जाना चाहिये, निश्चित अवधि के अन्दर दिया जाता है और कि कर्मचारियों का वेतन उन्हें बिना किसी प्रकार की कमी किये (कानून द्वारा या उसके अधीन अधिकृत कमियों को छोड़कर) दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) कानूनी कल्याण-सुविधायें जो खान कानून और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जामसर जिप्सम खान (बीकानेर) में दी जा रही हैं ये हैं :—

(१) स्वास्थ्य और सफाई	(i) पीने का पानी।
	(ii) पाखाने और पेशाब खाने बनाये गये हैं लेकिन स्वीकृत डिजाइन के नहीं।
	(iii) आम सफाई : अच्छी।
(२) प्रथम-सहायता इत्यादि	(i) मरीज़ों को शीघ्रता से अस्पताल में ले जाने के लिये अम्बूलैंस गाड़ी।
	(ii) प्रथम-सहायता सम्बन्धी कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में भर्ती किया जा रहा है।
	(iii) अम्बूलैंस कमरा और डाक्टर।
	(iv) दो प्रथम सहायता केन्द्र।
	(v) प्रथम सहायता का सामान सम्बन्धित कर्मचारियों को दिया जाता है।
(३) सामान्य कल्याण कार्रवाई	(i) विश्रामालयों की व्यवस्था है लेकिन स्वीकृत डिज़ाइन के नहीं।
	(ii) कैन्टीन—लेकिन स्वीकृत डिज़ाइन के नहीं।
	(iii) एक योग्य कल्याण अफ़सर नियुक्त किया गया है।
(४) खान शिशुगृह नियम	(i) एक स्वीकृत "बी" प्रकार का शिशुगृह २० बच्चों के लिये।
	(ii) प्रसाधन और सामान इत्यादि।
	(iii) प्रशिक्षित कर्मचारीगण।
	(iv) बच्चों के और दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य की जांच का एक रजिस्टर रखा गया गया है।

हरिजन विस्थापित लोगों को ऋण

१७३२. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में हरिजन बिस्थापितों को दिये गये सब ऋण (जिनमें तकावी ऋण भी सम्मिलित हैं) माफ कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने प्रति परिवार कितनी राशि माफ कर देने का निश्चय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री मेहर चंद खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) राजस्थान के हरिजन शरणार्थियों को कोई खास रियायत नहीं दी गयी है। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को आम तौर पर नीचे दिये गये क़र्ज़े माफ़ कर दिये गये हैं।

(१) पंजाब के बाहर ज़मीन पर बसाये गये प्रत्येक शरणार्थी काश्तकार (दावेदार और गैर-दावेदार) परिवार को २५२ रुपये तक की तकावी का भाग जिसे फूड लोन कहते हैं।

(२) देहाती इलाक़ों में बसाये गये गैर-दावेदार दस्तकार शरणार्थियों को गैर-काश्तकारी कामों के लिये ३०० रुपये तक के देहाती कर्ज़े।

(३) छोटे शहरी कर्ज़ों की योजना के आधीन ३१-३-५४ तक, गैर-दावेदार शरणार्थियों को उद्योग, व्यवसाय और व्यापार के लिये ३०० रुपये या कम रक़म के क़र्ज़े।

(४) विदेशों में शिक्षा के लिये क़र्ज़ों को छोड़ कर, ३१-३-५४ तक ग़ैर-दावेदार शरणार्थियों को दिये गये शिक्षा के लिये सब प्रकार के क़र्ज़े चाहे वह कितनी रक़म के हों।

(५) ११-२-५७ तक गैर दावेदार विधवाओं को सिलाई की मशीनें खरीदने के लिये दिये गये क़र्ज़े चाहे प्रत्येक विधवा को ३०० रुपये से भी अधिक मिले हों। ये आज्ञायें उन विधवाओं को भी लागू होती हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा दी गयी सिलाई की मशीनों की कीमत कर्ज़ों के रूप में दी गयी थी।

त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य

†१७३३. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में त्रिपुरा में सहायता तथा पुनर्वास विभाग के संविदा डिवीज़न द्वारा किये गये कार्य पर कुल कितना खर्च आया था ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चंद खन्ना)** : लगभग २.७९ लाख रुपये।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†१७३४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य व्यापार निगम द्वारा अभी तक कुल कितनी कीमत की वस्तुओं का आयात किया गया है ?

(ख) उस सामान का मूल्य कितना है जिसके आयात के लिये संविदा कर ली गई लेकिन जिसका आयात नहीं किया जा सका ;

(ग) गैर सरकारी क्षेत्र में आयात के सम्बन्ध में कितने सार्थों को अभी तक राज्य व्यापार निगम से सहायता प्राप्त हुई है ;

(घ) गैर सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार के सार्थों की ओर से आयात की गई वस्तुओं की कुल कितनी कीमत थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) इस प्रकार से जिन जिन गैर सरकारी सार्थों तथा पार्टियों का निगम से सम्बन्ध रहा है उनके नाम क्या हैं, उन के लिये क्या क्या वस्तु आयात की गई थी और उनकी कितनी कितनी कीमत थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) २१,८३,६८,६३५ रुपये ।

(ख) १७,०५,९३,२९१ रुपये ।

(ग) ८४।

(घ) ८,२६,७८,७५० रुपये ।

(ङ) उन सार्थों के नाम बताना व्यापारिक दृष्टि से निगम के हित में नहीं है । फिर भी गैर सरकारी सार्थों के लेखे में आयात की गई वस्तुओं की एक सूची जिसमें उन का मूल्य भी बताया गया है ; सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११४]**

स्वचालित स्टोव निर्माण फैक्टरी

†**१७३५. श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक स्वचालित स्टोव निर्माण फैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कब और कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) क्या उक्त परियोजना में कोई विदेशी कम्पनी भी शामिल हो रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (ग). दिसम्बर, १९५७ में बम्बई में एक विदेशी सार्थ के सहयोग से एक औटो-सेफ स्टोव फैक्टरी की स्थापना के सम्बन्ध में एक प्रस्थापना प्राप्त हुई थी ।

सरकार द्वारा वह प्रस्थापना स्वीकार न की गई और उस पार्टी को यह परामश दिया गया कि वह एक नई फैक्टरी स्थापित करने की बजाय स्टोव और आयल प्रेशर लैम्पों के वर्तमान निर्माताओं के साथ मिल कर ही कार्य करे ।

पशुओं का निर्यात

१७३६. सरदार इक़बाल सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुओं के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पशुओं के क्या क्या नाम हैं और उनकी किस किस किस्म पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और किस किस देश को उनका निर्यात बन्द किया गया है ; और

(ग) किन किन जानवरों और उनके किस किस प्रकार के निर्यात की अनुमति दी गई है और उनका निर्यात किस किस देश को किया जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां, कुछ जानवरों के निर्यात पर ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११५]

सिलाई की मशीनों के उद्योग का विकास

†१७३७. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में सिलाई की मशीन के उद्योग के विकास के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं पर अमल करने के लिये पंजाब सरकार को कोई राशि बांट में दी गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) सन् १९५४–५५ में भूत-पूर्व पेप्सू सरकार ने बोस्सी में सिलाई की मशीनों और उनके पुर्जों का एक बड़ा कारखाना खोलने की योजना प्रस्तुत की थी ।

(ख) इस योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा १,७३,२५० रुपयों की राशि ऋण के रूप में दी गई थी । फिर १९५८–५९ में मालेरकोटला में साइकिलों और सिलाई की मशीनों की किस्म चिन्हित करने वाले केन्द्र के लिये २१,५६४ रुपयों की राशि मंजूर की गई थी ।

इसके अतिरिक्त उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अधीन छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को ऋण के रूप में देने के लिये पंजाब सरकार को १९५६–५७ में ४३,००,००० रुपये और १९५७–५८ में २४,००,००० पये के समूह-ऋण (ब्लौक-लोन) मंजूर किये गये । परन्तु यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इन ऋणों में से राज्य सरकार ने उन उपक्रमों को कितनी राशि वितरित की है जो सिलाई की मशीनें और उनके खुले पुर्जों के बनाने में लगे हुए हैं ।

चाय व्यापार

†१७३८. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड की स्थापना के पश्चात् चाय के निर्यात व्यापार में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) और (ख). चाय बोर्ड १ अप्रैल, १९५४ को बनाया गया था । तब से निर्यात इस प्रकार है ।

१९५४–५५	४,५९६ लाख पौंड
१९५५–५६	४,०५१ लाख पौंड
१९५६–५७	५,१३९ लाख पौंड
१९५७–५८	४,२२७ लाख पौंड

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात के ये उतार-चढ़ाव अनेक कारणों से हुए हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति तथा संसार के बाजार में मांग तथा पूर्ति की स्थिति जिस पर बोर्ड का कोई वश नहीं है। फिर भी बोर्ड चाय का निर्यात ज्यों का त्यों बनाये रखने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है ?

महायुद्ध[1] में हानि उठाने वाले बर्मा स्थित भारतीय

†१७३९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** ११ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत महायुद्ध में बर्मा में हानि सहने वाले भारतीयों के लिये प्रतिकर दिलाने में अब कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई है।

पंजाब के लिये स्वचालित करघे

†१७४०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को अभी तक कितने स्वचालित करघे दिये गये हैं ; और

(ख) क्या ये करघे केवल कताई मिलों को आवंटित किये गये थे अथवा बुनाई संयंत्र वाली कपड़ा मिलों को भी दिये गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) पंजाब राज्य में ४६२ स्वचालित करघों के प्रतिष्ठापन के लिये उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेंस जारी किये गये थे।

(ख) ये करघे दो मिली जुली यूनिटों को आवंटित किये गये थे।

बम्बई राज्य में अफगानी

†१७४१. **श्री पांगरकर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य के मराठवाड़ा प्रदेश में कितने अफगान राष्ट्रजन हैं ;

(ख) इन में से कितने व्यक्तियों ने अपने पासपोर्ट का नवीकरण नहीं कराया है ;

(ग) कितने व्यक्तियों ने नियमों का उल्लंघन कर जमीनें और मकान खरीदे हैं ;

(घ) ऐसे कितने व्यक्तियों ने जिला औरंगाबाद के जालना नगर में अवैध रूप से जायदाद खरीदी है ; और

(ङ) सरकार इन मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (ङ). हमने बम्बई सरकार से जानकारी मांगी है। उपलब्ध होते ही इसे लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Great War

वनस्पति तेल

†१७४२. **श्री साधुराम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में भक्ष्य तेलों का कुल कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) क्या इन वनस्पति-तेलों का निर्यात भी किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इनकी मात्रा और मूल्य कितना कितना है ; और

(घ) यह किन-किन देशों को निर्यात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) १९५७–५८ में भक्ष्य वनस्पति तेलों का उत्पादन १५ लाख ५० हजार टन था जिन में ये सम्मिलित हैं : मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सीसम का तेल, कपास का तेल, खोपरे का तेल, कार्डी के बीज का तेल और रामतिल का तेल ।

(ख) जी हां ।

(ग) १४५ लाख रुपये की कीमत के ९,२०० टन ।

(घ) अदन, आस्ट्रेलिया, पश्चिमी जर्मनी, हांगकांग, इटली, ब्रिटेन और नीदरलैंड ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†१७४३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९५८ को काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत स्त्रियों की संख्या कितनी थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : ७८,९९१ ।

हिमाचल प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

†१७४४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा (१) व्यक्तियों और (२) सहकारी समितियों को १९५८-५९ में अभी तक कुछ ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

कागज की खपत

†१७४५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री विगत तीन वर्ष में (वर्षवार) भारत में कागज के उपभोग की मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :

	टन
१९५५-५६	२३६,५४०
१९५६-५७	२४२,४१८
१९५७-५८	२५०,५१८

ये आंकड़े स्वदेशी उत्पादन और आयात पर निर्भर हैं; निर्यात बहुत कम है .

---

†मूल अंग्रेजी में

आयोग समितियां

†१७४६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री उन आयोगों और समितियों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५८ तक की अवधि में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन काम किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११६]

अमरीका और रूस में भारतीय प्रशिक्षणार्थी

†१७४७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका और रूस के औद्योगिक संस्थानों में कोई भारतीय प्रशिक्षणार्थी आजकल ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रशिक्षण का क्या स्वरूप है और जहां ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन औद्योगिक संस्थानों की संख्या और नाम क्या-क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

कागज मिलों का बन्द होना

†१७४८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इस वर्ष ३१ जुलाई, १९५८ तक बन्द रहने वाली कागज मिलों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: जहां तक सरकार को मालूम है ऐसी एक भी मिल नहीं है ।

नकली रेशम का धागा

†१७४९. **श्री पी० रा० रामकृष्णन्** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा उद्योग क्षेत्र में नकली रेशम के कितने धागे की खपत हुई है; और

(ख) इसके आयात पर नियंत्रण लगाने से हथकरघा उद्योग क्षेत्र में किस सीमा तक प्रभाव होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) आयात पर नियंत्रण लगाने के परिणामस्वरूप नकली रेशम के धागे के सभी श्रेणी के उपभोक्ता अर्थात् विद्युत्-चालित करघे, हथकरघे, होजरी और गैस मेंटल के निर्माता आदि कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । नकली रेशम के धागे के आयात पर नियंत्रण लगाने से हथकरघा उद्योग क्षेत्र पर कहां तक प्रभाव होगा इसके बारे में पृथक् जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

हथकरघा तथा अन्य उद्योग क्षेत्रों में नकली रेशम के धागे का समान रूप से वितरण करने के लिये सभी सम्भव कदम उठाय जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जापान के साथ व्यापार

†१७५०. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अभी तकन जापा को कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया है;

(ख) १९५७ की समनुवर्ती अवधि में जापान को कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया था; और

(ग) हमारे निर्यात में यदि कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११७]

(ग) मांग की मन्दी के कारण जापान द्वारा कपास, लोहा तथा इस्पात का चूरा, मैंगनीज अयस्क और कोयले के आयात में सामान्य गिरावट हुई है। इसका प्रभाव भारत के निर्यात पर भी हुआ है।

गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक का कारखाना

†१७५१. श्री सुब्बया अम्बलम् : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों के क्या-क्या नाम हैं;

(ख) क्या उन कारखानों में वैदेशिक उद्योगों का सम्पर्क है;

(ग) यदि हां, तो इसका प्रत्येक कारखाने में कितना अंश है; और

(घ) प्रत्येक कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है और इन में से प्रत्येक कारखाने में १९५६, १९५७ और १९५८ में अभी तक यथार्थ उत्पादन कितना हुआ है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों के नाम और उनकी उत्पादन क्षमता बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११८]

सांख्यकी संग्रह अधिनियम, १९५३ की धारा ७ के अधीन प्रत्येक कारखाने में यथार्थ उत्पादन की मात्रा नहीं बताई जा सकती है। १९५६, १९५७ और १९५८ में कुल उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

१. नाइट्रोजीनस उर्वरक (अमोनियम सलफेट)

१९५६	५६,२२५ टन
१९५७	४६,४११ टन
१९५८	५८,८०० टन (अनुमानित)

२. फोसफेटिक उर्वरक (सुपर फोस्फेट)

१९५६	८१,१७० टन
१९५७	१४१,६७८ टन
१९५८	१५७,३०० टन (अनुमानित)

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जमीन का लगान[1]

†१७५२. **सेठ अचल सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में चाही और रोसली जमीनों का लगान १६५३-५४ के पहले क्या था;

(ख) दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्रों में निष्क्रांत सम्पत्ति प्रति एकड़ किस दर पर नीलाम की गई है; और

(ग) सरकार को दिल्ली क्षेत्र की उस निष्क्रांत भूमि के बारे में किस दर पर प्रतिकर मिलेगा जहां काश्तकारों को भूमिदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) दिल्ली प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार १६५०-५१ के पहले नंकद लगान की दरें निम्न प्रकार थी :—

निर्धारण क्षेत्र	चाही	रोसली
दिल्ली (नगरीय) . .	४० रुपये	५ रुपये प्रति एकड़
बांगड़	३ रुपये	१ रुपया प्रति एकड़
शाहदरा . . .	३ रुपये	३ रुपये और ६ रुपये प्रति एकड़
खादर	४ रुपये	३ रुपये प्रति एकड़
डाबर	४ रुपये	१ रुपया ५० नये पैसे प्रति एकड़
कोही	२ रुपये	२ रुपये प्रति एकड़
खंदरात . . .	६ रुपये	४ रुपये प्रति एकड़

उत्पादन लगान कुल उपज पर चतुर्थांश से लेकर आधे तक अलग अलग है ।

१६५०-५१ से जमाबदी इत्यादि संकलित नहीं की गई है उसके बाद की अवधि के लिये जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) १५ अगस्त, १६४७ के पूर्व जिन काश्तकारों के पास पट्टे अथवा समझौते के अन्तर्गत जो निष्क्रांत जमीनें थीं उन्हें भूमिधारी अधिकार दे दिये गये हैं । १५ अगस्त, १६४७ के पश्चात् काश्तकारों को जो निष्क्रांत जमीनें मिली हैं उन पर दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे और इस प्रकार की जमीनों पर अधिनियम के अनुसार काश्तकारों को कोई अधिकार नहीं मिलेंगे । भूमिधारी अधिकारों के अर्जन के लिये काश्तकारों द्वारा दी जाने वाली प्रतिकर दरों

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rent of Lands.

के सम्बन्ध में निष्क्रांत और गैर-निष्क्रांत जमीन में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है । अधिनियम में निम्न दरों का उपबंध किया गया है:—

काश्तकारों की श्रेणी	देय प्रतिकर
१. **काश्तकारों का उच्चवर्ग अर्थात्** — (क) पंजाब काश्तकारी अधिनियम की धारा ५ के अन्तर्गत अधिभोक्ता काश्तकार जिन्हें बिक्री द्वारा स्थानान्तरण के अधिकार प्राप्त हैं (ख) पट्टा दखामी अथवा इस्तमरारी के अधीन जमीन रखने वाले काश्तकार जिन्हें बिक्री द्वारा स्थानान्तरण के अधिकार प्राप्त हैं	भू-राजस्व का चार गुना और उपकर तथा स्थानीय दरें ।
२. **स्थायी और वंशानुगत अधिकारों वाले काश्तकार अर्थात्**— (क) पंजाब काश्तकारी अधिनियम की धारा ५ के अधीन काश्तकारों के अतिरिक्त अन्य अधिभोक्ता काश्तकार (ख) पट्टा दखामी अथवा इस्तमरारी के अधीन भूमिधारी काश्तकार जिन्हें बिक्री का अधिकार प्राप्त नहीं है (ग) शाहदरा सर्कल में अ-स्वामिधारी काश्तकार	भू-राजस्व का आठ गुना और उपकर तथा दरें ।
३. **गैर अधिभोक्ता काश्तकार अर्थात्**— (क) बिना लगान वाले भूमि-गृहीता अथवा कम दर पर वाले भूमि गृहीता (ख) गैर अधिभोक्ता काश्तकार जो राजस्व दरों पर और मालकाना अथवा उसके बगैर लगान देते हैं (ग) गैर अधिभोक्ता काश्तकार जिनमें शाहदरा सर्कल के १२ वर्ष से अधिक वाले काश्तकार सम्मिलित हैं (छ) निकुंजधारी काश्तकार	भूमि राजस्व का सोलह गुना और उपकर तथा दरें ।
४. **'सीर' वाले काश्तकार और उपकाश्तकार**—	भूमि राजस्व का बीस गुना और उपकर तथा स्थानीय दरें ।

उपरोक्त श्रेणी २, ३ और ४ के काश्तकारों को प्रतिकर निर्धारण के प्रयोजन से भूमि राजस्व की रकम अधिनियम लागू होने के तुरन्त पूर्व फसली वर्ष में देय अथवा दिये गये लगान की रकम का आधा होगा । जब लगान की आधी रकम यथार्थ रूप से देय भू-राजस्व की रकम से कम है तो राजस्व उपरोक्त यथार्थ रकम होगी; और जब लगान की कथित आधी रकम भूमि राजस्व की

---

†मूल अंग्रेजी में

यथार्थ रकम के दुगुने से अधिक है तो भूमि राजस्व यथार्थ राजस्व का दुगुना होगी। अतः अधिनियम लागू होने के पहले देय भू-राजस्व की यथार्थ रकम के चालीस गुने से अधिक प्रतिकर नहीं होगा।

प्रधान मंत्री का सहायता कोष

†१७५३. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री के सहायता कोष में उसके प्रारम्भ से अब तक प्रतिवर्ष कितनी राशि जमा हुई है ;

(ख) इस कोष में से किन-किन श्रेणी के व्यक्तियों अथवा संगठनों को सहायता दी जाती है ;

(ग) विभिन्न पार्टियों को निधि आवंटन करने के लिये क्या क्या नियम और विनियम हैं ;

(घ) क्या उपरोक्त निधि के लेखे की जांच और परीक्षण केन्द्रीय राजस्व के महालेखा परीक्षक द्वारा नियमित रूप से की जाती है ; और

(ङ) क्या उसके प्रशासन में किन्हीं अनियमितताओं की ओर संकेत किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) प्रधान मन्त्री के सहायता कोष[1] में से नवम्बर १९४७ में उसके प्रारम्भ काल से ३० जून, १९५८ तक प्राप्त अंशदान और उससे दी गई रकमें बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११९]**

(ख) प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष से निधि का वितरण सामान्यतया राज्य-पालों और मुख्य मंत्रियों की मार्फत किया जाता है। किन्हीं अवस्थाओं में सहायता और कल्याण की संयुक्त परिषद् जिसके चैयरमेन राष्ट्रपति हैं, सरीखी विख्यात सामाजिक संस्थाओं को अनुदान दिये जाते हैं। कोष की स्थापना के प्रारम्भिक काल में अधिकांश रकम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की सहायता उपबंध में प्रयुक्त की गई थी।

पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग मुख्यत : बाढ़, अनावृष्टि, भूकम्प आदि दैवी विपत्तियों से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता का उपबंध करने के लिये किया गया है। प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष से राज्यों के राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों के पास जो निधियां रखी जाती है उनका उपयोग वे अपने विवेक से करते हैं।

(ग) प्रधान मंत्री के सहायता कोष से निधि आवटंन करने के लिये कोई निश्चित नियम तथा विनियम नहीं हैं। प्रधान मंत्री अपने विवेक से ही इसका वितरण करते हैं।

(घ) प्रधान मंत्री के सहायता कोष पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अथवा केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल का कोई निधि सम्यत अथवा संवैधानिक उत्तर दायित्व नहीं है। प्रधान मंत्री के सहायता कोष की लेखापरीक्षा भारत सरकार की मान्यता प्राप्त सूची के चार्टर्ड लेखापाल की फर्म मेसर्स एस० वैघनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी प्रतिवर्ष नियमित रूप से करती है। उस फर्म के नाम की सिफारिश केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने की थी।

(ङ) कोष के प्रारम्भ से अभी तक उसकी व्यवस्था में कोई अनियमितता नहीं बताई गई है इस विषय में यह भी उल्लेख किया जाता है कि प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष के लेखों में रकम लेने और देने का अधिकार प्रधान मंत्री के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Prime Minister Relief Fund

पत्र सम्वाददाताओं को मान्यता[1]

†१७५४. **श्री अर्जन सिंह भदौरिया :** क्या सूचना और प्रसरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पत्रों के प्रतिनिधियों के रूप में मान्यता प्राप्ति के लिये १९५८ में भारत सरकार के समक्ष कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये और किन-किन पत्रों की ओर से मान्यता प्राप्ति का प्रयत्न किया था ;

(ख) उपरोक्त आवेदन पत्रों पर विचार होने तक विदेशी पत्र प्रतिनिधियों को क्या-क्या सुविधाऐं दी गई हैं ; और

(ग) कितने आवेदन पत्र स्वीकार किये गये और कितने अस्वीकार कर दिये गये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) सोलह। समाचार पत्रों के नाम बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२०**] केन्द्रीय समाचार पत्र मान्यता समिति[1] की सिफारिश पर ही मान्यता प्रदान की जाती है। इस समिति में अखिल भारत समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन और श्रमजीवी पत्रकारों का भारतीय संघ के प्रतिनिधि हैं और नियम के अन्तर्गत सब आवेदन पत्र उन्हें निर्दिष्ट किये जाते हैं।

(ख) सामान्यत : मान्यता प्रदान होने तक प्रेस सामग्री सम्भरित करने के अतिरिक्त और कोई सुविधाएं संवाददाताओं को नहीं दी जाती है। जिन स्थितियों में यह प्रकट होता है कि पत्र संवाददाता की अर्हताएं और समाचार पत्र की ख्याति को देखते हुए मान्यता प्रदान करने की सभांवना है उनमें मुख्य सूचना अधिकारी को मान्यता समिति की ओर से यह अधिकार मिला हुआ है कि समिति की ओर से अस्थायी मान्यता दे दी जाये।

(ग)

स्वीकृत	१२
अस्वीकृत	१
मान्यता समिति द्वारा विचार हेतु निलम्बित)	३

उड़ीसा में योजना प्रचार

†१७५५. **डा० सामन्त सिंहार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा की उन नाटक मंडलियों के क्या नाम हैं जिन्होंने १९५७-५८ में योजना प्रचार के लिये ड्रामे किये हैं ;

(ख) योजना प्रचार के लिये कितने मूल उड़िया ड्रामे चुने गये हैं ;

(ग) इन नाटक मंडलियों का चुनाव किन सिद्धान्तों पर अधारित है ; और

(घ) ड्रामों के माध्यम से प्रचार कार्य पर उड़ीसा में १९५७-५८ में कुल कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क)

१. जनता रंगमञ्च, कटक

२. अन्नपूर्णा थिएटर 'ए' ग्रूप, पुरी

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central Press Accreditation Committee.

३. अन्न पूर्णा थिएटर 'बी' ग्रूप, कटक

४. नाट्य श्री थिएटर्स, स्टेशन बाजार, बरीपांड़ा

५. ब्वायज कल्चरल क्लब, बालुगन

६. चन्द्र कला थिएटर्स, सांगोरा

७. समाज सेवा संघ, भजंनगर, पो० गर्जम

८. गोपबंधु ड्रामाटिक क्लब, बलकाटी

९. बकदेवी नाट्य संघ, बडलामंगा, पो० भगतसिंह पुर

१०. वणिापाणि क्लब, ओल्ड भुवनेश्वर

११. बिमला क्लब, भुवनेश्वर

(ख) एक

(ग) नाटक मंडलियों का चुनाव प्रत्येक स्थिति में प्रचार नाटकों के सफल प्रदर्शन की क्षमता और उनकी ख्याति तथा सम्बन्धित क्षेत्र की आवश्यकता और दर्शकों की प्रवृति पर आधारित है। किन्तु वर्तमान नीति के पुनरीक्षण की ओर ध्यान दिया जा रहा है जिसके अनुसार दो या तीन चुनी हुई और योग्य नाटक मंडलियों में ही यह कार्य सौंपा जायेगा ताकि उनके प्रदर्शन पर अधिक सूक्ष्म और प्रभावपूर्ण नियंत्रण किया जा सके।

(घ) ३,९०७ रूपये २५ नये पैसे।

स्थगन प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा में शान्ति स्थापित करने के लिये सशस्त्र सिपाहियों का बुलाया जाना

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे तीन स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रत्यक्षत: उनमें से कोई भी नियमानुकूल नहीं है। पहला प्रस्ताव श्री ही० ना० मुकर्जी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा श्री वे० प० नायर द्वारा दिया गया है, इसका सर्व श्री ब्रजराज, सिंह स० म० बनर्जी, जगदीश अवस्थी, तंगामणि तथा हेम बरूआ द्वारा दिया गया है और तीसरा श्री नाथपाई व श्रीजाधव द्वारा दिया गया है। इन प्रस्तावों का आशय यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रजातांत्रिक तथा संविधानिक अधिकारों के उल्लघंन के कारण भयानक स्थिति पैदा हो गई है और संविधान तथा संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली का निर्वाह होना कठिन हो गया है। उनमें कहा गया है कि यू० पी० की विधान सभा के अन्दर सशस्त्र सिपाहियों द्वारा माननीय सदस्यों के पीटे जाने आदि के कारण बड़ी गंम्भीर स्थिति पैदा हो गई है जिससे प्रजातन्त्रात्मक पद्धति को गहरी चोट लगी है और जनता का प्रजातन्त्र में विश्वास घट गया है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार शान्तिपूर्ण स्थिति बनाये रखने में असफल रही है।

यद्यपि ये प्रस्ताव प्रत्यक्षत: ग्राह्य नहीं हो सकते तो भी मैं इनके बारे में ठीक ठीक स्थिति जानने के लिये प्रत्येक दल के एक एक वक्ता को अपने विचार प्रकट करने के लिये अवसर देना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कहा गया है कि विधान सभा के भीतर तथा बाहर संविधानिक प्रजातन्त्र को विफल बनाया जा रहा है। कदाचित् बाहर की स्थिति से उनका आशय खाद्य स्थिति से है किन्तु मैं यह नहीं समझ पा रहा कि यदि कुछ लोग किन्हीं कठिनाइयों अथवा राजनीतिक कारणों से किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं और जब अधिकारी उनको पकड़ते हैं तब कैसे यह कहा जा सकता है कि इससे संविधानिक प्रजातन्त्र की विफलता हो रही है। जब तक पुलिस स्थिति को काबू में रखती है तब तक कैसे यह कहा जा सकता है कि संविधान विफल हो गया है।

इसी प्रकार विधान सभा के भीतर भी कुछ सदस्यों ने कुछ स्थगन प्रस्ताव रखे थे। अध्यक्ष ने उन को अस्वीकृत कर दिया था। किन्तु सदस्य बारम्बार अपने प्रस्तावों पर बोलने का आग्रह करने लगे यहां तक कि उन्होंने अध्यक्ष के आदेश को मानने से इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में किसी सभा का काम कैसे चल सकता है? तब अध्यक्ष ने बाध्य हो कर पुलिस को बुलवाया था। ऐसी स्थिति में वह बेचारा और क्या कर सकता था? और फिर इस में इस सरकार का क्या कसूर है। वहां की स्थिति कुछ भी हो लेकिन यह सभा तो इस सरकार की आलोचना कर सकती है। इस में केन्द्रीय सरकार का क्या जिम्मा है।

फिर, वहां की खाद्य स्थिति के बारे में इस समय राज्य में लगातार कई प्रकार के आन्दोलन चल रहे हैं। प्रति दिन अनेक लोग कैद हो रहे हैं। उन में राज्य की विधान सभा तथा कई संसद् सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं। यह कोई नई घटना नहीं है। उन की गिरफ्तारी का विषय विधि तथा व्यवस्था का विषय है। अतः वह केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इन बातों का ध्यान रखते हुए यह प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि उन के स्थगन प्रस्ताव कैसे तथा क्योंकर गृहीत किये जा सकते हैं? श्री डांगे।

†**श्री श्री अ० डांगे** (बम्बई नगर मध्य) : श्रीमान्, मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या विधान सभा के सदस्यों को अपनी कार्यवाही करने में सामान्य रूप से सभी प्रकार के आक्रमणों से सुरक्षा का अधिकार नहीं दिया हुआ है। स्थगन प्रस्ताव के दौरान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् का दो बार स्थगन किया गया। फिर उस सभा में सशस्त्र सिपाही बुलवाये गये, जिन्होंने वहां बैठे हुए कुछ सदस्यों पर आक्रमण कर के उन्हें बुरी तरह घसीट कर सभा से बाहर निकाला। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्रथा प्रजातांत्रिक मान्यताओं के अनुकूल है। मान लीजिये कि कोई सदस्य अध्यक्ष के आदेश को नहीं मानता तब भी क्या यह उचित है कि उसे सशस्त्र पुलिस को बुला कर इस प्रकार बुरी तरह से सभा में से निकलवाया जाये? क्या यह उस पर आक्रमण करना नहीं होगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कोई सदस्य अध्यक्ष का आदेश नहीं मानता और मार्शल के कहने पर भी सभा के बाहर नहीं जाता और मार्शल अकेला उसे बाहर नहीं निकाल सकता तब ऐसी स्थिति में अध्यक्ष अपने आदेश का कैसे पालन करवा सकता है?

†**श्री श्री० अ० डांगे** : यहां पर जो खाद्य स्थिति के बारे में वाद विवाद हुआ था उस में सभा के नेता ने सभी दलों से बात चीत करके व उनका सम्मेलन बुला कर इस समस्या को सुलझाने और तनाव कम करने का उल्लेख किया था। तो वहां जब वाद विवाद के दौरान में कोई भयानक स्थिति पैदा हो गई थी तब सभा के नेता तुरन्त सभी दलों से बातचीत करने का आश्वासन दे कर स्थिति को संभाल सकते थे। किन्तु इस के स्थान पर सशस्त्र सिपाहियों को बुला कर सत्तारूढ़ पक्ष ने अपने शस्त्र प्रेम का परिचय दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्री० अ० डांगे]

आज तक मजदूरों और हड़तालियों के विरुद्ध सशस्त्र सिपाहियों का प्रयोग किया जाता रहा है किन्तु अब विधान सभाओं के सदस्यों के विरुद्ध भी उनका प्रयोग किया जाने लगा है। न जाने यह बल प्रयोग और कहां तक बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस बात पर भली भांति विचार किया जाये कि क्या ऐसी स्थितियों में भी विधान सभा के सदस्यों के विरुद्ध सशस्त्र बल का प्रयोग करना संविधानिक है अथवा नहीं ? श्रीमान्, हमें इस स्थिति पर इस दृष्टि से गौर करना है कि इस घटना से विधान सभाओं की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावनायें हो सकती हैं।

मुझे इस सभा के सदस्य श्री गोपालन का भेजा हुआ तार मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री राजनारायण तथा अन्य सदस्यों को लातें मार कर और गाली दे कर घसीटते हुए बाहर निकाला गया। उन्होंने लिखा है कि संसदीय प्रजातन्त्र की उत्तर प्रदेश में हत्या हो रही है। उन्होंने आगे लिखा है कि बड़े बड़े और विवादास्पद विधेयकों को जरा सी देर में पारित किया जा रहा है जिस से विधान मंडल एक मजाक बन गया है। मैं चाहता हूं कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाये।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : श्रीमान्, जब हम ने आज प्रातःकाल समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की घटनाओं का उल्लेख पढ़ा तो हमें बड़ी मानसिक क्लेश हुआ कि इस से प्रजातान्त्रिक मान्यताओं को कितना धक्का पहुंच सकता है। हम इस देश में संसदीय संस्थाओं का नवनिर्माण कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि ये संस्थायें लोगों की स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता की महान प्रहरी बन कर कार्य करें। किन्तु आज की घटना हमारी इन आकांक्षाओं पर तुषारापात के समान हैं मैं भगवान से कामना करता हूं कि हमारी इस संस्था में कभी ऐसी घटनाओं की आवृत्ति न हो। हमें प्रत्येक स्थिति में अध्यक्ष के साथ सहयोग करने के लिये तैयार रहना चाहिये। हम यहां पर ऐसी कोई घटना नहीं घटित नहीं होने देना चाहते जिस से संसदीय प्रजातन्त्र अथवा संस्थाओं को किसी प्रकार का धक्का पहुंचे।

आज प्रातः जब हम ने समाचार पत्र में इस घटना का वृतान्त पढ़ा तो हम ने भिन्न दलों के नेताओं से परामर्श किया कि यह घटना बड़ी गंभीर घटना है तथा इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये किन्तु इस सभा में ऐसी चीजों पर इतने शीघ्र विचार करने के लिये स्थगन प्रस्ताव को छोड़ कर अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। इसलिये हम ने यह स्थगन प्रस्ताव भेजा है। हमारा एक मात्र अभिप्राय यह है कि इस विषय पर किसी न किसी भांति शीघ्रातिशीघ्र चर्चा की जाये। इसलिये मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि आप अभी इस प्रस्ताव के बारे में किसी प्रकार का आदेश न दें और हम सब लोग तथा सभा के नेता मिल कर आप के कक्ष में बैठ कर सोच लें कि इस विषय पर कैसे चर्चा की जाये। उस के पश्चात् आप जैसा उचित समझें कर सकते हैं।

श्री ब्रज राज सिंह : (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ आज विभिन्न प्रान्तीय असेम्बलियों में हो रहा है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश असेम्बली में, कोई सर्वसत्ता प्राप्त असेम्बली नहीं है। जो सब से बड़ी कानून बनान वाली असेम्बली है, वह यह सभा है, यह लोक सभा है, यह पार्लियामेंट है ?। जो कुछ हमारी असेम्बली में यहां होता है या जो कुछ यहां किया जाता है, तथा जो रूलिंग श्रीमन् आप के द्वारा दिये जाते हैं, उन का दूसरे लोग तथा दूसरे स्पीकर्स अपनी अपनी असेम्बलियों में पालन करते हैं। जो कुछ उत्तर प्रदेश की असेम्बली में हो रहा है उस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जनतन्त्र की हत्या हो रही है। अभी तक तो इस सदन में या दूसरी असेम्बलियों में जो मैम्बरों के साथ हुआ है है वह यह हुआ कि पुलिस उन को घसीटा करती थी, या छोटी मोटी चोट पहुंचा दिया करती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की असेम्बली में जो

†मूल अंग्रेजी में

कल हुआ उस से सभी का सिर शर्म से झुक जाना चाहिये। एक मैम्बर को वहां घसीटा गया जिस की वजह से वह बेहोश हो गया। दूसरे के कपड़े फाड़ डाले गये। तीसरे ने यह कहा कि जिस तरह से बेइज्जती की जा रही है, जिस तरह से चोट पहुंचाई जा रही है, जिस तरह से उन के साथ व्यवहार किया जा रहा है उस से गोली मार देना ज्यादा अच्छा होगा। यह कहना कि इस पार्लियामेंट को उस पर अधिकार नहीं है, मैं ठीक नहीं समझता हूं और मैं इस से सहमत नहीं हूं। यह जो हमारा सदन है यह सर्व सत्ता प्राप्त सदन है। दूसरे देश में कोई भी असेम्बली सर्व सत्ता प्राप्त असेम्बली नहीं है। जो कुछ भी असेम्बलीज़ में होता है वह भले ही स्पेसिफाइड सबजैक्ट्स में हो, भले ही उन क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार उनको मिला हुआ हो लेकिन पूरे तौर से जो अधिकार हैं वे सब इस हाउस को मिले हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर किसी स्टेट में कांस्टीट्यूशनल मैशीनरी खत्म होती है या उस का ब्रेक डाउन होता है तो उस स्टेट का कौन चार्ज लेगा? उस का चार्ज यही सर्व सत्ता प्राप्त पार्लियामेंट तो लेगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी उत्तर प्रदेश की असेम्बली में हुआ है उस पर चाहे किसी प्रस्ताव के द्वारा हो और चाहे किसी और तरीके से हो, इस सदन को पूरा अधिकार है कि यह उस पर विचार करे। मुझे पूरी आशा है कि इस सदन के लोगों की यह इच्छा है कि वे आप की छत्रछाया में कोशिश करें इस बात की कि आगे आने वाले हिन्दुस्तान के लिये यहां पर जनतन्त्र पनपे, यहां पर जनतन्त्र का विकास हो। हम में से कोई भी आप के साथ नान-कोओपरेट करना नहीं चाहता है और न किसी ने किया है, किसी ने भी यह नहीं चाहा है कि आप की रूलिंग का पालन न हो। अब तक हमारी यही कोशिश रही है कि जो भी आप की रूलिंग हो उस का पालन किया जाये।

जब स्पीकर्स कान्फ्रेन्स में, श्रीमन्, आप बैठते हैं या दूसरे स्पीकर बैठते हैं तब आप मिल कर तय कर सकते हैं कि हाउस में आर्डर कायम रखने के कौन से तरीके हो सकते हैं और किस तरह से आर्म्ड कांस्टेबुलरी को सदन के अन्दर बुलाने से रोका जा सकता है और किस तरह से सदस्यों को बल प्रयोग द्वारा, घसीट कर या बेइज्जत कर के बाहर निकालने की घटनाओं को रोका जा सकता है। जिस तरह की आज बुरी स्थिति वहां पर है उस तरह की बुरी स्थिति किसी भी सदन की नहीं हो सकती है। जहां पर कानून बनाने वाले लोग बैठते हैं, वहां का अगर यह हाल होना शुरू हो जाये तो आगे क्या होने वाला है इस का आप सहज ही अन्दाजा लगा सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में पुलिस जा कर के उन लोगों को, जजों को भी खींचने की कोशिश कर सकती है।

मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है और उस पर जब तक इस सदन में, किसी भी तरह से, सही, विचार नहीं किया जायेगा तब तक मुल्क के अन्दर जनतन्त्र का जो भविष्य है वह खतरे में पड़ा रहेगा। इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये और कोई तरीका निकाला जाये जिस से कि इस प्रश्न पर इस सदन में विचार हो सके ताकि पूरे हिन्दुस्तान के लिये जनतन्त्रीय परम्पराओं को आगे बढ़ाने के लिये कोई रास्ता निकल सके।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : श्रीमान्, श्री अशोक मेहता ने उत्तर प्रदेश की विधान सभा की घटनाओं के बारे में जो खेद प्रकट किया है मैं उन के साथ इस बात में पूर्णतया सहमत हूं कि यह घटना हम सब के लिये बड़ी खेदपूर्ण है। जो कुछ वहां पर हुआ है निश्चय ही वह प्रजातन्त्र की भावना तथा मान्यता प्राप्त रूढ़ियों के विरुद्ध है। प्रजातन्त्र बुद्धि तथा तर्क के आधार पर चलता है और इस के लिये कुछ संयम, दूसरे के विचारों की कद्र करने और उन को शान्तिपूर्वक सुनने की क्षमता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

होने की आवश्यकता होती है। भाषण की स्वतन्त्रता के अधिकार का हम ऐसी सीमा तक ही प्रयोग कर सकते हैं जिस में कि दूसरों को भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिल सके। प्रजातन्त्र का कार्य दो प्रकार से चलता है। एक प्रजातांत्रिक संस्थाओं के द्वारा तथा दूसरा लोगों की देश की विधियों की पालन करने की प्रवृत्ति द्वारा। जब किसी देश में संगठित रूप से देश की विधियों का उल्लंघन किया जाने लगता है तब प्रजातन्त्र खतरे में पड़ जाता है। जब विधान सभाओं की कार्यवाही को प्रारम्भिक संसदीय सिद्धान्तों के विरोधी तरीकों से सम्पन्न किया जाता है तब भी प्रजातन्त्र खतरे में पड़ जाता है। प्रजातन्त्र के लिये सब से पहली आवश्यकता यह है कि विधान सभाओं का कार्य बिल्कुल सामान्य तथा शान्तिमय रीति से चलना चाहिये। और यह बात इस बात पर निर्भर करती है कि सदस्यों का सामान्य रूप से अध्यक्ष के प्रति क्या रवैया है। हमें अध्यक्ष के आदेश को हर हालत में तथा बिना किसी हुज्जत में मानने के लिये तैयार होना चाहिये। चाहे वह गलत आदेश हो या ठीक और चाहे हम उससे सहमत हों या नहीं। हो सकता है अध्यक्ष हमेशा ठीक न हो, किन्तु फिर भी प्रजान्तत्र की यही मांग है कि अध्यक्ष के आदेश को हमेशा माना जाये। विधान सभा के भीतर उस का आदेश ही सब से बड़ी विधि है। हमें हमेशा उस का आदेश मानना चाहिये।

यहां इस मामले में क्या हुआ? अध्यक्ष ने एक सदस्य से बार बार यह प्रार्थनाँ की कि वह अपने स्थान पर बैठ जाये किन्तु सदस्य ने उन की बात नहीं मानी। अब यदि प्रत्येक व्यक्ति अध्यक्ष की बात की अवज्ञा करने लगे तो हम लोग कैसे कोई कार्य कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में प्रजातन्त्र कैसे चल सकता है? जब कोई सदस्य अध्यक्ष का आदेश मानने से इन्कार कर दे तब अध्यक्ष प्रजान्तत्र की रक्षा के लिये तथा सभा विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये क्या करे? सदस्यों को यह अधिकार है कि वे वाद विवाद में भाग लें। किन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि एक सदस्य दूसरों को बोलने ही न दे। इसलिये सभा का सब कार्य अध्यक्ष के आदेश के अनुसार चलना जरूरी है। उस के प्रत्येक आदेश का पालन करना जरूरी है। अब मार्शल के जाने पर भी यदि कोई सदस्य अध्यक्ष का आदेश मानने से इन्कार करता है तब अध्यक्ष के आदेश की अवज्ञा कर के सभा का काम कैसे चल सकता है। ऐसी स्थिति में सभा का कार्य चलाने के लिये अध्यक्ष को अवश्यमेव बाहर से सहायता लेनी पड़ती है।

और मैं यह बता दूं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष, जहां तक मैं जानता हूं, बड़े धैर्यवान तथा सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वह हमेशा सब दलों को अधिक से अधिक सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु साथ ही उन्होंने जब किसी बात को गलत समझा तब उस बात को कभी नहीं होने दिया। वह हमेशा न्याय का साथ देते हैं। वह एक न्यायप्रिय तथा निष्पक्ष व्यक्ति हैं और वे सब की समान रूप से इज्जत करते हैं। ऐसी दशा में जब कोई सदस्य उन के आदेश की अवहेलना कर के सभा की कार्यवाही में बाधा डालता है तब उन के पास बाहर से सहायता लेने के सिवा और क्या चारा रह जाता है? मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह बड़ी दुखद घटना है तथा ऐसी घटना नहीं होनी चाहियें। इनसे हमारी प्रजातांन्त्रिक प्रणाली पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और इन से यह झलकता है कि हम अपनी विधान सभाओं की कार्यवाही को ठीक ढंग से नहीं चला सकते हैं।

खाद्य स्थिति का प्रश्न इस से बिल्कुल भिन्न प्रश्न है। आज राज्य में संगठित रूप से विधियों का उल्लंघन करने के लिये जो राजनीतिक आन्दोलन चलाये जा रहे हैं उन का भी इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक विधान सभा की कार्यवाही को सुचारू रीति से चलाने का प्रश्न है यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है। यद्यपि हम पहले दो प्रश्नों पर मतभेद रख सकते हैं। किन्तु हम सब को इस बात पर सहमत होना चाहिये कि विधान सभा की प्रतिष्ठा रखना व प्रक्रिया नियमों का पालन करना हम सब का परम कर्त्तव्य है और हम विधान सभा की मर्यादा की तभी रक्षा कर सकते हैं जब हम सब अध्यक्ष के आदेश का पालन करने के लिये हमेशा तैयार रहें।

उस सभा में क्या हुआ, किसी विधेयक को पास करने में कितना समय लगा इन प्रश्नों की चर्चा करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। यदि सभी सदस्य किसी विधेयक के बारे में कोई मतभेद न रखते हों तो बड़े से बड़ा बिल कुछ मिनटों में ही पास किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों में विधान सभाओं के बाहर तथा भीतर पूरा सहयोग होना चाहिये और खास तौर पर विधान सभा की कार्यवाही चलाने के लिये प्रत्येक सदस्य को बिना किसी हीलोहुज्जत के अध्यक्ष का आदेश मानने के लिये पूरा सहयोग देना चाहिये और उस का तुरन्त पूरा पूरा पालन करन चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दोनों पक्षों को बोलने का अवसर दे चुका हूं। मैं समझता हूं इस घटना से सभी सदस्यों को बल्कि देश के सभी लोगों को बड़ा दुःख पहुंचा होगा।

किन्तु हमें यह विचार करना है कि इस मामले पर चर्चा करने के लिये हमारा क्षेत्राधिकार कहां तक है। हमारा एक संघीय प्रकार का संविधान है। उस के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की विधान सभा पूर्णरूपेण सर्वप्रभुत्वसम्पन्न है। हम लोग कुछ विषयों में राज्यों की विधान सभाओं की कार्यवाही की बिल्कुल आलोचना नहीं कर सकते। यह सभा उच्चतम न्यायालय की भांति नहीं है जो कि अपने नीचे के न्यायालयों की अपीलें सुन सकता है।

जहां कहीं संविधानिक व्यवस्था असफल हो जाती है वहां का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद ३५५, व ३५६ के अनुसार केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले सकती है। अब माननीय सदस्य इस घटना के आधार पर यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति को राज्य का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेना चाहिये क्योंकि वहां पर संविधानिक व्यवस्था विफल हो गई है। यह एक बड़ा असाधारण कदम है।

श्री अशोक मेहता ने यह कहा है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिये स्थगन प्रस्ताव ही एक मात्र तरीका है। मैं उन से सहमत नहीं हूं। हम प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव द्वारा ही चर्चा नहीं करते। पहले भी मैं कई बार अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने की अनुमति दे चुका हूं। इस के लिये हम सब बैठ कर सोच सकते हैं कि किसी विषय पर चर्चा करने के लिये कौन सा उपयुक्त तेरीका हो सकता है।

अध्यक्ष सम्मेलन में भी मैं किसी के ऊपर अपना निश्चय नहीं थोप सकता हूं। हम वहां पर एकत्रित होते हैं तथा विधान सभाओं सम्बन्धी विषयों की चर्चा करते हैं और उन पर प्रजातांत्रिक ढंग से विचार विनिमय के बाद कोई निश्चय करते हैं।

यह कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक पक्ष को अपना विचार प्रकट करने का अधिकार है। इस घटना में अल्पसंख्यक पक्ष के किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह घटना खाद्य स्थिति पर वाद विवाद के समय हुई है। मैं समझता हूं इस घटना से पहले कई बार वहां पर खाद्य स्थिति पर चर्चा की जा चुकी थी। वहां के अध्यक्ष ने किसी प्रजातांत्रिक सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं किया।

जहां तक अध्यक्ष का प्रश्न है स्थिति इस प्रकार थी। विरोधी पक्ष वाले अपने पक्ष के एक सदस्य के गिरफ्तार किये जाने पर एक स्थगन प्रस्ताव रखना चाहते थे। अध्यक्ष ने यह स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रज राज सिंह: वह इसलिये स्थगन प्रस्ताव रखना चाहते थे क्योंकि मुख्य मंत्री उसके संबंध में कुछ नहीं बताना चाहते थे ।

†अध्यक्ष महोदय : हमारे पास यहां अखबारों में सब सूचना है । तो खैर अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी क्योंकि उनका विचार था कि ऐसा ही प्रस्ताव पहले रखा जा चुका था और अब उससे कुछ लाभ नहीं हो सकता था । अनुमति न दिये जाने पर भी सदस्य आग्रह करते रहे । ऐसी दशा में सभा की कार्यवाही कैसे चलाई जा सकती थी ? श्री डांगे ने कहा है कि मुख्य मंत्री सभी दलों का सम्मेलन बुला सकते थे । मैं नहीं समझ सकता कि ऐसी स्थिति में जब कि अध्यक्ष एक सदस्य को कुछ आदेश दे और वह उसे मानने से इन्कार कर रहा हो कैसे कोई सम्मेलन बुलाया जा सकता है ? जहां तक खाद्य स्थिति का संबंध है हम सब यह चाहते हैं कि उसका संतोषजनक हल हो । किन्तु सम्मेलन आदि बुलाने के मामले में मैं किसी को राय नहीं दे सकता क्योंकि राज्यों में विधान सभा के अध्यक्ष कोई मेरे अधीन तो हैं नहीं । मेरा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है । हम वहां की कार्यवाही में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं ।

जहां तक इस घटना का संबंध है मैं समझता हूं कि वहां के अध्यक्ष ने जब यह देखा कि एक सदस्य सभा की कार्यवाही को ठीक ढंग से नहीं चलने दे रहा है तो उन्होंने सभा का स्थगन करके बिल्कुल ठीक कदम उठाया है । जहां तक इस प्रश्न का संबंध है इसमें संविधान की विफलता का या उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं उठता । मैं समझता हूं अगर अध्यक्ष एक सदस्य की हठधर्मिता के कारण उत्पन्न स्थिति को संभालने के लिये अपने अधिकार का प्रयोग न करते और वे उस सदस्य को सभा से बाहर न निकलवाते तब अवश्य प्रजातंत्र की विफलता होती । अतः इन स्थितियों के अन्तर्गत मैं इन तीनों प्रस्तावों को रखने की अनुमति नहीं दे सकता ।

अब हम अगला विषय लेते हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन

†सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी) : डा० केसकर की ओर से मैं भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के वर्ष १६५७ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–६००/५८]

चाय नियमों में संशोधन

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं चाय अधिनियम, १६५३ की धारा ४६ की उपधारा (३) के अन्तर्गत चाय नियम, १६५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३० अगस्त, १६५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–६०१/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शि० ला० सक्सेना द्वारा वक्तव्य

अनशन तोड़ने के बारे में

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : कल सभा में प्रधान मंत्री द्वारा देश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये ११ सितम्बर को सभी दलों के लगभग ३० सदस्यों की एक बैठक बुलाये जाने के बारे में वक्तव्य देने के पश्चात् आपने सभी दलों से आन्दोलन बन्द करने और खाद्य समस्या को राष्ट्रीय आधार पर हल करने की अपील की थी। आपने भी मुझ से अपना अनशन तोड़ने और बातचीत के लिये उचित वातावरण पैदा करने में सहायता देने के लिये व्यक्तिगत रूप से अपील करके मुझे सम्मानित किया। इसके बाद प्रधान मंत्री ने भी मुझे अनशन तोड़ने के लिए बड़ा स्नेहपूर्ण पत्र लिखा जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की खाद्य समस्या का दीर्घकालीन हल निकालने के सम्बन्ध में मेरी जो मुख्य मांग थी उसको लगभग पूरा कर दिया गया है ; मेरा यह प्रस्ताव था कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना में घाघरा तथा राप्ती नदियों को नियंत्रित करने की बहुप्रयोजनीय नदी घाटी योजना को शामिल कर लिया जाये। पत्र में इस प्रस्ताव पर विचार करने का वचन दिया गया है। जब मुझें इस पत्र व्यवहार को प्रकाशित करने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की अनुमति मिल जायेगी उस समय आपको पता लगेगा कि उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य अभावग्रस्त क्षेत्रों की जनता की तकलीफों के सम्बन्ध में कितनी चिन्ता है।

कल हमने समाचारपत्रों में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में हुई घटनाओं को पढ़ा जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। हमें यह प्रयत्न करना चाहिए जिससे हालत और खराब न हो जाये। आपने बड़े उपयुक्त समय पर आन्दोलन बन्द करने की अपील की। इस राष्ट्रीय संकट का तनाव कम करने के उद्देश्य से मैं अपना अनशन तोड़ने को तैयार हूं। परन्तु मेरे साथी उत्तर प्रदेश में अनशन कर रहे हैं और उनका नेता होने के नाते मुझे सबके बाद में अनशन तोड़ना चाहिए। इसलिए जैसे ही उत्तर प्रदेश में मेरे साथी अनशन समाप्त करेंगे मैं भी अनशन तोड़ दूंगा।

मैं आशा करता हूं कि आपकी अपील का उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और उनके साथियों पर भी असर पड़ेगा और वे भी राजनैतिक विरोधियों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग अनशन करने के लिये पकड़े गए हैं उनको छोड़ देंगे। मैं समझता हूं कि यदि प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश जायें तो इससे वहां की सरकार और विरोधी दलों की तनातनी काफी कम हो सकती है और एक शान्तिपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो सकता है।

अन्त में, मैं आपको तथा प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस संकट के समय एक बहुत उपयुक्त कदम उठाया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री शि० ला० सक्सेना आज अनशन तोड़ रहे हैं। मेरी इस समय फिर सभी दलों के नेताओं से अपील है कि इस संकट को दूर करने में अपना सहयोग दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लेखा परीक्षित लेखे

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९५६–५७ के लेखा-परीक्षित लेखे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–९०२/५८]

पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के कार्यवाही सारांश

†श्री आबिद अली : मैं अगस्त, १९५८ में कलकत्ता में हुए पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के पहले अधिवेशन की कार्यवाही सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–९०३/५८]

समवाय (केन्द्रीय सरकार के) के सामान्य नियम तथा प्रपत्रों में संशोधन

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत (केन्द्रीय सरकार के) समवायों के नियम और प्रपत्र, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २३ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–९०४/५८]

राज्य सभा से संदेश

†सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा २५ अगस्त, १९५८ को पारित श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक को राज्य-सभा ने अपनी ४ सितम्बर, १९५८ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

लोक लेखा समिति

नवां प्रतिवेदन

†श्री रंगा (तेनालि) : मैं विनियोग लेखे (रेलवे), १९५५–५६ और १९५६–५७ तथा विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५५–५६ में सम्मिलित स्वीकृत अनुदानों और भारित विनियोगों से अधिक व्यय के बारे में लोक लेखा समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक, १६५८, राज्य सभा द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पर खण्डवार विचार होगा । कल खण्ड २ तथा ३ स्वीकार कर लिए गए थे, आज खण्ड ४ पर विचार होगा।

खण्ड ४—(निष्कासन के विरुद्ध कारण बताने के लिये नोटिस का जारी किया जाना)

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं अपना संशोधन संख्या ५६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : मैं अपने संशोधन संख्या २२ तथा २३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं संशोधन संख्या ८, ११ तथा १२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बाल्मीकी** (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं अपना संशोधन संख्या ६० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं अपना संशोधन संख्या ४३ तथा ४४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री कोडियान** : मेरा संशोधन है कि जिन लोगों का निष्कासन किया जाये उनमें से, अधिकृत शरणार्थियों, अनुसूचित जातियों के लोगों और इमारती काम करने वाले मजदूरों को बदले में जगह दी जाये । सभी के लिये मैं यह विशेष संरक्षण नहीं मांगता । जो लोग अनधिकृत रूप से काबिज हैं उसका इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार निपटारा किया जाना चाहिये । ऐसे लोग भी हैं जो सचमुच मजबरी की हालत में ही सरकारी स्थानों पर कब्जा करने पर बाध्य हुये हैं ।

शरणार्थियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । मंत्री महोदय ने यह भी कह दिया है कि गाडगील आश्वासनों को कार्यान्वित किया जायेगा । इस अवस्था में मेरे संशोधन में प्रस्तावित परन्तुक को विधेयक में जोड़ने पर मंत्री महोदय को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । अनुसूचित जातियों और इमारती काम करने वाले मजदूरों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने काफी सहानुभूति प्रकट की, परन्तु केवल सहानुभूति से क्या बनता है । इसके सम्बन्ध में परन्तुक स्वीकृत किया जाना चाहिये । कम से कम इससे उन गरीब व्यक्तियों को कुछ सन्तोष तो होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जाधव : मैंने अपने संशोधन संख्या २२ और २३ प्रस्तुत किये हैं। संशोधन संख्या २२ में कारण बताने वाले नोटिस की अवधि १० दिन से ३० दिन कर देने को कहा गया है। संशोधन संख्या २३ में यह कहा गया है कि निष्कासन के नोटिस में बदले में दी जाने वाली जगह का उल्लेख कर देना चाहिये।

†श्री प्र० के० देव : मैंने अपना संशोधन संख्या ५९ प्रस्तुत किया है।

यह विधेयक केवल संघ क्षेत्रों तक तो सीमित रहेगा नहीं, सभी उन क्षेत्रों में भी लागू होगा, जहां जहां विकास का कार्य हो रहा है और जिन स्थानों को सरकार अर्जित कर रही है। हीराकुड के क्षेत्र में एक लाख और रूरकेला के क्षेत्र में ५००० आदिवासी ग्रामों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मई, १९५५ में हीराकुड में जब गांव वालों को बेदखल किया गया तो बड़ी सख्ती की गई है और उन्हें ग्रामों को कड़ी धूप में खाली करने को कहा गया। उनके ग्रामों को गिरा कर और धान के खेतों को खराब करके उन्हें बहुत हानि पहुंचाई गयी। ऐसे मामलों का हल मानवीय आधार पर किया जाना चाहिये।

हमारा कल्याणकारी राज्य है और हमारे समक्ष समाजवादी समाज की रचना का लक्ष्य है, इसलिये शरणार्थियों के लिये बदले में स्थान देने का उपबन्ध कर देना आवश्यक है और इसे विधेयक में सम्मिलित कर लेना चाहिये। सम्पदा अधिकारी को इन लोगों के लिये बदले में दिये जाने वाले स्थान की व्यवस्था करके ही, उन्हें निष्कासन नोटिस देने चाहियें। मैं समझता हूं मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

†श्री नौशीर भरूचा : मैंने अपने संशोधन संख्या ८, ११ और १२ प्रस्तुत किये हैं।

संशोधन संख्या ८ में यह कहा गया है कि सम्पदा अधिकारी को केवल अपनी राय के आधार पर ही निष्कासन नोटिस नहीं देना चाहिये प्रत्युत होना यह चाहिये कि नोटिस देने से पूर्व उसके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिये कि कब्जा सचमुच अनधिकृत है और उसके पास इस बात को मानने के काफी कारण हैं। केवल ऐसी राय होने पर बात नहीं बनती, क्योंकि राय तो निराधार भी हो सकती है।

संशोधन संख्या ११ में मैंने १० दिन के स्थान पर २० दिन मांगे हैं क्योंकि १० दिन की अवधि बहुत ही थोड़ी है। लोगों को वकील इत्यादि करने के लिये समुचित समय मिलना चाहिये। संशोधन १२ में यह कहा गया है कि सम्पदा अधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार नोटिस देगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस मामले में सम्बन्धित पक्षों को पूरा नोटिस मिलना चाहिये। पहले तो कोशिश सम्बन्धित व्यक्ति को स्वयं नोटिस देने की होनी चाहिये। उस के न मिलने पर ही प्रतिस्थापित तामील की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की धारा ४ पर ६० नम्बर का जो संशोधन है उसे मैंने प्रस्तुत किया है।

माननीय मंत्री को मैं उनके हलके से ऐश्योरेंस के लिये जो उन्होंने कल आम रेफ्यूजी भाइयों के साथ साथ हरिजन भाइयों के लिये दिया, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने "लीनिएंट' की जगह "जेंटिल व्यू"

†मूल अंग्रेजी में

का विश्वास दिलाया और उससे एक हलकी सी आशा बंधती है कि उन रेफ्यूजीज़ लोगों, हरिजनों और दूसरे इमारती मज़दूरों और ग़रीब लोगों के साथ कुछ हमदर्दी का बर्ताव किया जायगा ।

यह बात ठीक है और यह समझ में आ सकती है और हम भी यह स्वीकार करते हैं कि आपको बहुत जल्दी डेवलपमेंट कार्यों के वास्ते , टाऊन प्लानिंग की वजह से, प्राजेक्ट और दूसरी स्कीमें जो इस प्रकार की अनेक लाभदायक योजनायें चल रही हैं उनके कारण आपको उन जगहों की आवश्यकता है और आप उन जगहों पर जिन लोगों ने इस तरीक़े से अनएथोराइज्ड स्ट्रकचर्स खड़े कर लिये हैं उनको वहां से हटा कर उन ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी के लिये मैंने अपने ६० नम्बर, के अमेंडमेंट में यह सुझाव दिया है कि दिसम्बर, सन् १६५७ तक जिस किसी ने भी जबरदस्ती अनएथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन इजाज़त या वग़ैर इजाज़त खड़ा कर लिया है, उसको वहां से तब तक बेदखल नहीं किया जायेगा जब तक कि था तो उसे आलटरनेटिव एकोमोडेशन न दे दी जाय या उस स्ट्रक्चर के लिये उसे कुछ मुआवज़ा न दे दिया जाय अगर उसको उसे खाली करने पर मजबूर किया जाता है । मैं चाहता हूं कि इस खास तारीख के आधार पर आप सर्वे करायें और उन झोपड़ों पर नम्बर डालें ताकि वे बनी रहें। इसी आधार पर भारत सेवक समाज के द्वारा सर्वे हुआ और एथारिटीज़ ने भी सर्वे कराया और इस तरह से बहुत से झोंपड़ों पर नम्बर, पड़े हुये हैं। मैं चाहता हूं कि इस खास तारीख तक आप सर्वे करायें और उनके लिये वह व्यवस्था करें जो मैंने अपने अमेंडमेंट में सुझाई है । उस तारीख के बाद खड़ी होने वाली झोंपडियों के लिये मैं यह नहीं कहता कि वे भी बनी रहें लेकिन उनके लिये भी यह बात तो ज़ाहिर है कि आलटरनेटिव एकोमोडेशन की व्यवस्था होनी चाहिये । अब यह बात साफ है कि सुपरवाइज़री स्टाफ इस प्रकार रिश्वत लेता है और उसके कारण यह देखने में आता है कि नई की जगह पुरानी झोंपड़ी गिरा दी जाती है और पुरानी की जगह नई खड़ी रहने दी जाती है । इसीलिये मैंने यह सुझाव दिया है कि इस तरह का सर्वे करा लिया जाय और उस तारीख तक बने हये स्ट्रक्चर्स पर नम्बर डाल दिया जाय ताकि इस तरह की धींगा मुश्ती न हो सके ।

जब इस तरह से चाणक्यपुरी और रीडिंग रोड पर अंधाधुंध झोंपड़ियां गिराई जा रहीं थीं तो मैंने पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को एक लेटर लिखा था और उनको बतलाया था कि झोंपड़ियों के गिराने में यक़ीनी तौर से अलटीरियर मोटिव्स् की बात थी और वह चलता है और जिसकी कि वजह से जो नये स्ट्रक्चर्स हैं वे तो खड़े रह जाते हैं और जो उनसे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वे गिरा दिये जाते हैं और यह इस बात को साफ़ जाहिर करता है कि अलटीरियर मोटिव की बात जो मैंने कही वह दुरुस्त थी। मेरे पत्र के जबाब में जो उन्होंने मुझे पत्र लिखा उसके अल्फ़ाज यह हैं : कि हमारा उद्देश्य अच्छे आवास की व्यवस्था करना है किसी प्रकार की गन्दी बस्तियों को प्रोत्साहन देने का नहीं । यह तो ठीक है कि दिल्ली और अन्य बड़े बड़े नगर जिनको भव्य और शानदार बनाया जा रहा है, वहां इस तरह की गंदी बस्तियां न हों लेकिन उसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि जब हम सोशलिस्टिक पैट्रन आफ़ सोसाइटी की बात करते हैं, एक समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की बात करते हैं जिसमें कि सबको समान रोटी मिले, पकड़ा मिले और सब को समान रहने का साधन मिले तब उसमें यह बात कहां तक ठीक बैठती है कि इस तरह से हजारों आदमियों के रहने का कोई समुचित प्रबन्ध न हो और जो उन्होंने अपने अस्थाई झोंपड़े बना लिये हों, उनमें से भी उनको निकाल बाहर किया जाय। मैंने कल भी इस का विरोध किया था और मैं आज फिर इसको कहना चाहता हूं कि सरकार को एक मानवीय दृष्टि से और दयापूर्ण दृष्टि से उसको देखना चाहिये । इस तरीक़े से एक रहते हुये आदमी को जिसके कि पास खाने को नहीं है, जिसको कि स्वच्छ पानी नहीं मिलता उसको इस तरह से बेदखल कर दिया जाय यह कुछ आज

[श्री वालमीकी]

के जनतंत्री युग में उचित नहीं जंचता। अभी सुबह मुझे चाण्क्यपुरी के लोगों ने बतलाया कि उनको पानी का महान् कष्ट है। पानी की एक छोटी गाड़ी न्यु दिल्ली म्युनिसपैलिटी की तरफ से जाती है और यह देखा जाता है कि जो तगड़े लोग होते हैं, जो ऊंची जाति के लोग होते हैं और जिनमें बल होता है वे कमज़ोरों को पानी नहीं लेने देते हैं। कहने का मतलब यह कि आज भी इस तरह की नाइंसाफ़ी उनके साथ बर्ती जा रही है। आज हम देखते हैं कि गरीबों और कमज़ोरों के घर गिराये जाते हैं और उन्हें बेदखल किया जाता है लेकिन बड़े आदमियों के और पैसे वाले आदमियों के आलीशान मकान और कोठियां वैसी की वैसी खड़ी रहती हैं और उनकी तरफ़ कोई आंख भी नहीं उठा सकता। मैं इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन का यक़ीनी तौर पर विरोधी हूं और इस प्रसंग में मुझे महात्मा कबीरदास का वह दोहा याद आ जाता है :

"दुर्बल को न सताइये वाकी मोटी आह,
मुई खाल की सांस सों सार भस्म हो जाय।"

सार कहते हैं लोहे को। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि हमारी सरकार लोहा नहीं हो सकती लेकिन पत्थर है। पत्थर पर आंसू और आहों का प्रभाव होता है। लेकिन भवभूति ने इसके लिए भी अपने एक श्लोक के अन्दर कहा है : "आवाऽपि रोदन्ति"। मनुष्य के आंसूओं से पत्थर तक पिघल जाता है। जब वहां पर एक मनुष्य का मकान गिराया जाता है तो उसको देखकर पत्थर की शिलाएं भी रो पड़तीं हैं। जब उनके झौंपड़े गिराये जाते हैं तो उनकी आखों से आंसू बह निकलते हैं और आहें भी निकलती हैं। इस तरह का उनके प्रति एक विद्वेषपूर्ण भाव रखने से काम नहीं चलेगा और निर्दयतापूर्वक जो इस तरीके से मकानों को गिराया जाता है वह नहीं चलेगा। मैंने इसलिए कहा है कि जो संस्थाएं उन में बैठ कर काम करती हैं जैसे दलित वर्ग संघ है, हरिजन सेवक संघ है अथवा भारत सेवक समाज है, इन संस्थाओं के ज़रिए सरकार इस तरह का एक सर्वे कराये और यह तय करे कि इतने झौंपड़े खड़े रहेंगे और इतने झौंपड़ों को गिराया जायेगा ताकि हम जाकर उन लोगों को. इसके लिए तैयार कर सकें, उनके दिमाग में यह बात डाल सकें कि उनको यहां से हट कर इतनी दूर जाना है जहां से फिर उनको हटना नहीं होगा। हमारे वे भाई कहीं पर स्थाई तौर पर आबाद न किये जायें और उनको एक जगह से दूसरी जगह हटाया जाता रहे, मैं इस बात का विरोध करने वाला हूं। मैं सारे देश के अन्दर जाता हूं और मैं उन गरीब लोगों की असहाय अवस्था से भली भांति परिचित हूं। मुझे मालूम है कि टाऊन प्लानिंग के नाम पर मैसूर नहीं दिल्ली, तथा अन्य नगरों के अन्दर गरीब आदिमियों के साथ कितनी बेरहमी के साथ पेश आया गया। वहां पर शहर के हार्ट में बसे हुए गरीब आदमियों को वहां से हटा करके शहर की बाहरी सीमाओं पर फेंक दिया गया है और उनके दरवाजे भी शहर की तरफ नहीं है बल्कि बाहर की तरफ हैं। इस तरीके से कोई टाऊन प्लानिंग नहीं चला करती है। यह ज़रूरी है कि जब आप कोई एक नक़शा बनायें तो उसमें इस तरह की गरीबों की बस्तियों का भी खयाल रक्खें। उदाहरणार्थ रीडिंग रोड पर भंगी बस्ती है जहां कि पूज्य बापू जी रहे, वहीं पर हमारे गरीब लोगों की बस्तियां बसा दें और इसके लिए अगर आपको कोई नया टैक्स लगाना पड़े, हल्का टैक्स ८ आने का रुपया धेली का उनसे यदि इसके लिए आपको लेना पड़े तो आप उसको उन पर लगा दीजिये और वे उसको देने के लिये तैयार हैं। आप अपने ज़रायों से इस तरह का एक फंड बनायें ताकि उनके

मकान रह सकें। आज जो उनको बेदखल किया जाता है और उनकी झोंपड़ियां गिराई जाती हैं और उनके लिए आलटरनेटिव एकोमोडेशन का प्रबन्ध नहीं होता है, तो उसको लेकर उनमें असन्तोष बढ़ता जा रहा है। अब एक ओर तो विशाल गगनचूंबी अटालिकाएं खड़ी की जाती हैं और दूसरी ओर जो गरीब अपने झोंपड़े बना कर रह रहे हैं उनके झोंपड़ों को गिराकर निकाल बाहर किया जाता है और तो इस दुर्व्यवहार और इस नाइंसाफी का उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर होता है और दिल में दर्द और असन्तोष उत्पन्न होता है। उस गरीब का जिसका कि झोंपड़ा गिरा दिया जाता है उसके मन और दिमाग में एक तूफान पैदा होता है। मैं देश में जाता हूं और उनसे मिलता हूं और उन गरीबों के बीच में काम करता हूं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह सब होते हुए भी उनके अन्दर साम्यवादी विचारधारा और तोड़फोड़ की नीति नहीं है। वे अब भी शान्ति और अमन से इस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनका असन्तोष इतना न बढ़ जाय कि उनके सब्र की इन्ताह हो जाय। मैं बराबर उनकी तरफ से बोलने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं उनके बीच में रहता हूं, काम करता हूं और मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं और मैं यहां पर यह चीज कहना चाहता हूं कि मिडैविएल पीरियड की तरह से मध्य कालीन हमलों के रूप में उनको हटाने के लिए स्कुवैड्स जांय, पुलिस जाय, दुनिया भर के आदमी जांय, लाठियां और तसले जिनके हाथ में हों उनके द्वारा उन पर हमला किया जाय। पहले बिना सोचे समझे उनके स्ट्रक्चर्स को जबरदस्ती गिरा दिया जाय, यह बात मुनासिब नहीं है और इससे आज उनमें बहुत असन्तोष है। आप उनको उनके स्ट्रक्चर्स के हटाने के लिए कुछ पैसा दें ताकि वे बेचारे वहां से उनको हटा कर ले जांय क्योंकि आपको यह बात भुला नहीं देनी चाहिए कि उनमें हजारों आदमी ऐसे रहते हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई धंधा और व्यापार नहीं है और जो बिल्कुल निराश्रित हैं।

मुझे यकीन है कि जैसा मैंने अपने इस अमेंडमेंट में आलटरनेटिव एकोमोडेशन देने की बात कही है उसकी आवश्यकता को आप महसूस करेंगे और साथ ही साथ अगर किसी ने इस तरीके का अनएथोराइज्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो उस स्ट्रक्चर को हटाने और उसको वहां से बे-दखल करने के लिए आप उसको कुछ मुआविजा देने की बात सोचें। मैं आशा करता हूं कि इस सदन में मैंने और दूसरे अन्य महानुभावों ने जो इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं, उन पर मंत्री महोदय गम्भीरता से विचार करेंगे और मुझे इसका पूरा विश्वास है कि इस तरह का मौका लोगों को नहीं दिया जायेगा कि वे यह महसूस करें कि हमारे मकान गिरते रहेंगे और हमारे मकान खड़े नहीं होंगे और यह सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहती है। मुझे भरोसा है कि आप उनका ध्यान रखेंगे।

आपने बार बार "स्पीडी" शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके पीछे लोगों की तकलीफ को महसूस करने की आदत भी होनी चाहिए कि उनको इस प्रकार कितनी दिक्कत होती है इसे भी समझें। जल्द बाजी से काम नहीं चलेगा। आपने कहा कि इन लोगों में करीब ५०,००० आदमी हैं जिन पर इस कानून का प्रभाव पड़ेगा। मैं कहता हूं कि इन लोगों में ज्यादातर हरिजन, भंगी, चमार, काबलर आदि लोग हैं जो मामूली मामूली काम करते हैं। इसमें कुछ रिफ्यूजी भाई भी हैं। इनमें कुछ लोग तगड़े

[श्री वाल्मीकी]

और मालदार हैं। मैं अपने तजर्बे से कहता हूं कि इस प्रकार के मालदार लोग मिल जुल कर ले दे कर बच जाते हैं और जो मामूली लोग हैं उनको हानि पहुंच जाती है। लेकिन मुझे भरोसा है कि आप इस बात का ख्याल रखेंगे। मुझे इस सम्बन्ध में एक पुरानी कहानी यदि आती है। एक साहूकार परदेश चला गया। जब वह अपने घर से गया था तो उसकी स्त्री के कुछ गर्भ की स्थिति थी। जब वह २० साल बाद लौट कर आया तो उसनें घर में एक २० बरस का जवान सोता देखा। उसने चाहा कि तलावार से उसे मार दे लेकिन उसकी नारी ने कहा कि यह तो आपका ही पुत्र है। तो इस प्रकार सहसा बिना समझे काम करने से हानि हो सकती थी। एक क्षण को विचार में मग्न वह झुका। दीवार पर लिखे श्लोक को पढ़ा। भवभूति का वह श्लोक है, "सहसा विद्घात न क्रियाम। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो संस्कृत के ज्ञाता हैं, आप भवभूति के दर्द को पहचानते हैं। तो मुझे भरोसा है कि इस जल्दी में इन हजारों लोगों का कत्ल नहीं हो जायेगा। आप सोचेंगे, समझेंगे और उनके कष्ट को महसूस करेंगे। और उनके लिए समुचित प्रबन्ध करेंगे।

मुझे आशा है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी मेरे उस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मेरा संशोधन संख्या ३ है और उसमें कहा गया है कि सम्पदा अधिकारी को नोटिस में यह बताना चाहिए कि लोगों का जमीन या मकान से निष्कासन किस उद्देश्य से किया जा रहा है और उसे किस काम में लाया जायेगा।

†**श्री बालासाहेब पाटिल** (मिराज) : मैं खंड ४ पर कुछ कहना चाहता हू। इसमें तीन बातें हैं। उपखंड (१) में सम्पदा अधिकारी की राय की बात है और उपखंड (४) में उसकी जानकारी की बात कही गई है और कहा गया है कि "अगर उसके पास विश्वास करने के कारण हों"। सम्पदा अधिकारी को उपखंड (३) और (४) दोनों के अन्तर्गत नोटिस देने हैं लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि दोनों में ढंग या तरीके अलग क्यों रखे गये हैं। उपखंड (३) में नोटिस घर पर लगाने की व्यवस्था है तो उपखंड (४) में डाक से भेजने की। पता नहीं यह भेद भाव क्यों किया गया है।

जहां तक खंड (२) (ख) का संबंध है सम्पदा अधिकारी को सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की जानकारी रखनी होगी। इससे नतीजा यह हो सकता है कि नोटिस कहीं भी चिपकाया जा सकता है क्योंकि नोटिस सभी को मिल सकता है। तो हो सकता है कि कभी चिपका हुआ नोटिस कोई फाड़ डाले और सम्बन्धित व्यक्ति पर बिना उसकी जानकारी के कार्यवाही होने लगे। इसलिये उपखंड (४) वाले उपबन्ध का पालन ही उपखंड (३) में किया जाना चाहिए। पहले नोटिस डाक से जाना चाहिए, न मिलने पर प्रतिस्थापित तामील का ढंग अपनाना चाहिए, और उपखंड (३) के उपबन्ध अनुसार कार्यवाही सब से बाद में की जानी चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

सम्पदा अधिकारी को नोटिस देते हुए यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि स्थान सरकार का है, अथवा इसे अर्जित किया जा रहा है अथवा पट्टा समाप्त हो गया है। दूसरी बात

†मूल अंग्रेजी में

यह है, कि नोटिस में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि निष्कासन के पश्चात् स्थान किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जायेगा। इससे यह लाभ होगा कि मामले को लम्बा करने के स्थान पर मामला शीघ्र ही सुलझ जाया करेगा।

सरकार द्वारा दिये गये अश्वासनों का भी किसी रूप में नोटिस में उल्लेख होना चाहिये। इससे प्रभावित होने वाले शरणार्थियों को कुछ सन्तोष रहेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव:** मैंने अपने संशोधन संख्या ४३ और ४४ प्रस्तुत किये हैं। विधेयक के उपबन्ध बहुत ही कड़े हैं और इससे ५०, ६० वर्षों के कब्जों को भी हिला दिया गया है। इसलिये प्रक्रिया में कुछ स्पष्टता होनी चाहिये। नोटिस देने के बाद काफी समय दिया जाना चाहिये ताकि सब प्रकार की व्यवस्था की जा सके। दस दिन का समय बहुत ही थोड़ा है, खास कर उन मामलों में जहां लोग ५०, ६० अथवा ४० वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। एक मास का समय तो होना ही चाहिये।

उपखंड (३) में व्यवस्था है कि नोटिस व्यक्तिगत रूप में देने के स्थान पर मकान की दीवार पर लगा दिया जायेगा और यह समझ लिया जायेगा कि नोटिस दे दिया गया है। यह एक बहुत ही कठोर उपबन्ध है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार छोटे से छोटे मामलों में सम्बन्धित व्यक्ति को स्वयं नोटिस देने की कोशिश की जाने की व्यवस्था है। उच्च न्यायालय की तामीलों में भी डाक से भेजी हुई चीज़ सुरक्षित नहीं समझी जाती। लोग डाकियों से लिखवा देते हैं कि सम्बद्ध व्यक्ति मिला नहीं। ऐसा भी होता है कि सम्बद्ध व्यक्ति को तो कोई ज्ञान होता नहीं और कोई दूसरा ही उस पर जाली हस्ताक्षर करके ले लेता है। अतः इस ढंग को सुरक्षित नहीं समझा जाता। इन कारणों से यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत रूप में नोटिस देने का उपबन्ध हो। अन्य ढंग भी अन्तिम रूप में ही अपनाये जाने चाहियें।

विधेयक के उपबन्धों के बारे में हमारी कोई बात मानी जाय अथवा न, परन्तु प्रक्रिया के मामले में स्पष्टता होनी चाहिये। दस दिन की अवधि बहुत कम है, इसमें परिवर्तन करना चाहिये ताकि इसका प्रयोग व्यर्थ में किसी के वि द्ध न हो सके।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** खंड ४ में बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। कुछ का सम्बन्ध खास श्रेणियों के लोगों को बदले में स्थान दिये जाने के सम्बन्ध में है। हमने पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की बातें सुनी हैं। मैंने कई बार अपनी कठिनाइयां बताई हैं। अपने उत्तर में भी मैंने कारण बताये थे कि हमारे लिये यह असम्भव है कि हम विभिन्न वर्गों से भेदभाव करने वाला उपबन्ध इस विधेयक में कर दें। अतः उन संशोधनों का उत्तर देने से कोई लाभ नहीं। श्री गायकवाड़ के संशोधन में उद्देश्य की बात की गई है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहि कि हम किसी की सम्पत्ति का अर्जन नहीं कर रहे हैं। सम्पत्ति मेरी है, और मैं उसे वापिस चाहता हूं, क्योंकि कोई उस पर अनाधिकृत तौर पर काबिज हो चुका है और उसकी अब सरकारी कामों के लिये आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सी सम्पत्ति जिस पर लोग अनाधिकृत रूप में काबिज हैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की है। इसलिये यह बताना कई बार संभव नहीं होता कि यह किस काम में आ रही है। इसलिये इस संशोधन का स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं। प्रतिरक्षा मंत्रालय की बातें गोपनीय होती हैं, उन्हें बताया नहीं जा सकता। यह ीक है कि सारी सम्पत्ति तो प्रतिरक्षा मंत्रालय की नहीं, परन्तु यदि उपबन्ध बना दिया गया तो फिर सब के बारे में ही ऐसा करना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अनिल कु० चन्दा]

श्री नौशीर भरूचा ने जो संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत किया है, उसमें वह चाहते हैं कि सम्पदा अधिकारी की अगर "यह राय हो" शब्दों के स्थान पर यदि उसके पास "विश्वास करने के कारण हों" शब्द रखे जायें। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है सम्पदा अधिकारी यह देखता है कि यह सरकार की सम्पत्ति है और कोई इस पर अनाधिकृत रूप में कब्जा जमाये बैठा है, और सरकार इसे वापिस लेना चाहती है। अगर ऐसा है तो वह नोटिस जारी करेगा। जहां तक मेरा विचार है यदि "विश्वास करने के कारण हों" शब्द रखे गये तो यह मामला कानूनी दृष्टि से पूर्ण रूप में वाद योग्य हो जायेगा। इस कारण मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य तो यह है कि अनांधिकृत कब्जाधारियों का शीघ्रता से निष्कासन किया जाय, ताकि इस सरकारी सम्पत्ति का अपेक्षित कामों में उपयोग किया जाय। एक बात याद रखनी चाहिये कि यहां केवल नोटिस देने की बात है, कार्यवाही करने की नहीं। सारा खंड उससे सम्बन्धित है। इसमें सिर्फ इतना कहना है कि यह सरकारी भूमि है, आप इस पर अनाधिकृत रूप में काबिज हैं, अतः आप अमुक दिन को आकर बताइये कि आपको क्यों न यहां से निष्कासित किया जाय। इससे आगे कुछ नहीं। अतः मैं संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

संशोधन संख्या ११ और डित ठाकुर दास के संशोधन वास्तव में प्रक्रिया को लम्बा करने के लिये हैं। हमने समय के सम्बन्ध में काफी उदार उबपबन्ध किये हैं, मूल विधेयक में यह नहीं थे। नोटिस की बात है। दस दिन तक तो सम्पदा अधिकारी कुछ कार्यवाही नहीं कर सकता। फिर सुनवाई होगी और उसके लिये समुचित अवसर दिया जायेगा। फिर मान लीजिये सम्पदा अधिकारी यह निर्णय करता है कि आपको निष्कासित किया जाता है तो ४५ दिन का समय है। कई वर्गों के लिये और अधिक समय की व्यवस्था है। राज्य सभा में एक संशोधन को स्वीकार करके समय अवधि को हमने ९० दिन तक किया है। फिर ३० दिन के भीतर जिला न्यायाधीश के पास अपील की जा सकती है। वह कार्यवाही रोक सकता है, और समय भी बढ़ा सकता है। इस कारण, यद्यपि इस विधेयक का उद्देश्य संक्षिप्त कार्यवाही करके शीघ्र ही सरकारी सम्पत्ति का कब्जा लेना है, परन्तु यदि आप अन्दाजा लगायें तो इसमें महीनों लग जाते हैं, तब जाकर अपेक्षित सम्पत्ति सरकार के कब्जे में आती है।

जहां तक नोटिस की तामील का सवाल है उपखण्ड (३) का उपबन्ध आदेशक है। सम्पदा अधिकारी को आगे कार्यवाही करने से पूर्व मकान के बाहर के दरवाजे अथवा किसी स्थान पर नोटिस चिपकाना पड़ता है और यह हर मामले में करना जरूरी है। फिर उपखण्ड (४) के अनुसार यदि सम्पदा अधिकारी यह जानता हो कि अमुक सम्पत्ति पर अमुक व्यक्ति काबिज है, तब ही वह व्यक्तिगत नोटिस देगा अथवा डाक से भेज देगा और उसके लिये कोई अन्य साधन अपनायेगा। मूल विधेयक में उपबन्ध था कि नोटिस ढोल बजा कर दिया जाय परन्तु मैंने इसे शिष्ट नहीं समझा और प्रवर समिति में इसका उल्लेख किया। परन्तु यदि मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है मैं नियमों में ऐसा उपबन्ध करने को तैयार हूं।

श्री नौशीर भरूचा सम्बन्धित व्यक्ति को स्वयं नोटिस देना जरूरी समझते हैं और चाहते हैं कि इस बारे में आदेशक उपबन्ध होने चाहियें। अगर व्यक्ति खुद न मिले तो और किसी को जो वहां रहता है दिया जाये और यदि इसमें सफलता न मिले तो नोटिस बाहर दरवाजे पर चिपका दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिये कि इस विधेयक का प्रभाव मुख्यतः उन लोगों पर पड़ेगा जो कि गन्दी बस्तियों

में रहते हैं, और कौन कहां काबिज है यह जानना कई बार असम्भव हो जाता है। कई लोग इधर उधर कच्चे मकान बना लेते हैं। मुझे एक मामले का पता है। वह एक पक्का मकान है। यह मामला कलकत्ते के रास बिहारी एवेन्यू पर मकान संख्या १७६ का मामला है। १६४६ में कलकत्ता में जो क़त्ले आम हुआ, तो कुछ मुस्लिम क्षेत्रों से भाग कर हिन्दू यहां आ गये थे। उसके बाद से इस मकान में कई बार कई लोग आये और गये, इस प्रकार कइयों के हाथ वह अनाधिकृत कब्जा चलता रहा। सभी आने जाने वाले व्यक्ति पूर्वी बंगाल के विस्थापित थे। अब सरकार को कैसे पता हो सकता है कि किस फ्लैट में कौन व्यक्ति रहता है और वह असल में किसके कब्जे में है। परन्तु इस मकान को हानि तीन लाख रुपये तक पहुंच गयी। किसको मालूम कि किस मकान में कौन काबिज है ? खास कर गन्दी बस्तियों में तो यह सब जानना सम्पदा अधिकारी के लिये असम्भव होता है। हमारा उपबन्ध है कि यदि सम्पदा अधिकारी को यह पता चल जाये कि अमुक स्थान पर अमुक काबिज है तो व्यक्तिगत नोटिस देना चाहिये। अन्य ढंग भी है और यदि पंडित ठाकुर दास भार्गव अन्य ढंग अपनाना चाहते हैं, तो नियम बनाते समय उस पर विचार कर लिया जायेगा। परन्तु श्री नौशीर भरूचा चाहते हैं कि सम्पदा अधिकारी को हर ढंग से सब कुछ पता करना चाहिये, यह असम्भव है।

इस बात को समझते हुए कि यह कोई साधारण विधान नहीं है और यह जानते हुए इसका आधार यह है कि आप असाधारण स्थिति में असाधारण अधिकार दे रहे हैं, जिससे स्थिति का ठीक ढंग से मुकाबला किया जा सके मैं समझता हूं किसी संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

परन्तु हम नहीं चाहते कि न्याय न हो। विधेयक के खण्ड ५ में कहा है कि समुचित सुनवाई होनी चाहिये। यदि किसी मामले में किसी को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तो न्यायिक अधिकारी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और यों ही किसी का निष्कासन नहीं होने देंगे। पंडित ठाकुर दास भार्गव कहते हैं कि हो सकता है कि कोई वहां ६० वर्ष से रहता हो तो उसे मुकदमा लड़ने के लिये समय चाहिये, तो इस बात को अपीलीय प्राधिकार के ध्यान में लाया जा सकता है। और वह इस आधार पर अपना निर्णय दे सकता है कि सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या किसी संशोधन को अलग मतदान के लिये रखने की आवश्यकता है ?

†**श्री नौशीर भरुचा :** सबको एक साथ रख दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन एक साथ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ५—(अनाधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं अपने संशोधन संख्या ३६ और ४५ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जाधव :** मैं अपने संशोधन संख्या २४ और २५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बालासाहेब पाटिल :** मैं अपने संशोधन संख्या ६३ और ६४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** मैं अपने संशोधन संख्या ४, ५ और ६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन संख्या ६४ एक नया खण्ड जोड़ने के लिये है, इसलिये उसे बाद में लिया जायेगा ।

†**श्री बालासाहेब पाटिल :** कल मैंने संशोधन संख्या ६२ प्रस्तुत किया था । उसका उद्देश्य खण्ड ५ में यह व्यवस्था करना था कि सम्पदा अधिकारी स्वयं जांच न करके, मामलों को लघुवाद न्यायालय में भेज दे, क्योंकि वहां न्यायाधीश एक ही दिन में उसका निर्णय कर देगा ।

एक दूसरे संशोधन में, मैंने कहा है कि न्यायाधीश के निर्णय का निष्पादन सम्पदा अधिकारी को ही करना चाहिये ।

सम्पदा अधिकारी, एक गज़टेड अधिकारी होते हुये भी, हक्क के प्रश्न का निबटारा करने के लिये सक्षम नहीं हो सकता । वह सरकारी अधिकारी होता है, स्वतंत्र नहीं ।

इस विधेयक द्वारा सम्पदा अधिकारी को सरकारी सम्पत्ति का अभिरक्षक भी बनाया जा रहा है और साथ ही उसे न्यायाधीश की शक्ति भी दी जा रही है । ऐसी हालत में, यदि सम्पदा अधिकारी किसी मामले का ध्यान से अध्ययन नहीं करता और ऊपरी तौर से उसे देख कर ही निर्णय दे देता है, तो फिर उसकी अपील में भी कोई सार नहीं रह जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री भा० कृ० गायकवाड़ भाषण करें । क्या उनके संशोधन में ये शब्द आपत्तिजनक नहीं हैं : "अन्य पिछड़े वर्गों के बौद्धों" ? मैं इसके उद्देश्य को तो समझ गया हूं मगर जिस रूप में इसे रखा गया है उस पर आपत्ति हो सकती है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** यह विधेयक केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि सारे देश पर लागू होगा । और, सारे ही देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के बेघरबार लोग सिर्फ़ मेहनत से ही अपनी रोज़ी कमाते हैं । ऐसे गरीब लोग जहां भी खुली सरकारी जगह पाते हैं, वहीं अपनी झोंपड़ियां डाल लेते हैं । सरकार को उन पर रहम खाना चाहिये । माननीय उपमंत्री ने यह तो कहा है कि वे इन लोगों पर दया दृष्टि रखेंगे । लेकिन यह आश्वासन काफी नहीं है । जब यह विधेयक सम्पदा अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा, तो वे इस अधिनियम के शब्दों का ही पालन करेंगे । सम्पदा अधिकारी सरकार के इस आश्वासन के बारे में जानेंगे भी नहीं । आज भी, इस सभा में भी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को पुलिस परेशान करती रहती है । और यह विधेयक पारित होते ही उनको उनकी झोंपड़ियों से निकालना शुरू हो जायेगा ।

मैंने २८ अगस्त को सरकार का ध्यान दिलाने के लिये एक प्रस्ताव रखने की सूचना भी दी थी कि दिल्ली नगरपालिका निगम के पुलिस अधिकारी मोतीबाग क्षेत्र के दलित वर्ग के लोगों की दुकानें गिरा रहे हैं । लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । मैंने अपने प्रस्ताव में कहा था कि पुलिस मोतीबाग क्षेत्र में केवल दलित वर्ग के लोगों की दुकानें ही हटा रही है और उनसे गाली-गुफ्ता भी करती है । पुलिस ने उनकी भैंसों को भी लोहे की छड़ों से बुरी तरह पीटा है । इस प्रकार इन लोगों का दमन किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को उस प्रस्ताव को बार बार दोहराना नहीं चाहिये। उन्होंने प्रस्ताव की सूचना दी है और हो सकता है कि अध्यक्ष महोदय अभी उस पर विचार ही कर रहे हों। उन्हें कार्यालय से इसका पता लगाना चाहिये।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : अब यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो अनुसूचित जातियों के लोगों को ही इसका सब से पहला शिकार बनाया जायेगा। इन लोगों को निष्कासित करने से पहले उन्हें बसने के लिये उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिये।

इसी विचार से, मैंने अपने संशोधन संख्या ५ में यह व्यवस्था करने को कहा है कि इन लोगों के निष्कासन के लिये पांच वर्ष की अवधि दी जानी चाहिये, जिससे कि वे इस अवधि में अपनी सहकारी समितियां बना कर अपने मकानों का निर्माण कर सकें। माननीय उपमंत्री को मेरे यह संशोधन स्वीकार कर लेने चाहियें।

†**श्री जाधव** : मैंने अपने संशोधनों द्वारा यह चाहा है कि यदि सरकार किसी मकान को गिराना चाहती है और उसमें रहने वाले को निष्कासित करना चाहती है, तो उसे ४५ दिन की बजाय ९० दिन का समय दिया जाना चाहिये।

सरकार अभी तक दस वर्ष की सेवा वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को भी मकान नहीं जुटा पाई है। सरकारी कर्मचारियों को निष्कासित करने से पहले उन्हें दूसरा स्थान जुटाना आवश्यक है। दूसरा स्थान तलाशने के लिये छः महीने का समय दिया जाना चाहिये; और तभी अनधिकृत रूप से खड़े किये गये मकानों को गिराया जाना चाहिये॥

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैंने अपने संशोधन संख्या ४५ और ३९ प्रस्तुत किये हैं। खण्ड ४ में सम्पदा अधिकारी द्वारा निष्कासन के लिये कोई कार्यवाही करने के लिये दो शर्तें रखी गई हैं : पहली तो यह कि उस मकान पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया हो, और दूसरी यह है कि सम्पदा अधिकारी उसे निष्कासित करना ठीक समझे। इतनी बात तो ठीक है, लेकिन इसके प्रवर्तनकारी भाग—खण्ड ५—को भी देखिये। उसमें सम्पदा अधिकारी को स्वयंविवेक का यह अधिकार नहीं दिया गया है कि यदि अनधिकृत कब्जाधारी अपने अनधिकृत कब्जे के लिये उचित कारण दिखा सके या निष्कासन से उसको बहुत ही कष्ट झेलना पड़े, तो सम्पदा अधिकारी उसे अनधिकृत मकान में ही रहने की इजाजत दे सके। यदि सम्पदा अधिकारी को इतने भी स्वयंविवेक की शक्ति नहीं दी जायेगी तो इस अधिनियम से जनता को बड़े कष्ट भोगने पड़ेंगे।

इसीलिये मैंने अपने संशोधन संख्या ३९ द्वारा खण्ड ५ में भी, खण्ड ४ की भांति, निष्कासन की कार्यवाही के लिये दो शर्तें रखने की कोशिश की है। उसमें दूसरी शर्त नहीं है, इसलिये मैंने उसमें जोड़ना चाहा है कि निष्कासन की कार्यवाही करने से पहले सम्पदा अधिकारी को इस बात का भी पूरा यकीन होना चाहिये कि अमुक अनधिकृत कब्जाधारी को निष्कासित किया ही जाये। इससे सम्पदा अधिकारी को कुछ स्वयंविवेक की गुंजाइश हो जायेगी। यदि ऐसा नहीं होगा, तो सम्पदा अधिकारी को हर हालत में हर अनधिकृत कब्जाधारी को निष्कासित करना ही पड़ेगा।

मेरे इस संशोधन को मान लेने से इस अधिनियम में यह गुंजाइश हो जायेगी कि सम्पदा अधिकारी यदि चाहें तो लोगों को तंग करने के लिये ही उन्हें निष्कासित नहीं करेंगे। सरकार ने इस सम्बन्ध में आश्वासन तो जरूर दिया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अधि-

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

नियम में उसकी स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिये । यह जरूरी नहीं है कि हर सम्पदा अधिकारी उप-मंत्री के आश्वासन को सदा ही ध्यान में रखे ।

इस प्रकार यह सभी के हित में होगा कि सम्पदा अधिकारी को कुछ स्वयंविवेक की शक्ति दी जाये । तभी यह अधिनियम सही भावना के साथ प्रभावी बनाया जा सकेगा ।

मेरा संशोधन बहुत ही उचित और न्यायसंगत है ।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, गायकवाड़ जी ने जो संशोधन रखा है, उसके साथ मुझे पूरी हमदर्दी है । जैसा कि उन्होंने कहा है, अगर इस बात को लिखा नहीं जायेगा, तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कानून के साथ मंत्री महोदय के आश्वासन नहीं जायेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि यहां तो जो कानून को चलाने वाला है, वह कोई जज नहीं है, वह तो एस्टेट आफिसर है और एस्टेट आफिसर मंत्री महोदय का सरकारी नौकर है । मंत्री महोदय 'जेन्ट्ली' शब्द के जो मायने निकालना चाहें, निकाल कर वह उस के पास भेज सकते हैं और उसी के मुताबिक एस्टेट आफिसर कानून को चलायेगा । हमारे बहुत सारे दोस्त इसको कानून की खामी समझते हैं, लेकिन गरीब आदमी के हक में इस कानून का फायदा भी उठाया जा सकता है, बशर्ते कि मंत्री महोदय इस कानून की धाराओं को हरिजनों और गरीब लोगों के लिये "जेन्ट्ली" इस्तेमाल करायें, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है । वह कानून में संशोधन बेशक न करें, लेकिन अच्छा हो अगर वह एस्टेट आफिसर को भेजे जाने वाले सर्कुलर में यह दर्ज कर दें कि इस कानून के मातहत हरिजनों और गरीब आदमियों के साथ नरमी का व्यवहार किया जाये । जैसा कि गायकवाड़ जी ने कहा है—और जैसा कि आम तजुर्बा है—बाहर से जो मकान बनाने वाले मजदूर वगैरह आते हैं, वे कोई पर्मानेंट नेचर का मकान नहीं बनाते हैं, बल्कि वे एक टेम्पोरेरी किस्म का एबोड बना लेते हैं । जब मंत्री महोदय और उनके आफिसर समझें कि उन लोगों को उठाया जाना चाहिये, तो यह जरूरी है कि उनको किस वक्त उठाया जाये—उस वक्त ही उन को शो-काज नोटिस भेजा जाये, जब कि दर-असल नया मकान बनाने के लिये उस जमीन की जरूरत हो । उन के सामान को सरकारी खर्च पर किसी ऐसी जगह पहुंचाया जाये, जो कि हमेशा के लिये उनको दी जा सके और अगर यह मुमकिन न हो सके, और उस जमीन की बहुत जल्दी जरूरत हो और उन लोगों को पर्मानेंट तौर पर दूसरी जगह न दी जा सके, तो फिर उन को ऐसी जमीन दे दी जाये, जहां जल्दी ही कोई कंस्ट्रक्शन न होनी हो और साथ ही लिख कर उन को बताया जाय कि तुम को यहां रहने का पर्मानेंट हक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यहां भी पहले की तरह की टेम्पोरेरी एबोड बनाइये और जब सरकार कोई दूसरी जगह पर्मानेंट तौर पर या कोई मकान बना कर देगी, तो उस वक्त आप को यहां से जाना होगा । अगर मंत्री महोदय दर-असल अपने आश्वासन को पूरा करना चाहते हैं, तो वह संशोधन को चाहे न मानें, लेकिन, जैसा कि मैंने अभी कहा है, जब यह कानून पास हो जाये, तो सर्कुलर भेज कर अपनी इच्छाओं को एस्टेट आफिसर के पास भेज दें ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या १३ प्रस्तुत करता हूं ।

यह विधान बड़ा ही सख्त है, इसलिये इसमें यह व्यवस्था करना जरूरी है कि निष्कासन का नोटिस पाने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में या वकील के जरिये अपने मामले की पूरा सुनवाई कराने का अधिकार रहेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** इस कथन में कोई भी सार नहीं है कि हम सरकार की प्रतिष्ठा के विचार से संशोधनों को स्वीकार नहीं करते। राज्य-सभा में हमने विरोधी दल का भी संशोधन सिर्फ इसलिये स्वीकार किया था कि उसमें हमें कुछ तथ्य दिखा था। हम इनमें से किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते, और यह इसलिये कि हमारे पास उसके उचित कारण मौजूद हैं। श्री पाटिल के संशोधन तो इस विधेयक का आधार ही मिटा देंगे। श्री गायकवाड़ ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन रखे हैं। लेकिन मैं कुछ कारणों से उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता और वे कारण वही है जिनके आधार पर मैं ऐसे कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं करता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का सार यह है कि निष्कासन के कारण बताये जाने चाहियें। यह विधि प्रवर्तित किस प्रकार की जायेगी, यह भी तो देखिये। सरकार सरकारी कार्य के लिये अपनी किसी भूमि को उपयोग में लाना चाहती है, लेकिन उस पर कुछ लोगों का अनधिकृत कब्जा है। तब सरकार सम्पदा अधिकारी से कहती है कि इस विधेयक के अन्तर्गत उनको निष्कासित करने के लिये कार्यवाही की जाये। उस दशा में, सम्पदा अधिकारी सबसे पहले तो यह देखता है कि वह भूमि सरकार की है भी या नहीं, फिर वह इस बात की जांच पड़ताल करता है उस पर रहने वाले लोगों का कब्ज़ा अनधिकृत है या नहीं, और फिर वह अधिकारी इस बात की भी जांच करता है कि वह भूमि वास्तव में सरकारी कार्य के लिये ही मांगी गई है या नहीं। सरकारी कार्य के लिये उसकी जरूरत है या नहीं, इसका निर्णय सरकार ही करती है। और इसलिये खण्ड ४ के अन्तर्गत लोगों को नोटिस दे दिये जाते हैं। खण्ड ९ में व्यवस्था है कि खण्ड ४ के अन्तर्गत की जानेवाली कार्यवाही की अपील नहीं की जा सकती। हां, खण्ड ५ और ७ के अन्तर्गत किये गये निर्णयों की अपील की जा सकती है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या जिला न्यायाधीश इस बात का निर्णय नहीं कर सकेगा कि निष्कासन का आदेश देना उचित है अथवा अनुचित ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जिला न्यायाधीश तो यह निर्णय करेगा कि वह भूमि सरकारी है या नहीं, निष्कासित किया जाने वाला व्यक्ति अनधिकृत कब्जाधारी है या नहीं, और यह कि इस विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं।

मैं इनमें से किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खण्ड ५-क

†**श्री नौशीर भरूचा :** मैं अपना संशोधन संख्या ५३ प्रस्तुत करता हूं। मैं इस संशोधन द्वारा एक नया खण्ड ५क जोड़ना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

मेरे संशोधन में सिर्फ इतना ही किया गया है कि श्री गाडगिल द्वारा दिये गये आश्वासनों को वैधानिक भाषा में पेश कर दिया गया है। यदि सरकार वाकई उन आश्वासनों को कार्यान्वित करना चाहती है तो उसे यह संशोधन मान लेना चाहिये। माननीय मंत्री ने कहा था कि इन आश्वासनों को वैधानिक भाषा में रखना कठिन है, इसलिये इन्हें विधेयक में नहीं रखा गया। मैंने यह कार्य कर दिया है और अब उन्हें यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

इसमें श्री गाडगिल के आश्वासनों के अनुसार ही सभी व्यवस्थायें की गई हैं। तिथि भी निश्चित की गई है और मौजूदा अनधिकृत कब्जाधारियों को यह संरक्षण भी दिया गया है कि प्रार्थना पत्र देकर अपने मकान को नियमित करा सकते हैं।

केवल आश्वासनों का न्यायालयों में कोई मूल्य नहीं होता। यदि सरकार एक मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करना चाहती है, तो विधेयक में ही उसकी स्पष्ट व्यवस्था रहनी चाहिये।

†**श्री बालासाहेब पाटिल :** मैं अपना संशोधन संख्या ६४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री अनिल० कु० चन्दा :** मैं श्री नौशीर भरूचा के प्रयास के लिये उनका आभारी हूं। लेकिन कठिनाई यह है कि श्री गाडगिल के आश्वासन केवल दिल्ली के लिये थे, दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों के लिये नहीं। और, दूसरी बात यह है कि श्री गाडगिल के बाद उनके स्थान पर जितने भी मंत्री आये हैं, उन सभी ने यह मत प्रकट किया है कि इन आश्वासन को विधेयक का अंग बनाना असम्भव है। हां, कार्यपालक ढंग से हम इस दिशा में जो भी कर सकेंगे, करेंगे। यही हमारा कार्यपालक निर्णय है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५३ और ६४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

...कारी भू-गृहादि के सम्बन्ध में किराये या क्षति को भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूलने की शक्ति)

†**श्री जाधव :** मैं अपने संशोधन संख्या २७ और २८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री कोडियान :** मैं अपने संशोधन संख्या १६ और १७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा :** मैं अपने संशोधन संख्या १४ और १५ प्रस्तुत करता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं अपने संशोधन संख्या ४६ और ४७ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जाधव** : मैं अपने संशोधन संख्या २७ तथा २८ को प्रस्तुत करने के कारण बता चुका हूं अब अधिक नहीं कहना चाहता ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : श्रीमान्, मेरे संशोधन का आशय है कि ऐसे विवरण में बकाया राशि का पूरा पूरा विवरण दिया जाये तथा सम्पदा अधिकारी आदेश के पूरे कारण लिखे। ये बातें प्राकृतिक न्याय द्वारा भी अपेक्षित ही हैं।

†**श्री कोडियान** : खण्ड ७ के उपखण्ड (२) में सम्पदा अधिकारी को क्षति का निर्धारण करना होगा। किन्तु वह रीति कौन निर्धारित करेगा ? मेरे संशोधन का आशय है कि इस प्रकार के काम में सम्बद्ध व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाये। इस संशोधन के पश्चात् खण्ड किसी को हानि न पहुंचा सकेगा।

संशोधन १७ से मेरा आशय है कि सम्पदा अधिकारी को बकाया बहे खाते में डालने का स्वविवेक भी प्राप्त हो। इस विधेयक का प्रभाव अधिकतर उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो गन्दी बस्तियों में रहते हैं और वे सारे के सारे निर्धन होते हैं। गरीबों से सरकार क्या लेगी ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरे पहले संशोधन के अनुसार "देय" शब्द के स्थान पर "वसूल करने योग्य" शब्द रखे जायें ताकि सीमा विधि भी लागू हो। इसी प्रकार क्षति की वसूली में भी यही नियम अपनाया जाना चाहिये ।

पुनर्वास मंत्रालय यह अन्याय कर रहा है कि विस्थापितों से वह किराया भी लिया जाये जब कि वे पाकिस्तान में थे। श्री गाडगिल ने इस प्रकार के बकायों को माफ किया था। संशोधन ४८ से मैं यही शक्तियां सम्पदा अधिकारियों को दिलाना चाहता हूं क्योंकि इस समय जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है सम्पदा अधिकारी प्रबन्धकों जैसे ही हैं। हमारे पास ऐसी कार्यवाही के पूर्व उदाहरण विद्यमान हैं। किन्तु इस समय यह स्थिति नहीं है। अब तो सम्पदा अधिकारी बकायों को वसूल ही करेगा ।

अब इस व्यवस्था के अधीन जिला न्यायाधीश भी मामले के गुणावगुणों पर विचार नहीं कर सकता। इसी प्रकार सम्पदा अधिकारी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दे सकता। शेष बातें मैं खण्ड १० पर कहूंगा। अब यह सिद्ध करने का उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है। इसकी सिद्धि पीड़ित को ही करनी होगी। इसी प्रकार वसूली की सिद्धि भी दूसरों पर ही रखी गयी है। इस व्यवस्था में यदि कोई किराया इत्यादि दे भी चुका है किन्तु वह हिसाब में नहीं दिखाया गया तब भी वह यह नहीं कह सकेगा कि वह किराया दे चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार ने स्वयं माना है कि सरकार के पास इतने सक्षम न्यायाधीश ही नहीं जिन्हें सम्पदा अधिकारी लगाया जा सके। जिन्हें सरकार नियुक्त करेगी वह कर्तव्य पालन न कर सकेंगे अतः न्याय न होगा। क्या सरकार के गजेटिड पदाधिकारी क्षति का निर्धारण करने के अर्ह हैं। इसलिये कम से कम उन लोगों पर भी सीमा की व्यवस्था लागू होनी चाहिये ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम्) : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि हम सरकारी भूमि तथा सरकारी भवनों के बारे में विचार कर रहे हैं।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : माननीय विधि मंत्री ने कहा था कि यह विधि मान्य स्वामित्व पर ही लागू न होगी अतः वहां सरकारी भूमि का प्रश्न कहां से आया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : सरकारी सम्पदा पर सीमा की व्यवस्था न हो यही तो वह कह रहे थे ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जब तक बकाया ही न हो तब तक वसूली का प्रश्न ही नहीं उठ सकता ।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या माननीय सदस्य का यह आशय है कि ४० रुपये के पीछे लोग उच्च न्यायालय में जायेंगे ?

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं केवल यही कह रहा हूं कि यह निरी एक पार्श्विक शक्ति के आधार पर ही की जाने वाली कार्यवाही न होगी ।

†श्री अनिल कु० चन्दा : मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । जहां तक विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १६५४, तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव की आलोचना का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि १६५६ में संशोधित उक्त अधिनियम की उपधारा ३ में लिखा है :

"भारतीय सीमा अधिनियम, १६०८ द्वारा अवरुद्ध होने पर भी इस धारा के प्रयोजन के लिये राशि अभिरक्षक को देय समझी जायेगी ।"

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि अधिनियम बनते समय श्री मेहरचन्द खन्ना ने आश्वासन दिया था कि निष्क्रान्तों के दावों में सीमा प्रवर्तन रहेगा ।

श्री अनिल कु० चन्दा : मैं तो अधिनियम को ही बता रहा हूं । जहां तक श्री नौशीर भरूचा की बात का सम्बन्ध है क्षति निर्धारण से पूर्व सारा लेखा बताया ही जायेगा और अपीलीय पदाधिकारी उसका पुनरीक्षण भी करेगा । अतः उन्हें घबराना नहीं चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ तथा ६ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ तथा ६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री नौशीर भरूचा : नये खण्ड ६ क पर मैं अपना संशोधन संख्या १६ प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमान् मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक पर सीमा की विधि लागू की जाये। क्योंकि यदि पक्षों को एक मास तक निर्णय की प्रमाणित प्रतियां न मिलें तब अपील की सीमा समाप्त हो जायेगी। उसके पश्चात् कोई भी न्यायालय पीड़ित व्यक्ति की सहायता न कर सकेगा।

†श्री अनिल कु० चन्दा : खण्ड १३/(२) (ङ) में अपीलों तथा तत्संबन्धी प्रक्रिया का ढंग दिया गया है। स्वविवेक न्यायाधीश को है ही। इसके अतिरिक्त खण्ड ९ में भी एक परन्तुक है जिस के द्वारा न्यायाधीश तीस दिन के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता यदि उसे यह सन्तोष हो जाये कि पीड़ित व्यक्ति के मार्ग में वास्तविक बाधायें थीं। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

†श्री नौशीर भरूचा : मैं संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे भी खण्ड १० पर अपना संशोधन संख्या ५० प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाये क्योंकि इन दोनों का विषय एक सा ही है।

माननीय मंत्री ने १९५६ के अधिनियम की धारा १९ का उल्लेख किया है। यह केवल विस्थापितों पर लागू है। दूसरे जो विस्थापित नहीं उनका क्या होगा ? मैं इसका उत्तर चाहता हूं ?

यदि सरकार सीमा की व्यवस्था ही समाप्त करना चाहती है तो हमारी सारी विधि का उन्मूलन कर रही है। सरकार अपने लिये प्रत्येक विशेष अधिकार चाहती है और जन साधारण के लिये दूसरी हीं व्यवस्था है। यह तो फ्रांस के कानून की सी बात हो गई जहां शासकों के लिये अलग कानून हैं और प्रजा के लिये अलग। सरकार को इन मूलभूत बातों को हल्के तौर ही नहीं समझना चाहिये। इन पर विचार करना चाहिये।

मैं संशोधन संख्या ५० प्रस्तुत करता हूं।

श्री नौशीर भरूचा का संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या ५० सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ से १४ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ११ से १४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिय गये।

†श्री अनिल कु० चन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : सरकार का यह विचार है कि उसने उन सारी आपत्तियों को दूर कर दिया है जो कि न्यायालयों ने इसे अवैध घोषित करते समय की थीं। किन्तु यह बात गलत है।

महान्यायवादी ने माननीय मंत्री की भान्ति ही न्यायालय में तर्क रखे थे किन्तु उच्चन्यायालय ने इसे इस कारण शून्य घोषित किया कि इस के द्वारा व्यवहार न्यायालयों की शक्तियां ले ली गई थीं। इस विधेयक में वही बात है।

पंजाब में एक पट्टे का प्रश्न था और जब वह उच्च न्यायालय में गया तब न्यायाधीशों ने कहा कि पट्टे के प्रश्न पर सम्पदा अधिकारी विचार नहीं कर सकता अतः यह कानून ही शक्ति परस्तात है। इसी प्रकार कलकत्ता में खोमचे वालों का विशिष्ट मामला था। इसी प्रकार के मामलों की वैसे कमी नहीं है किन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इसे रद्द कर दिया था हालांकि वह व्यवहार न्यायालय में जाने पर अवरोध न था। अतः इस कारण कि लोगों को उच्चन्यायालय में जाने की आज्ञा है—इसी के आधार पर ही केवल इस विधि को वैध नहीं माना जा सकता।

इसके अतिरिक्त इस कानून के द्वारा व्यक्ति तथा सरकार के बीच मतभेद रखा गया है। सरकारी तथा गैर-सरकारी सम्पदा में कोई फर्क नहीं होना चाहिये।

यह ठीक है कि अवैध कब्जों को बन्द करने के लिये सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी पड़ती है किन्तु स्वामित्व की समस्या का हल भी तो संतोषजनक ढंग से होना चाहिये। मुझे खेद है कि यदि पुनः कोई मामला इस के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में गया तब फिर विधान-सभा की बदनामी होगी। मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूं।

†श्री अनिल कु० चन्दा : हमने प्रारूप बनाते समय यह ध्यान रखा है कि जो आपत्तियां न्यायालयों ने पहले इस पर की हैं वे अब सारी दूर हो जायें। वैसे तो कोई भी विधिपूर्ण नहीं हो सकती। क्या पता उच्चतम न्यायालय इस विधि पर किस प्रकार से विचार करेगा। हो सकता है भार्गव जी ठीक ही कहते हों किन्तु जिन लोगों ने हमें परामर्श दिया है वह कहते हैं कि हमारा आधार ठोस है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ६६ और विपक्ष में ३४ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

केरल तथा मद्रास राज्य में विषाक्त खाद्य पदार्थों से हुई घटनाओं के बारे में प्रस्ताव

†**श्री मो० ह० मसानी** (रांची-पूर्व) : श्रीमान् मैं प्रक्रिया नियमों के नियम १८६ के अधीन एक औचित्य प्रश्न उठाता हूं। ११ अगस्त को जो विवरण स्वास्थ्य मंत्री ने सभा पटल पर रखा था उसके अनुसार प्रतिवेदन से सम्बद्ध मामले के अन्तर्गत १२ व्यक्तियों के मामले अभी विचाराधीन हैं ।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि केरल सरकार ने भारतीय नौवहन अधिनियम, की धारा २२५ के अन्तर्गत सर्वश्री डी० एन० नाखाटे, बी० बी० डबके, ए० ए० जाफर तथा पी० सी० वार्के आदि १२ व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाया है ।

हमारी इच्छा है कि जो भी अपराधी हो उनको दण्ड मिले किन्तु जब तक अपराध की सिद्धि न हो जाये तब तक अपराधी को निर्दोष ही मानना चाहिये । अतः मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं कि क्या इन के बारे में वाद-विवाद करना उचित होगा क्योंकि इनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं। मैं समझता हूं कि हम अभियोग पर बिना किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले प्रतिवेदन में उल्लिखित सामान्य सिफारिशों पर तो विचार कर सकते हैं किन्तु व्यक्तिगत उल्लेख करना गलत होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं मानता हूं कि यदि हम इन लोगों के अपराधों पर टीका टिप्पणी करेंगे तो निस्संदेह जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किन्तु हम सामान्यतया इस पर चर्चा कर सकते हैं कि यह लापरवाही कहां हुई । मैं चाहूंगा कि यहां किसी भी व्यक्ति का नाम न लिया जाये। हमें किसी भी प्रकार न्यायालय के समक्ष लम्बित मामले पर प्रभाव डालना नहीं चाहिये । किसी समवाय का नाम लेने में कोई हानी न होगी किन्तु यह नहीं कहा जाना चाहिये कि अमुक व्यक्ति का अपराध है ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : श्री मसानी की आपत्ति का आधार यह है कि यह प्रस्ताव न्यायाधीन विषय से सम्बन्ध रखता है। लेकिन मेरा कहना है कि यह उससे सम्बन्धित नहीं है। श्री मसानी इस आधार पर उस समय आपत्ति कर सकते थे जिस समय यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था लेकिन अब प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना स्वीकृत हो चुका है, अब ऐसी आपत्ति उठानी निराधार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य अपने भाषणों में केवल प्रतिवेदन का उल्लेख करेंगे तो कोई हानि न होगी। उन्हें उन लोगों के सम्बन्ध में, जिन पर मुकदमा चल रहा है, अपना मत प्रकट नहीं करना चाहिये ।

†श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केरल और मद्रास राज्यों में खाद्य पदार्थों में विष मिल जाने के कारण हुई घटनाओं के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन पर, जो ११ अगस्त, १६५८ को सभा पटल पर रखा गया था विचार किया जाय ।"

मैं यह बता देना चाहता हूं कि आयोग की जांच का क्षेत्र बहुत सीमित था । यह आयोग षष्टमकोटा में लोक सहायक सेना शिविर में हुई खाद्य पदार्थों में विष की घटनाओं के तत्काल बाद, जांच करने बैठा था। उक्त शिविर में हुई घटनाओं के पश्चात् सभा में इस सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे गये थे और प्रतिरक्षा मंत्री को उसके सम्बन्ध में एक विवरण देना पड़ा था । उक्त दुखांत घटना के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने शाह जांच आयोग बिठलाया था । जिसने इस मामले की विस्तृत जांच की और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि जिस विष से भोजन विषाक्त हुआ वह 'फोलीडोल' था, इससे बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा उन पर अन्य घातक प्रभाव हुये । तथापि षष्टमकोटा की घटना के पूर्व ऐसी घटनाओं को दस्त लगने या हैजे की घटनायें समझा गया क्योंकि उस मौसम में वे बीमारियां भी होती हैं।

षष्टमकोटा की घटना के पश्चात् हम इस परिणाम पर पहुंचे कि कोई पदार्थ खाद्य पदार्थों से मिल गया है और तब हमें यह ज्ञात हुआ कि यह पदार्थ 'फोलीडोल' है।

आयोग ने 'फोलीडोल' के सम्बन्ध में विस्तार से लिखा है । उनके कथनानुसार यह पदार्थ तरलता लिये हुये गाढ़ा और अत्यंत विषैला होता है। इसका आविष्कार गेकहार्ट शक्रेडर ने १६४४ में रसायनिक शस्त्र के रूप में किया था । वे युद्ध के अन्तिम दिन थे। युद्ध समाप्ति के पश्चात् बहुत सा पदार्थ बच गया । इसलिये वैज्ञानिक शक्रेडर ने अपना ध्यान कीट नाशक रसायनों की ओर लगाया और उसने इसी पदार्थ को कीट नाशक द्रव के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि 'फोलीडोल' इतना तीव्र विष होता है कि यह केवल सांस लेने में ही मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और एक बार प्रविष्ट होने पर वह कभी भी प्रणाली में आत्मघात नहीं होता है बल्कि सदैव अपना घातक प्रभाव छोड़ता रहता है। और इस प्रकार शरीर के दुर्बल होने पर इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है।

भारत में केवल एक फर्म चीका प्राइवेट लिमिटेड इस पदार्थ का आयात करती है। इस पदार्थ का निर्यात जर्मनी की बेयर्स फर्म के द्वारा किया जाता है जो इसके निर्माता आई० जी० पार्बर इन्डट्रीज की ही एक शाखा है। यह पदार्थ भारत के अलावा अन्य अर्द्धविकसित देशों तथा ब्राजील में भी भेजा जाता है ।

'फोलीडोल' विमान द्वारा बम्बई तक लाया गया। वहां डाब्के ने, चीका प्राइवेट लिमिटेड की ओर से माल छुड़ाया। यद्यपि हवाई भाड़ा बिलों में फोलीडोल को विष लिखा हुआ था तथापि उन्होंने सारे नियमों की अवहेलना की और फोलीडोल के ५५ बक्से जहाज में लाद दिये गये उनके बाहर से उनके बाहर 'कृषि उपयोग के लिये हानिरहित रसायन' का लेबिल लगा दिया गया। उसी जहाज

†मूल अंग्रेजी में

में खाद्य सामग्री लादी हुई थी। जब जहाज कोचीन पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि ५५ में से १५ बक्से टूट गये हैं और उनमें से फोलीडोल बह कर खाद्य सामग्री में मिल गया है। वहां से उक्त पदार्थ जहाज में माल लादने और उतारने वाली कम्पनी के गोदाम में ले जाया गया। गोदाम में चाय रखी हुई थी जो अमेरिका जाने वाली थी। पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप पर वे बड़ी मुश्किल से फोलीडोल के टूटे हुये टीनों को पृथक रखने को राजी हुये।

इस प्रकार खाद्य पदार्थ जहाज के अन्दर विषाक्त हुये। हमें यह देखना है कि इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं। मेरे विचार से प्रतिरक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय सभी इस दुर्घटना के लिये किसी न किसी रूप में उत्तरदायी हैं। वस्तुतः जहाज पर माल उतारने और चढ़ाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है उसमें सीमा शुल्क अधिकारी, जहाज अधिकारी, माल उतारने व चढ़ाने वाले एजेन्ट इत्यादि कई लोग अन्तर्ग्रस्त रहते हैं। उन्हें जानना चाहिये था कि जो वस्तु जहाज में लादी जा रही है वह 'विषैली' है। इसलिये इस सम्बन्ध में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि फोलीडोल के कारण जिन १०८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनमें से १०४ की मृत्यु पेरेन्थियन के कारण हुई। अधिकांश मृतक व्यक्ति गरीब लोग थे जिन्होंने आयात किया हुआ रवा और आटा खाया था। प्रत्येक मृतक के परिवार को ३०० रुपये प्रतिकर के रूप में दिये गये हैं। इससे केरल सरकार को भी बहुत हानि उठानी पड़ी है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ रोकना पड़ा और उन्हें व्यापारियों को उसका प्रतिकर चुकाना पड़ा। तत्पश्चात् रसायनिक विष्लेषक का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसके आधार पर केरल सरकार ने कार्यवाही की।

१९५२ से यह पदार्थ बागानों में उपयोग में लाया जा रहा है और हजारों मजदूर इसका उपयोग कर रहेहैं। वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह कितना विषैला पदार्थ है और इसका प्रभाव उनके लिये कितना घातक सिद्ध हो सकता है।

अतः मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक विस्तृत जांच करें कि उक्त विषैले पदार्थ का बागानों में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हुआ है। मेरा यह भी निवेदन है कि फोलीडोल का आयात बन्द कर दिया जाय और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें उचित प्रतिकर दिया जाय साथ ही उन लोगों के सम्बन्ध में विस्तृत जांच की जाय जो इस पदार्थ के आयात से सम्बन्धित हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : इस पदार्थ का आयात १९५२ से हो रहा था। तथापि अप्रैल में हुई दुखांत घटना के पूर्व हमने 'फोलीडोल' के सम्बन्ध में कभी नहीं सुना। इसका मुख्य कारण यह था कि इसके पूर्व यह पदार्थ सदैव एल्यूमीनियम के बक्सों में आता था जिससे इस पदार्थ के बह जाने इत्यादि की संभावना बहुत कम रहती थी लेकिन मार्च में यह पदार्थ लकड़ी के बक्सों में रखा गया जिसके फलस्वरूप यह दुर्घटना हुई। सरकार को इस बात की अच्छी तरह जांच करनी चाहिये।

दूसरी बात जो मेरे ध्यान में आई वह यह थी कि यद्यपि 'फोलीडोल' के सभी वक्सों में 'विष' लिखा हुआ था तथापि उसे 'हानिरहित रसायन' घोषित कर बम्बई से कोचीन भेजा गया। जहाजों में विषैले पदार्थों के लिये पृथक स्थान होता है। उस पदार्थ को वहां न रख कर खाद्य पदार्थों के साथ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

रख दिया गया। इस बात का दायित्व जितना कम्पनी पर है उतना ही नौवहन कम्पनी के अधिकारियों पर भी है। यह ज्ञात होने पर भी कि वक्से टूट गये हैं और वह पदार्थ बिखर गया है किसी व्यक्ति ने उस ओर ध्यान देने की चिन्ता नहीं की। जिसका परिणाम यह हुआ कि १०० से अधिक व्यक्ति मृत्यु के शिकार हुये और ४०० से अधिक व्यक्ति रोग ग्रस्त हुए।

प्रतिवेदन में दी हुई घटनाओं से स्पष्ट है कि यह अत्याधिक घातक विष है। लेकिन साथ ही बगान वालों का कथन है कि यह विशेषकर नकद फसलों के लिये बहुत प्रभावशाली कीटनाशक पदार्थ है। अत: वे इस विष का आयात रोकने के पक्ष में नहीं हैं।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके आयात के सम्बन्ध में बहुत सावधानी बरती जाये। इसका दायित्व आयात कर्त्ता और वितरक पर होना न चाहिये। सरकार को उन पर पर्याप्त नियंत्रण रखना चाहिये।

†**डा० क० ब० मेनन** (बजगरा) : मैं इस बात से सहमत हूं कि फोलीडोल एक तीव्र विष है, तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यह एक बहुत अच्छा कीट नाशक भी है। अत: सरकार को चाहिये कि वे इस विष के आयात पर रोक लगाने के स्थान में इसके आयात पर कुछ नियंत्रण लगायें।

प्रतिवेदन से यह बात स्पष्ट होती है कि इस मामले की जांच करने में केरल की सरकार ने बहुत ढिलाई से काम लिया। वस्तुत: १३ अप्रैल को एर्नाकुलम में १० व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तत्पश्चात् २५ अप्रैल तक केवल त्रिचुर जिले में २४ व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं दी। जब षष्टमकोटा में लोक सहायक सेना शिविर में एक साथ ६५ व्यक्तियों की मृत्यू हुई और केन्द्रीय प्रतिरक्षा मंत्री ने यहां अपनी विज्ञप्ति दी तब केरल सरकार ने अपनी कार्यवाही आरम्भ की और जांच प्रारम्भ करवाई। इस प्रकार मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि यदि केरल सरकार इस संबंध में तत्काल उपयुक्त कार्यवाही करती तो कई व्यक्ति मौत के मुंह से और सैंकड़ों रोग ग्रस्त होने से बच सकते थे।

मुझे यह ज्ञात हुआ है कि एरनाकुलम के कुछ व्यापारियों ने विषाक्त चीनी को कालीकट और कन्नूर के व्यापारियों को १० रु० प्रति बोरे कम कीमत पर बेचा है इसी चीनी के कारण मालाबार के भागों में विषाक्त भोजन से मृत्युएं होनी प्रारम्भ हुई हैं। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि एरनाकुलम से बाहर भेजी गई चीनी तुरंत जब्त कर नष्ट कर दी जाये और इस प्रकार जनता के जीवन की रक्षा की जाये।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : यदि हम यह कहें कि षष्टमकोटा के लोक सहायक सेना शिविर की घटना अभिशाप होते हुए भी बरदान सिद्ध हुई तो कोई अनुचित नहीं होगा। वस्तुत: इस के पूर्व १३ अप्रैल से ही विषाक्त भोजन से मृत्यू की घटनायें प्रारम्भ हो गई थीं लेकिन केरल सरकार ने २६ तारीख की घटना तक कोई कार्यावाही नहीं की। जब केरल राज्य की विधान सभा में यह प्रश्न पूछा गया तो मंत्री जी ने बहुत उपेक्षापूर्ण उत्तर दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री वारियर ने कहा है कि केरल की सरकार ने यथासंभव कार्यवाही की थी उन्होंने इसका दोषारोपण नियमों के अनुपयुक्त होने और केन्द्रीय मंत्रालयों पर किया है। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है।

जहां तक फोलीडोल का आयात रोकने का प्रश्न है, यह सुझाव उचित नहीं है क्योंकि यह कीट नाशक रसायन के रूप में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। केवल इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कुछ सावधानी बरतनी चाहिये और मेरा सुझाव यह है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को तत्संबंधी नियम बनाने में सहयोग करना चाहिये।

१३ तारीख को भी जब १० मृत्युऐं एक साथ एक ही स्थान पर हुईं तो भी स्थानीय पुलिस अधिकारी ने उनकी कोई जांच नहीं की न राज्य सरकार को तत्संबंधी सूचना दी।

अत: मेरा सुझाव है कि इसके उपयोग के सम्बन्ध में कृषि विभाग को बहुत सावधानी बरतनी चाहिये, जिससे कृषकों पर इसका घातक प्रभाव न हो। "विषैली औषधियों" के लाने ले जाने सम्बन्धी नियमों में उपयुक्त संशोधन होना चाहिये जिससे ऐसी घटनायें पुन : न होने पायें।

†**श्री वें०प० नायर** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मुझ से पूर्व जिन दो माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं, उन्होंने सारा दोष केरल सरकार के सिर थोपा है, मेरा विचार है कि उन्होंने प्रतिवेदन को अच्छी तरह पढ़ा नहीं है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि विषाक्त भोजन के कारण जब मृत्यु की कई एक घटनायें राज्य सरकार की जानकारी में आईं तो राज्य सरकार ने तुरन्त इस बात का पता लगाने के लिये आवश्यक कदम उठाये कि यह विषाक्त वस्तु कहां से आई। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि सब-इन्सपेक्टर मैथ्यु ने बताया कि ए० बी० थामस एण्ड को० लिमिटेड के गोदाम में पड़े हुये किसी रसायन से यह विष फैला।

फोलीडोल एक बहुत घातक विष होता है। ५० मिलीग्राम एक व्यक्ति की मृत्यु के लिये काफी होता है। केरल में वर्तमान सरकार से पहले जो सरकार थी उसने कृमिनाशक, कीटनाशक आदि बता कर इसे मंगाया था और आज ऐसी दुर्घटना हो जाने पर सारा दोष वर्तमान सरकार को दिया जा रहा है। प्रतिवेदन के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख संलग्न है जिसमें बताया गया है कि हमारी बहुत सी प्रयोगशालाओं में रसायनिक विश्लेषण द्वारा फोलीडोल की मिलावट का पता नहीं लगाया जा सकता। अत : डा० मेनन सब-इन्सपेक्टर जैसे व्यक्ति से कैसे आशा करते हैं कि वह इस संबंध में सावधानी बरतता। जांच आयोग ने भी बताया है कि फोलीडोल से जो मृत्यु हुई हैं वे इसी प्रकार हुई हैं जैसे हैजे से होती हैं। अत: सब-इन्सपेक्टर पर दोष लगाना बेकार है।

डा० मेनन को चाहिये था कि वह मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर श्री करमरकर से निवेदन करते कि मृतकों को अधिक क्षतिपूर्ति दी जाये। पर इसके विपरीत उन्होंने सारा दोष केरल सरकार पर लगाने का प्रयत्न किया है।

ब्रिटेन में जहां विषों के विश्लेषण के लिये बहुत सी सुविधायें उपलब्ध हैं, वहां भी इस के आयात निर्यात पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। यदि हमने ब्रिटेन की नकल की होती तो शायद हमें यह दिन न देखना पड़ता। केरल सरकार पर दोष लगाना अनावश्यक है क्योंकि अन्य कोई राज्य उतनी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

शीघ्रता से कार्यवाही नहीं कर सकी जितनी शीघ्रता से केरल ने कार्यवाही की। मेरे क्षेत्र षष्टमकोटा में सबसे अधिक मृत्यु हुईं पर मुझे खेद है कि डा० मेनन ने और श्री मणियागंदन ने उनके संबंध में कोई बात नहीं कही।

अंत में मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि भविष्य में वह ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसी विषाक्त वस्तुओं का, जिनके कारण इतने घातक परिणाम हों, आयात न हो। इस प्रकार के घातक परिणामों से जनता को बचाना केन्द्र का उत्तरदायित्व है। अतः केन्द्रीय सरकार को कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिये।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : वादविवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की बातों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। प्रारम्भ में मैं दो बातों को लूंगा। श्री वारियर ने कहा कि फोलीडोल के आयात के संबंध में सावधानी बर्ती जानी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि उनका अभिप्राय यह था कि फोलीडोल का आयात नहीं किया जाना चाहिये था। पर इसका प्रयोग तो वहां पिछले कई वर्षों से हो रहा है।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि फोलीडोल के प्रयोग से कितनी आफतें आ सकतीं हैं। पृष्ट ६१ पर आयोग ने बताया है कि फोलीडोल के कितने उपयोग हो सकते हैं और साथ ही आयोग ने बताया है कि यह कृषि के लिये उपयोगी है। अतः मैं समझता हूं कि श्री वारियर को इस बात से कोई विरोध नहीं होगा कि फोलीडोल कृषि के लिये उपयोगी है।

†**श्री वारियर :** पर फोलीडोल द्वारा सभी कृमि और कीटों को नष्ट करना कृषि के लिये उपयोगी नहीं है :

†**श्री करमरकर** : मैं फोलीडोल की उपयोगिता की चर्चा के विस्तार में नहीं जाना चाहता पर मैं समझता हूं कि श्री वारियर भी इस बात से सहमत होंगे कि कृषकों को इसके प्रयोग से काफी लाभ हो रहा है और वे उपयोगी ढंग से इसका प्रयोग करते रहे हैं।

इन दुर्घटनाओं में बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और दोनों समितियों ने भी हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि —मैं इस संबंध में विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि इस संबंध में उत्तरदायी कौन है—इसकी उपयोगिता के बजाय इसको इस्तेमाल करने में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि कृषि मंत्रालय तथा राज्यों के कृषि विभाग आयोग की सिफारिशों पर ध्यान देंगे।

श्री वें० प० नायर ने शायद डा० मेनन की बात का विरोध करते हुये जोश में आकर कहा कि सरकार ने इस मामले को टाल दिया और आवश्यक सूचनायें नहीं जारी कीं। प्रतिवेदन के पृष्ट २२ से २४ पर इस बात का उल्लेख है। "पोत में खतरनाक सामान तथा विष्फोटक पदार्थ ले जाने" के मामले में जांच करने के लिये ब्रिटेन में जो समिति नियुक्त की गयी उसने अपने प्रतिवेदन के पृष्ट ११७ पर कुछ नियमों का उल्लेख किया है जिनमें बताया गया है कि ऐसे सामान को ले जाने के लिये कैसे पात्र हों उनमें कितनी मात्रा में इसे रखा जाये और किस प्रकार सावधानी से उन्हें बन्द किया जाये आदि।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयोग ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ २४ में कहा है :

"नियमों और नौवहन समवायों के नाम सरकार द्वारा निकाले गये पत्र से स्पष्ट पता लगता है कि नौवहन समवायों को भारतीय व्यापार नौवहन (खतरनाक सामान का ले जाया जाना) नियम, १९५४ के बारे में पता था और यह भी पता था कि इन नियमों के पालन करने में और पोत में खतरनाक माल तथा विष्फोटक पदार्थ ले जाने संबंधी ब्रिटेन की समिति के प्रतिवेदन का अनुसरण करने में नौवहन समवायों तथा उनके पदाधिकारियों का क्या कर्तव्य है।"

अतः यह बात नहीं है कि भारत सरकार इस संबंध में बेफिक्र थी और उसने कुछ किया नहीं। भारत सरकार ने उक्त सावधानियां बरती थीं। इन सावधानियों के बाद भी यह सब हुआ। यह सब कैसे हुआ इस संबंध में आयोग ने अपनी राय दे दी है। मैं केरल राज्य के उत्तरदायित्व की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। साथ ही आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करते समय इस बात की चर्चा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है।

इस सत्र के पहले दिन मैंने सभा पटल पर एक विवरण रखा था जिस में बताया गया था कि आयोग की सिफारिशों पर हमने क्या कार्यवाही की है। उसी दिन हमने बताया भी था कि क्या कार्यवाहियां की जा चुकीं थीं।

यह भी बात उठाई गई थी कि केरल सरकार ने जिस खाद्य सामग्री पर कब्जा कर लिया है उस का उत्सर्जन कैसे किया जायेगा। इस संबंध में केरल सरकार को पूर्ण अधिकार है। इस संबंध में विशेषज्ञों ने हमें जो राय दी थी वह हमने केरल राज्य को भेज दी है। खाद्य सामग्री के उत्सर्जन के संबंध में आयोग ने जो तथ्य बताये थे—कि खूब सावधानीपूर्वक रसायनिक परीक्षण करने के बाद ही खाद्य सामग्री का उत्सर्जन किया जाये—उनसे हम सहमत थे।

केरल सरकार का ध्यान हमने मुख्य मुख्य सिफारिशों की ओर आकृष्ठ कराया। बाद में केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, कलकत्ता के निदेशक श्री एन० के० आयंगार, ने ७ तारीख को हमें जो टिप्पण भेजा था उसे भी हमने १४ अगस्त को केरल सरकार के पास भेज दिया। उनका कहना था कि केरल सरकार के कब्जे में जो खाद्य सामग्री है उसका उत्सर्जन करना ठीक न होगा क्योंकि आयोग की सिफारिश में जिस प्रक्रिया का उल्लेख है—खाद्य सामग्री का नमूना ले कर उसका परीक्षण किया जाये—उस से भी यह सुनिश्चित नहीं हो पायेगा कि बोरे के किसी भी भाग की खाद्य सामग्री में फोलीडोल नहीं है। श्री आयंगार के प्रतिवेदन को भी हम ने राज्य सरकार के पास भेज दिया क्योंकि उसके उत्सर्जन की अन्तिम जिम्मेदारी केरल राज्य पर ही है। जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसी खाद्य सामगग्री को जनता के उपयोग के लिए देना ठीक नहीं है।

श्री आयंगार का दृष्टिकोण हमने केरल सरकार के पास भेज दिया था। उस के बाद केरल सरकार बैठकें कर रही है और एरणाकुलम या किसी अन्य स्थान पर होने वाली आज की बैठक में इस मामले का निश्चय राज्य सरकार कर लेगी।

यह बात तो आयोग की विशेष सिफारिश के संबंध में थी। सामान्य १५ सिफारिशों के संबंध में मैं पहले बता चुका हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय ने अपनी विशेष अधिसूचना में कुछ वस्तुओं को, मुख्यतया कृमिनाशक वस्तुओं को, विषाक्त घोषित कर दिया है। राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया गया है कि वे विष अधिनियम १९१९ और राज्य के अधिनियमों के अधीन इन कृमिनाशक

[श्री करमरकर]

वस्तुओं को विषाक्त घोषित कर दें। इन कृमिनाशक को विषाक्त घोषित करने के बाद उनको रखने, उनको बन्द करके भेजने, उन पर बिल्ला लगाने आदि पर तुरन्त प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त, इन वस्तुओं को जहाज या रेल द्वारा भेजने में इन पर 'खतरनाक सामान' की भांति सावधानी रखी जायेगी और इन पर वे सभी प्रतिबन्ध लागू होंगे जो भारतीय व्यापार नौवहन अधिनियम और भारतीय रेलवे अधिनियम के अधीन इस समय प्रचलित व लागू हैं।

इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी है उस के बारे में मैं पहले वाले वक्तव्य में बता चुका हूं। जो कार्यवाही राज्य सरकार और केन्द्र दोनों कर रहे हैं वे ये हैं: राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विष अधिनियम के अधीन समुचित नियम बना कर इन कृमिनाशकों के भाण्डार, उनको डिब्बों में भरने, उन पर बिल्ला लगाने तथा उनकी बिक्री का विनियमन करें। जब तक इन के लिए विशेष डिब्बों का प्रमाप निर्धारित न हो जाये और वे बन न जायें तब तक ऐसे ही डिब्बों का इस्तेमाल किया जाये जिनका इस समय किया जा रहा है। इन कृमिनाशकों को बनाने, तैयार करने तथा उनको डिब्बों में भरने वाले कारखानों में सुरक्षा उपायों को कठोरता से लागू किया जा रहा है।

उसके बाद सरकार ने सम्बद्ध मंत्रालयों की दो समितियां बना दी हैं। ११ मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक प्रविधिक समिति बना दी गयी है। इन मंत्रालयों के नाम हैं: वाणिज्य तथा उद्योग, खाद्य तथा कृषि, श्रम और रोजगार, परिवहन तथा संचार, रेलवे (रेलवे बोर्ड), विधि, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक गवेषणा, वित्त (राजस्व का केन्द्रीय बोर्ड), गृह कार्य और निर्माण, आवास तथा संभरण समिति ने शीघ्रता से जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। अपनी पहली बैठक में उन्होंने जो निश्चय किये थे उनका उल्लेख मैं अपने पहले वक्तव्य में कर चुका हूं। केरल और मद्रास में खाद्य में विष मिले होने के कारण हुई मृत्युओं के सम्बन्ध में जांच आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिये अन्तर्मंत्रालय प्रविधिक समिति की पहली बैठक २९ जुलाई, १९५८ को हुई थी और उस के बाद मैं ने इस सभा में वक्तव्य दिया था। उसके बाद इस समिति की दूसरी बैठक २९ अगस्त, १९५८ को हुई। पहली की गयी सभी कार्यवाहियों का सिंहावलोकन किया गया। सिंहावलोकन के परिणामस्वरूप समिति के सामने निम्नलिखित बातें आईं: एक, श्रम मंत्रालय उन कारखानों में मजदूरों की सुरक्षा के लिए कार्यवाही कर रही है जिन में कृमिनाशकों का निर्माण होता है, दूसरे, रेलवे मंत्रालय रेलवे द्वारा कृमिनाशकों के परिवहन पर नियंत्रण रखने की स्थिति में है और वह विष्फोटों के मुख्य निरीक्षक से परामर्श कर रहा है कि कृमिनाशकों के लिए कैसे डिब्बों, बिल्लों तथा बन्डलों का प्रयोग किया जाये, जिस के बाद उन्हें रेलों द्वारा भेजा जाये। विष अधिनियम १९१९ के अधीन कृमिनाशकों को 'विष' घोषित कर दिया गया है और उन पर भारतीय व्यापार नौवहन अधिनियम के विनियम लागू होते हैं। पत्तनों पर 'विषों' को इकट्ठा करने या उन्हें इधर-उधर भेजने में सावधानी बरतने के लिए क्या सावधानी बरती जाये इस बात पर परिवहन तथा संचार मंत्रालय विचार कर रहा है।

अन्तर्मंत्रालय प्रविधिक समिति ने दो उप-समितियां नियुक्त कर दी हैं। एक समिति इस बात पर विचार करेगी कि कृमिनाशकों को लाने-लेजाने के लिए कैसे पात्र हों—क्योंकि इन्हीं के कारण यह दुर्घटना हुई हैं—इन को कैसे इकट्ठा रखा जाये और उन पर कैसे बिल्ले लगाये जायें। दूसरी समिति को यह काम सौंपा गया है कि वह कृमिनाशकों के निर्माण, भाण्डार व्यवस्था, परिवहन, वितरण तथा प्रयोग के लिए विस्तृत विधान बनाये। यह समिति इस बात की भी सिफारिश करेगी कि

कृमि नियंत्रण प्रयोगशालाओं के क्या कर्त्तव्य होंगे और वे कहां कहां स्थापित की जायेंगी। जिन खाद्यों पर ये कृमिनाशक औषधियां छिड़की जाती हैं उन में कितना विष पैदा हो जाता है इसका परीक्षण खाद्य प्रसारण की केन्द्रीय समिति की तदर्थ उपसमिति करेगी।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत जो उपबन्ध हैं उन के अधीन सड़कों द्वारा कृमिनाशकों के परिवहन नियंत्रण कैसे लगाया जाय। इस अधिनियम का परिचालन राज्य सरकारें करती हैं और इस के अधीन 'आदर्श नियमों' की रचना परिवहन विभाग करेगा और उन्हें राज्य सरकारों के पास भेज दिया जायेगा।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय भारतीय व्यापार नौवहन अधिनियम का संशोधन करने जा रहा है और ऐसे उपबन्ध किये जायेंगे कि सामान के परिवहन के लिए झूठी घोषणा करने वालों को दण्ड दिया जायेगा। केरल तथा मद्रास विषाक्त भोजन मामलों की जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय व्यापार नौवहन (खतरनाक सामान का ले जाया जाना) नियम, १९५४ में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मैं पहले भी बता चुका हूं कि आयोग की सिफारिशों को सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। मैं श्री वारियर का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस बात को बताने का अवसर दिया कि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में सरकार क्या कदम उठा रही है।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : प्रतिवेदन में बताया गया है कि पहले यह वस्तु अल्युमीनियम के पात्रों में भर कर आयात की जाती थी। क्या अब लकड़ी के बक्सों में भर कर मंगाई जाती हैं ?

†**श्री करमरकर** : मुझे ठीक पता नहीं पर मेरा अनुमान है कि अल्युमीनियम के बक्सों में इसका आयात किया जाता है। इस संबंध में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कर के मैं सभा को दूंगा।

†**श्री वारियर** : माननीय मंत्री ने हमें बताया कि खाद्य में फोलीडोल की मिलावट का पता लगाने के लिए क्या क्या उपाय किये गये। दोनों समितियों ने जो सिफारिशें की हैं उन के बारे में हमें जानना चाहिए कि मूल समस्या क्या है। विष का मिश्रण किस प्रकार हुआ इसका पता लगाना बहुत कठिन था। डा० नटराजन ने जो परिभाषा दी है वह तो किसी पाठ्य पुस्तक से ली गयी मालूम होती है।

मैं मानता हूं कि यह अच्छा कृमिनाशक है पर इस संबंध में भी लोगों में मत भेद है। चूंकि यह सभी कीड़ों को नष्ट कर देता है यह बुरी बात है। इस से तो कृषि को भी हानि होगी। हमारे देश में इसके परीक्षण के लिये उपयुक्त यंत्रों का अभाव है। जिस डाक्टर ने इस विष की मिलावट का पता लगाया है उसने ब्रिटेन से एक यंत्र मंगवाया था। उसी की सहायता से यह सब पता लग सका। एक दूसरी बात ध्यान देने वाली यह है कि हमारे देश में इन कृमिनाशकों का प्रयोग होने से पूर्व उनका परीक्षण होना आवश्यक है क्यों कि बाहर से जो लोग—विशेषतया जर्मनी से मरा मतलब है—जो ये चीजें भेजते हैं वे शुल्क बचाने के लिए यह लिख देते हैं कि यह विषैली वस्तु नहीं है। हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्वयं परीक्षण करवाने के बाद उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यह विष धीरे-धीरे असर करने वाला होता है तथा इस के लक्षण अतिसार की प्रकार के होते हैं अतः बेचारे अज्ञान किसानों को इसका कुछ भी पता नहीं होता। भारत में जो प्रयोग शालायें हैं उन में इसकी छान बीन के लिए प्रयाप्त यंत्र नहीं हैं। मैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि वह समुचित प्रयोगशालायें खुलवाये ताकि इन का परीक्षण हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

इस समय तो संसार के एक दो पिछड़े देशों में ही इसका आयात होता है। हमें सचमुच प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।

अन्त में मुझे यह कहना है कि आप क्षतिपूर्ति में ३०० रु० प्रति व्यक्ति जो दे रहे हैं वह बहुत थोड़ा है ।

†श्री करमरकर : निवेदन है कि जो प्रविधिक समिति इस समय कार्य कर रही है वह इस वाद-विवाद में बताई गयी बातों का लाभ उठा सकेगी । श्री वारियर ने ठीक ही कहा है कि हमारे देश में ऐसी प्रयोगशालायें होनी चाहिएं जो विष तथा रसायनों का परीक्षण कर सकें । मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय ने जिन वस्तुओं को विष की श्रेणी में रखा है उसमें केवल फोलीडोल ही नहीं है बल्कि टेटूथील पायरोफोसफेट आदि अनेक प्रकार की वस्तुयें सम्मिलित हैं। मैं पूरी सूची पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता। यह सब कृमिनाशक और कीटनाशक हैं, जिन में विष होता है और इन सबों को गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में रख लिया गया है । अतः हमें केवल फोलीडोल नामक विष के प्रति ही सावधानी नहीं बरतनी है, बल्कि अन्य सभी कृमिनाशक तथा कि कीटनाशक वस्तुओं पर भी सावधानी बरतनी है। मुझे आशा है कि इन बातों के सम्बन्ध में हम पूरी सावधानी बरतेंगे और इसीलिये हम एक विस्तृत विधान लाने की बात सोच रहे हैं। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि इस विष का आविष्कार जर्मनी में किया गया या किसी अन्य देश में। पर मेरे माननीय मित्र ने जर्मनी के नाम का उल्लेख कई बार किया। मैं नहीं समझता कि यह उल्लेख कहां तक सुसंगत है।

†श्री वारियर : मैं रिपोर्ट के आधार पर यह कह रहा हूं कि :

†श्री वें० प० नायर : इस विष का निर्माण तो वास्तव में सब को नष्ट करने के लिये किया गया था, पर बाद में कीड़ों को मारने के लिये इसका प्रयोग किया जाने लगा।

†श्री करमरकर : अणु बम भी तो लोगों को मारने के लिये बनाया गया था लेकिन अब उसका प्रयोग अच्छे कामों के लिये किया जा रहा है। यदि विष का प्रयोग उपयोगी हो और उस से लाभ हों, तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। यह विष एक बहुत अच्छा कृमिनाशक है, ऐसा सभी लोगों ने कहा है और इस सम्बन्ध में इस के निर्माण से प्रयोग तक की सभी अवस्थाओं पर यथा सम्भव सावधानी रखी जायेगी।

†श्री वारियर : मृतकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति देने के विचार में आपने कुछ नहीं कहा है।

†श्री करमरकर : शायद केरल राज्य सरकार क्षति पूर्ति के प्रश्न पर भी विचार करे।

(इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १० सितम्बर, १९५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . .	२६०७–३१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०५५	निज़ामाबाद का अखबारी कागज का कारखाना . .	२६०७–०९
१०५६	महात्मा गांधी की समाधि	२६०९
१०५८	दंत-चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली कुर्सियां . .	२६०९–१०
१०५९	दक्षिण ध्रुव प्रदेश का परिरक्षण	२६१०–१२
१०६१	स्ट्रिशनीन	२६१२–१३
१०६३	कपड़ा बनाने की मशीनें और सामान का निर्यात . .	२६१३–१४
१०६५	अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) का अभाव . .	२६१४–१७
१०६७	सुराला और सुमादी नमक कारखाने . .	२६१७
१९६८	भारतीय इंजीनियरी शिष्टमंडल . . .	२६१८–१९
१०६९	भारत-तिब्बत व्यापार	२६१९–२०
१०७१	मैंगनीज की खानों का बन्द किया जाना . .	२६२०–२२
१०७२	अखिल भारतीय पैट्रोलियम श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल .	२६२२–२४
१०७३	पुराने किले में विस्थापित व्यक्ति . . .	२६२४–२७
१०७४	पटेल नगर बस्तियां	२६२७
१०७६	हथकरघे के कपड़े की कीमत में छूट . . .	२६२७–२९
१०७८	पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार . . .	२६३०
१०७९	चाय उद्योग के लिये वित्त	२६३०–३१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
८	रूरकेला इस्पात कारखाने के क्षेत्र में उपद्रव . .	२६३१–३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	२६३३–६८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०५७	नारियल का रेशा तैयार करना . . .	२६३३
१०६०	नेपाल में एयरलाइन्स कारपोरेशन . .	२६३४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(जारी)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०६२	पाकिस्तान और गोआ के बीच व्यापार तथा वायु करार	२६३४
१०६४	भारत में पुर्तगाली बस्तियां	६३४–३५
१०६६	नाभिकीय परीक्षण	२६३५
१०७०	एक्सप्रैस न्यूजपेपर्स लिमिटेड	६३५–३६
१०७५	मद्रास राज्य की कपड़ा मिलों में तीसरी पारी (शिफ्ट) का बन्द किया जाना	२६३६
१०७७	मजदूरों को अन्तरिम सहायता	२६३६
१०८०	डीजल इंजन	२६३६–३७
१०८१	पटसन की मिलों का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण	२६३७
१०८२	वस्त्र उद्योग	२६३७
१०८३	फौजदारी अदालतों में निष्क्रमणार्थियों के निक्षेप	२६३७–३८
१०८४	कलकत्ता में कार्यालयों के लिये स्थान	२६३८
१०८५	मध्य-पूर्व को वस्त्र का निर्यात	२६३८–३९
१०८६	हथकरघा और कुटीर उद्योग की वस्तुयें	२६३९
१०८७	आणविक प्रशिक्षण के लिये अधिछात्रवृत्तियां	२६३९–४०
१०८८	आयात प्रतिबन्धों के कारण बेरोजगारी	२६४०
१०८९	विदेशी पूंजी का विनियोजन	२६४०
५६५	पाकिस्तान का युद्ध प्रचार	२६४०–४१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६९७	अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) का आयात	२६४१
१६९८	फौजी जूते	२६४१
१६९९	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	२६४२
१७००	उड़ीसा में साइकिल के कारखाने	२६४२
१७०१	बम्बई में थोक के डिपो	२६४३
१७०२	मराठवाड़ा (बम्बई) में चमड़े की सहकारी संस्थायें	२६४३–४४
१७०३	मराठवाड़ा (बम्बई) में बुनकर सहकारी संस्थायें	२६४४
१७०४	कोटा (राजस्थान) की कपड़ा मिल	२६४४
१७०५	राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग	२६४४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१७०६	कांच और मैंगनीज	२६४५
१७०७	राजस्थान में चमड़ा कमाने के कारखाने	२६४५
१७०८	गोदी श्रमिक बोर्ड	२६४५-४६
१७०९	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	२६४६
१७१०	विदेशों से व्यापार	२६४६
१७११	पंजाब में चमड़े का काम करने वाली सहकारी संस्थायें	२६४७
१७१२	सरकारी इमारतों में वातानुकूलन	२६४७
१७१३	बगीची माधोदास (दिल्ली) के निकट विस्थापित व्यक्ति	२६४७-४८
१७१४	कच्ची सामग्री का आयात	२६४८
१७१५	सत ईसबगोल का निर्यात	२६४९
१७१६	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	२६४९
१७१७	दिल्ली में मकान का गिरना	२६४९
१७१८	अणु शक्ति का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये उपयोग	२६५०
१७१९	जर्मनी में अणु शक्ति के अध्ययन के लिये विद्यार्थी	२६५०
१७२०	नाइजीरिया में भारतीय	२६५०
१७२१	मोटर साइकलों की कीमतें	२६५०-५१
१७२२	लोहा तथा मैंगनीज अयस्क का निर्यात	२६५१
१७२३	बालोपयोगी फिल्म	२६५१-५२
१७२४	पाकिस्तानियों का भारत आगमन	२६५२-५३
१७२५	चाय की खेती	२६५३
१७२६	पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय नौका का लूटा जाना	२६५३
१७२७	चीनी की फैक्टरियां	२६५४
१७२८	स्टेशनरी के सामान की खरीद	२६५४
१७२९	अहमदाबाद काटन वेस्ट मर्चेन्ट्स एसोसियेशन	२६५५
१७३०	आसाम में छोटे पैमाने के उद्योग	२६५५
१७३१	जामसर जिप्सम खान, राजस्थान	२६५५-५६
१७३२	हरिजन विस्थापित लोगों को ऋण	२६५६-५७
१७३३	त्रिपुरा में पुनर्वास-कार्य	२६५७
१७३४	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	२६५७-५८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७३५	स्वचालित स्टोव निर्माण फैक्टरी	२६५८
१७३६	पशुओं का निर्यात	२६५८–५६
१७३७	सिलाई की मशीनों का विकास	२६५६
१७३८	चाय व्यापार	२६५६–६०
१७३६	महायुद्ध में हानि उठाने वाले बर्मा स्थित भारतीय	२६६०
१७४०	पंजाब के लिये स्वचालित करघे	२६६०
१७४१	बम्बई राज्य में अफगानी	२६६०
१७४२	वनस्पति तेल	२६६१
१७४३	काम दिलाऊ दफ्तर	२६६१
१७४४	हिमाचल प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	२६६१
१७४५	कागज की खपत	२६६१
१७४६	आयोग समितियां	२६६२
१७४७	अमेरिका और रूस में भारतीय प्रशिक्षणार्थी	२६६२
१७४८	कागज मिलों का बन्द होना	२६६२
१७४६	नकली रेशम का धागा	२६६२
१७५०	जापान के साथ व्यापार	२६६३
१७५१	गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक का कारखाना	२६६३–६४
१७५२	लगान	२६६४—६६
१७५३	प्रधान मंत्री सहायता कोष	२६६६
१७५४	पत्र संवाददाताओं को मान्यता	२६६७
१७५५	उड़ीसा में योजना प्रचार	२६६७–६८

स्थगन प्रस्ताव . . . . २६६८—७४

अध्यक्ष ने ८ सितम्बर, १६५८ को उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभा में हुई कुछ घटनाओं के कारण वहां संसदीय लोक-तंत्र की कथित विफलता के सम्बन्ध में तीन स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना निम्नलिखित सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

सर्वश्री ही० ना० मुकर्जी, वे० प० नायर, ब्रजराज सिंह, स० म० बनर्जी, जगदीश अवस्थी, तंगामणि, हेम बरूआ, नाथ पाई, जाधव और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . २६७४—२६७६

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की वर्ष १९५७ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत चाय नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३० अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४९ की एक प्रति ।

(३) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९५६-५७ के लेखा-परीक्षित लेखे की एक प्रति ।

(४) अगस्त, १९५८ में कलकत्ता में हुए पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के पहले अधिवेशन की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति ।

(५) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत (केन्द्रीय सरकार के) समवायों के नियम और प्रपत्र, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २३ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२३ की एक प्रति ।

राज्य-सभा से सन्देश २६७६

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्यसभा ने अपनी ४ सितम्बर, १९५८ की बैठक में कलो-सभा द्वारा २५ अगस्त, १९५८ को पारित श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक, १९५८ बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित २६७६

नवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पारित . . . . २६७७—९५

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक, १९५८ पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, खण्डवार विचार समाप्त हुआ और विधेयक पारित हुआ ।

केरल तथा मद्रास राज्य में विषाक्त खाद्य पदार्थों से हुई घटनाओं के बारे में प्रस्ताव २६९५—२७०४

श्री वारियर ने प्रस्ताव किया कि केरल और मद्रास में खाद्य पदार्थों में विष मिले होने के कारण हुई घटनाओं के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन पर, जो ११-८-५८ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त हुई ।

बुधवार, १० सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार और उसे पारित करना और दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा ।